



# सैनामैना नगरपालिका रुपन्देही



## आन्तरिक राजश्व अध्ययन तथा राजश्व सुधार कार्ययोजना अन्तिमप्रतिवेदन

प्रतिवेदन पेश गर्ने  
अर्किड मल्टि सर्भिस कन्सल्टेन्सी  
एण्ड ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रा.लि.  
बुटवल

प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने  
सैनामैना नगरपालिका  
रुपन्देही

## विषयसूची

| विषय           |  | पाना नं. |
|----------------|--|----------|
| परिच्छेद: एक   | प्रारम्भ   | ३        |
| परिच्छेद: दुई  | नगरपालिकाको समग्र परिचय  | ८        |
| परिच्छेद: तीन  | स्थानीय तहको राजश्व अधिकारको लागि संबैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था                        | ११       |
| परिच्छेद: चार  | नगरपालिकाको आन्तरिक आय परिचालनको वर्तमान अवस्था  | १५       |
| परिच्छेद: पाँच | राजश्व बृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने कदम र थप सम्भावित क्षेत्र                             | ४६       |
| परिच्छेद: छ    | आगामी आर्थिक बर्षको लागि आय प्रक्षेपण  | ८२       |
| परिच्छेद: सात  | राजश्व सुधार कार्ययोजना  | ८५       |
| परिच्छेद: आठ   | निश्कर्ष तथा सुझाव   | ८८       |
| अनुसूची १      | सन्दर्भ सामाग्री   | ८९       |
| अनुसूची २      | सैनामैना नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी विधि, २०७६ (मस्यौदा) | ९०       |
| अनुसूची ३      | तथ्यांक संकलनको लागि प्रयोग गरिएको फारम  | ९६       |
| अनुसूची ४      | कार्यशाला गोष्ठी (प्रारम्भिक तथा अन्तिम) मा भएको उपस्थितिको विवरण                      | १०३      |

## परिच्छेदः एक प्रारम्भिक

### १. भूमिका

२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी स्वरूप २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै; जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मूलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रबर्द्धन गर्न र जनतालाई स्थानीयस्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको व्यवस्था गरेको छ। यस्ता निकायलाई सक्षम बनाउन साधन, सोतको परिचालन र विनियोजनलाई न्यायोचित बितरणका साथै नेपाल सरकार स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकाय बीच जिम्मेवारी र राजस्व परिचालन तथा बाँडफाँड हुनेछ भनी संविधानमा उल्लेख भएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनिएको छ भनी संविधानको धारा ५६ मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छ। राज्यशक्तिको बाँडफाँट संविधानको धारा ५७ ले स्पष्टसँग संघ, प्रदेश र स्थानीयमा गरिएको छ। सोही धारा बमोजिम संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई एकल अधिकारका क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साभा अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

संविधान बमोजिम नेपालमा संघीयताको मोडल तीन तहको रहेको छ। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिका पर्दछन् भने यसको संख्या ७५३ वटा रहेको छ। संविधान बमोजिम स्थानीय सरकारले पनि कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र सीमित न्यायिक अधिकारको प्रयोग आफै कानुन बनाएर प्रयोग गर्न सक्नेछ। संविधानको भाग १९ मा स्थानीय सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा २२८ ले स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय राजश्वका अधिकार क्षेत्रहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जस अन्तर्गत सम्पति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन रहेका छन्।

यसैगरी संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साभा अधिकारको क्षेत्रहरु मध्ये सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना तथा प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी पर्यटन शुल्क रहेका छन्। यि साभा अधिकारमा रहेका राजश्वका क्षेत्रबाट कर असुली गर्ने कार्य जुन तहको सरकारबाट गर्दा प्रभावकारी हुन्छ सोही तहको सरकारले उठाउनु पर्दछ भने सिद्धान्तबाट प्रेरित भई संघीय कानुनले उल्लेखित साभा अधिकारका क्षेत्रहरुमध्ये प्राकृतिक श्रोत जस्तै ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन् तथा निकासी वापतको राजश्व स्थानीय सरकारबाट उठाउँदा प्रभावकारी हुने देखिएकोले संघीय कानुनले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।

यसैथरी स्थानीय सरकार संचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन संघीय संसदले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ जारी गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ६५ ले गाउँ/नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको अध्यक्षतामा एक स्थानीय राजश्व परामर्श समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। राजश्व समितिले राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजश्वको अनुमान कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्ने छ। त्यसैगरी समितिले राजश्वका दर क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

## २. समस्याकोपहिचान

सैनामैना नगरपालिका रूपद्वेषीको मुख्य आय स्रोतहरुमा नेपाल सरकारबाट वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम रहेको छ। त्यसैगरी संविधानत प्राप्त अधिकार क्षेत्रबाट आन्तरिक कर, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा राजश्व रहेका छन्।

वार्षिक बजेटमा यस नगरपालिकाले आन्तरिक रूपमा उठाउने राजस्वको अनुपात न्यून रहेको छ। फलस्वरूप, यो नगरपालिकामा आफ्ना विकासका प्राथमिकता तथा लक्ष्यहरु निर्धारण गर्ने र हासिल गर्ने क्षमता सीमित छ। संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले विभिन्न स्रोतबाट कर उठाउन सक्ने प्रावधान गरेको भए तापनि यथार्थमा यस्ता स्रोतहरुबाट यथेष्ट राजस्व उठाउन नसक्नु नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट कम राजस्व परिचालन गर्नुको एक कारण हो। अर्कोतर्फ, राजस्व उठाउन सकिने पर्याप्त संभावना रहेका स्थानमा पनि नगरपालिकाले तोकिएका स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन। कम राजस्व असूलीका एक कारणको रूपमा राजस्वका संभावना कम भएका अनुपयुक्त स्रोतहरु तोकिनुलाई पनि मान्ने गरिएको छ। यसरी स्थानीय सरकारहरुका लागि राजस्वका स्रोतहरु तोक्दा राजस्व संकलन एवं प्रशासनमा सहजता र त्यसबाट पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न सकिने संभावनालाई सैद्धान्तिक आधारको रूपमा लिइनु पर्दछ।

सैनामैना नगरपालिकाको आन्तरिक आयका श्रोतहरुको सम्भावनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै राजश्व सुधार कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन मार्फत राजश्व परामर्श समितिलाई वार्षिक आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्न सघाउ पुऱ्याउने प्रयोजनको लागि यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

यस प्रतिवेदनले निम्न विषयवस्तुहरुलाई समेटेको छ।

- राजश्व सुधार अध्ययन तथा कार्ययोजनाको औचित्य, उद्देश्य तथा तयारी विधि
- नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय
- स्थानीय तहको राजश्व अधिकार तथा आय संभाव्यता
- आय संकलनको संस्थागत क्षमता तथा संकलनको अवस्था
- राजश्व सुधार कार्ययोजना
- आगामी १ वर्षको आय प्रक्षेपण
- निश्कर्ष तथा सुझाव

### १.२ राजश्व सुधार योजनाको औचित्य

नेपालको संविधानको व्यवस्था र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुलाई स्थानीय स्तरमा आय संकलन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। आय संकलन गर्नसक्ने अधिकारको क्षेत्र नगरपालिका र गाउँपालिकाको समान छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफैले कर तथा शुल्कको दर निर्धारण गरी संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका मुख्य करहरुमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा बहाल कर रहेको छ भने शुल्कमा नक्सापास, इजाजत, प्रमाणित, सिफारिश आदि रहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहले आफ्नो सम्पत्ति परिचालनबाट र सार्वजनिक जग्गाबाट बहाल विटौरी लिन सक्ने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतहरुको विक्री, निकासीबाट समेत आय संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

कानूनले स्थानीय तहलाई आन्तरिक आय परिचालन गर्नसक्ने उल्लेख्य अधिकार दिएको भएतापनि स्थानीय तहहरूले त्यसको पुर्णरूपमा परिचालन गर्न सकिरहेका छैनन्। जसको मुख्य कारणमा स्थानीय तहको संरचना नयाँ भएकोले त्यसको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि, संगठनात्मक व्यवस्था, सूचना तथा तथ्यांकको स्थापना, आयको संभाव्यता अध्ययन, नियन्त्रण प्रणालीको स्थापना आदिको स्थापना तथा अभ्यासको कमी हुनु रहेको छ।

यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सैनामैना नगरपालिकाले आफ्नो आय परिचालन क्षमतामा सुधार ल्याउनको लागि राजश्व सुधार अध्ययन तथा कार्ययोजना तर्जुमा कार्य गरेको छ। प्रस्तुत अध्ययन कार्याले स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारपक्षहरुलाई आय परिचालन सम्बन्धमा अभिमुखिकरण, आयको दायरा विस्तार, दरमा सुधार, प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार तथा नयाँ स्रोतहरुको पहिचान गरी सो को सम्भाव्यता

पहिचान गर्न कार्यशाला आयोजना, कर तथा शुल्कको दर निर्धारणमा सहयोग, तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्थापनामा सहयोग गर्ने रहेको छ । भएका कार्यहरूलाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार गरी नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजनाको प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।

### ३. अध्ययनको उद्देश्य

यस अध्ययनको समग्र उद्देश्य नगरपालिकाको आन्तरिक आयको विद्यमान अवस्था, आन्तरिक स्रोतको सम्भावना तथा आगामी आर्थिक वर्षको आय प्रक्षेपण सहितको राजश्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्नु हो । यस कार्यको विशिष्टिकृत उद्देश्य देहाय अनुसार रहेका छन् :

- स्थानीय तहको आय अधिकार तथा सुधार योजना सम्बन्धमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, राजश्व परामर्श समिति, शाखा प्रमुखहरू, राजश्व प्रशासनमा सम्लग्न कर्मचारी तथा सराकारवालाहरूलाई अभिमुखिकरण गर्ने ।
- आन्तरिक आय बृद्धिको लागि आयका प्रमुख स्रोतहरूको सम्भावना र यथार्थ असुलीमा भएको फरकको पहिचान गर्ने ।
- आन्तरिक आयको बृद्धिदर तथा कुल आयमा आन्तरिक आयको हिस्साको बृद्धिदरको विश्लेषण गर्ने ।
- राजश्व प्रशासनको संस्थागत व्यवस्था, विलिङ्ग तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विश्लेषण गर्ने ।
- नगरपालिकाको आन्तरिक आय बृद्धिका सम्भावनाहरू पहिचान गरी आय सुधार रणनीति र प्रक्षेपण सहितको आन्तरिक आय सुदृढिकरण कार्ययोजना तयार गर्ने ।
- आयका नयाँ सम्भावनाहरूको पहिचान गर्ने ।
- नगरपालिकाले अपनाउनु पर्ने आय सुधार रणनीति सहितको राजश्व सुधार कार्य योजना तयार गर्ने ।
- आय परिचालनको लागि क्षमता विकासका मुख्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सुभाव प्रदान गर्ने ।
- राजश्व सुधार कार्ययोजना तयारीको प्रकृयागत मार्गदर्शन तयार गर्ने ।

### ४. अध्ययनबाट अपेक्षित उपलब्धि

सैनामैना नगरपालिकाको राजश्व अध्ययन कार्यबाट देहाय अनुसारको नतिजाहरू अपेक्षा गरिएको छ । जुन देहाय बमोजिम छन् :

- ४.१. नगरपालिकाबाट अभ्यास भैरहेको हालको राजस्व प्रणालीका विविध पक्षहरूको मूल्याङ्कन हुने र कार्य संचालनमा भएका कमी कमजोरीहरू पहिचान भई समिक्षा हुनेछ ।
- ४.२. गत आ.व.को समग्र राजस्व तथा व्ययका प्रवृत्तिहरूको लेखाजोखा हुनेछ ।
- ४.३. राजस्व संकलन बृद्धिका सम्भावनाहरूको पहिचान भएको हुनेछ ।
- ४.४. नगरपालिकाको राजश्व संकलनको क्षेत्रमा सुधारका उपायहरू प्रस्ताव भएको हुनेछ ।

### ५. कार्यक्रम संचालन विधि तथा प्रक्रिया

उल्लेखित कार्यका लागि सम्बन्धित विभिन्न सन्दर्भ सामाग्रीहरूको अध्ययन, तथ्याङ्क तथा सूचना संकलनका लागि आवश्यक फारमहरूको विकास, तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण, सहभागिता मूलक छलफल, कार्यशाला गोष्ठी तथा प्रस्तुतीकरण जस्ता विधिहरू प्रयोग गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा अवलम्बन गरिएका विधिहरूलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

#### ५.१ सन्दर्भ सामग्री संकलन तथा अध्ययन

अध्ययन कार्यको प्रथम चरणमा परामर्शदाता समुहबाट विभिन्न स्रोतहरूबाट सन्दर्भ सामाग्रीहरू संकलन तथा पुनरावलोकन गरिएको थियो । यस क्रममा अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिएको मुख्य सामाग्रीहरू अनुसूची १मा दिईएको छ ।

## **५.२ तथ्यांक/सूचना संकलन फारम तथा सूची विकास**

सन्दर्भ सामाग्रीको अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात परामर्शदाताहरुबाट तथ्यांक तथा सूचना संकलनका लागि आवश्यक फारमहरुको विकास गरिएको थियो । नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्यक्रमको सन्दर्भमा तथ्यांक संकलनको लागि प्रयोग गरिएको फारम अनुसूची ३मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

## **५.३ प्रारम्भिक बैठक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम**

राजश्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमाको लागि परामर्शदाताको टोली २०७५ फागुन ८ गते सैनामैना नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा राजश्व शाखा प्रमुखसंग प्रारम्भिक भेटघाट गरेको थियो, सो छलफलमा अर्को दिनको कार्यक्रमको ढाँचा र हासिल गर्न खोजिएको उपलब्धीहरुका बारेमा जानकारी तथा छलफल गरिएको थियो । त्यसको अर्को दिन अर्थात फागुन ९ गते स्थानीय तहको राजश्व परिचालन सम्बन्धमा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरु, राजश्व परामर्श समिति, कर्मचारीहरु तथा अन्य सरोकारपक्षहरुलाई अभिमुखीकरण गर्न तथा राजश्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गर्न अभिमुखीकरण तथा प्रारम्भीक कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । अभिमुखीकरण तथा प्रारम्भीक कार्यशाला गोष्ठीको अध्यक्षता नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं राजश्व परामर्श समितिकी संयोजक विना राना र नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम संचालन भएको थियो ।

कार्यक्रममा सहजकर्ताहरु अनिरुद्र नेपाल र राजेन्द्र प्याकुरेलले स्थानीय तहको राजश्व अधिकारका सैद्धान्तिक तथा कानुनी र प्रशासनिक पक्षहरुको प्रस्तुती र त्यसमाथि छलफल भएको थियो । नगरपालिकाको आन्तरिक आयका मुख्य स्रोतहरु, तिनको सम्भाव्यता तथा हालको परिचालनको अवस्थावारे छलफल भई सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुमा समेत बुदागत रूपमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुको रूपमा राजश्व सुधार कार्ययोजनाको प्रतिवेदन तयारीका लागि आवश्यक पर्ने सूचनाहरुको आवश्यकतावारे छलफल गरिएको थियो ।

यसैगरी राजश्व सुधार कार्ययोजनाको लागि तथ्यांक प्राप्त गर्ने विधि, राजश्वका दर र दायरा अनुमान गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयहरु तथा अन्य प्राविधिक पक्षहरुलाई समेटी प्रस्तुतीकरण तथा छफिल गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारी र नगर प्रमुखचित्रबहादुर कार्कीले सैनामैना नगरपालिकामा आन्तरिक आय परिचालनका क्रममा आइपरेका समस्याहरुको विश्लेषण गर्दै यस राजश्व सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले उपरोक्त समस्याहरु समाधान गर्नमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै आन्तरिक राजश्व वृद्धि मार्फत सैनामैना नगरपालिकाको विकासका लागि स्रोत साधनको जोहो गर्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नु भएको थियो । पहिलो चरणको अभिमुखीकरण तथा प्रारम्भीक कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रमको तालिका तथा उपस्थिति विवरण यस कार्ययोजना प्रतिवेदनको अनुसूची ४ मा प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यशाला गोष्ठीमा ..... जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

## **५.४ तथ्यांक/सूचना संकलन**

अध्ययनका क्रममा परामर्शदाताहारा नगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरु, सरोकारवाला पक्षहरु, स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकनबाट आवश्यक तथ्यांक एवं सूचनाहरु संकलन गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा निम्न क्षेत्रगत तथ्यांक एवं सूचनाहरु संकलन गरियो :

- राजश्व प्रशासनिक व्यवस्था तथा सूचना प्रवाह सम्बन्धी विवरण
- गत बर्ष तथा चालु बर्षको हालसम्मको यथार्थ आय विवरण
- चालु बर्षको आर्थिक ऐन तथा बजेट
- आन्तरिक आय संकलनको अवस्था, स्रोत, क्षेत्र तथा दर सम्बन्धी विस्तृत विवरण
- आन्तरिक आय संकलनको संभावित नयाँ क्षेत्रहरु सम्बन्धी तथ्यांक तथा सूचना (सम्बन्धित तथ्यांक, सरोकार पक्षहरु संग छलफल, स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन)

## **५.५ तथ्याङ्क विश्लेषण तथा प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी**

प्रारम्भिक छलफल, अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांक तथा सुचनाहरूलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न तथ्यांकिय औजारहरु तथा विधि तथा सुव्रहरुको प्रयोग गरिएको छ । यसरी विभिन्न विधिहरूबाट विश्लेषण गरि प्राप्त नतिजा तथा जानकारीहरूलाई व्यवस्थित रूपले तालिकामा प्रस्तुत गरि राजश्व सुधार कार्ययोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

## **५.६ अन्तिम कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना**

सैनामैना नगरपालिकाको आयोजनामा २०७५ साल चैत्र २८ गते मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुती तथा सो उपर सुभाव संकलनको लागि एकदिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । कार्यशाला गोष्ठी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं ..... को अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको थियो । गोष्ठीमा नगरपालिकाका ..... हरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा प्राविधिक टोलीको तर्फबाट अनिरुद्र नेपालले शिर्षकगत रूपमा मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरी सो माथि भएको छलफल भई आएका सुभावहरु संकलन गरिएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री .....ले सबैलाई धन्यवाद दिई कार्यक्रमको समापन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागिहरुको नामावली अनुसूची ५ मा दिइएको छ । कार्यक्रममा जम्मा ..... जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

## **५.७ मस्यौदा कार्ययोजना सम्बन्धित नगरपालिका समक्ष पेश**

मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि नगरपालिकाको गोष्ठीबाट प्राप्त सुभावहरूलाई समावेश गरी यो मस्यौदा प्रतिवेदन कार्यक्रममा मुख्य सरोकारपक्ष सैनामैना नगरपालिका समक्ष सुभावको लागि पेश गरिएको थियो ।

## **६. अध्ययनको सीमा**

सैनामैना नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्य योजना क्षेत्र व्यापक रहेको भएता पनि सिमित स्रोत साधन, पर्याप्त सुचनाको अभाव, सिमित समयका कारण यस अध्ययनका सीमाहरु देहाय अनुसारका रहेका छन् :

- अध्ययन तथा विश्लेषण कार्य प्रमुख रूपमा कार्यालयको अभिलेख, दस्तावेज प्रतिवेदन तथा द्वितीय स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूको आधारमा तयार गरिएको छ । यसका अतिरिक्त नगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीहरु तथा अन्य सरोकारपक्षहरूसंग भएको छलफलबाट प्राप्त सूचनाहरू समावेश गरिएको छ ।
- नगरपालिकाको आन्तरिक आय तथा स्रोत परिचालन सम्बन्धी अध्ययनकोलागि उपलब्ध गराईएको फाराम अनुसार प्राप्त तथ्याङ्क, अभिलेख तथा आंशिक स्थलगत अध्ययनबाट संकलन गरिएको छ । तथ्यांक संकलनकोलागि विस्तृत स्थलगत सर्वेक्षण कार्य भएको छैन ।
- स्थानीय तह तथा प्रदेश तहको साभा अधिकारको सूचीमा रहेका आयका स्रोतहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने राजश्वको वाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था हालसम्म स्पष्ट नभएकोले अनुमानको आधारमा प्रक्षेपण गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपका प्रदेशसंगको राजश्व वाँडफाँडको व्यवस्था स्पष्ट भए पश्चात् यस प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ, जुन कार्य यस अध्ययनको कार्यक्षेत्रमा समावेश छैन ।
- नगरपालिकाको जनसंख्या तथा आर्थिक गतिविधिमा हुने बृद्धि, नगरपालिकाको सेवामा हुने बृद्धि र नागरिक संतुष्टिमा हुने बृद्धि, मुल्यांकन दरमा हुने बृद्धि तथाराजस्वका दरको पुनरावलोकन आदि कृयाकलापहरुले भविष्यको राजस्व संकलनमा असर गर्ने भएता पनि यि तथ्यांकहरु उपलब्ध नभएकोले आय प्रक्षेपणमा आधार लिन सकिएको छैन ।

## परिच्छेद- दुई

### नगरपालिकाको समग्र परिचय

#### २.१. नगरपालिकाको परिचय

“दीर्घकालिन कृषी पर्यटन उद्योग र व्यापार वातावरणमैत्री अवस्था समृद्धिको आधार सैनामैना नगरपालिका ।” सैनामैना नगरपालिका प्रदेश नं. ५ को रूपन्देही जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। विश्व शान्तीका अग्रदृत तथा एसियाका तारा गौतम बुद्धको जन्मस्थल देखि करिब १५ कि.मी उत्तर मनोरम चुरे पहाडको काखमा अवस्थित यो नगरपालिकाको पूर्वमा बुटवल उप-महानगरपालिका, पश्चिममा कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका, उत्तरमा अर्धाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका, रैनादेवी छहरा र तिनाउ गाउँपालिका र दक्षिणमा शुद्धोधन, कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिका रहेका छन्।

साविकका पर्वोहा, दुधराक्ष र सालभन्डी गरि ३ वटा गाउँ विकास समितिलाई मिलएर यो नगरपालिका बनेको हो। हाल यस नगरपालिकामा ११ वटा वडा रहेका छन्। १६२.१८ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकामा २०६८ को जनगणना अनुसार जनसंख्या ५५८२२ रहेको छ। यहाँकोजनघनत्व ३४४.२ प्रति वर्ग कि.मि रहेको छ। तिब्र बसाई सराईले गर्दा दिन प्रतिदिन जनसंख्या अत्याधिक बढ्दि भईरहेको छ। नगरपालिका भित्र सबै जातजाती, भाषाभाषी संस्कृति एवं परम्पराको समिश्रण रही सुमधुर सम्बन्ध सहितको बसोबास पाईन्छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्व बोकेको सैनामैना नामाकरणले पनि यसको छुट्टै महत्व बोकेको छ। विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्वका स्थलहरू रहेको यो नगरपालिकाका गहनाको रूपमा पर्वोहा परमेश्वर बोलबमधाम, मलमला मन्दिर, मलमल चौरा बाबा, बोलबम पर्यटकीय पार्क विभिन्न मठ मन्दिरहरू, रानी कुवा, रानीबगिया आदि छन्।

#### भौगोलिक अवस्थिति:

अक्षांश : २७°३८' २९.१५" देखि २७° ४६" ६.६२" उत्तरसम्म

देशान्तर : ८३° १६' ७.२६" देखि ८३°२३" ३६.६२" पूर्वसम्म

#### सिमाना:

पूर्व: बुटवल उपमहानगरपालिका

पश्चिम: बाणगंगा नगरपालिका, कपिलवस्तु

उत्तर: शितगंगा नगरपालिका अर्धाखाँची, रैनादेवी छहरा र तिनाउ गाउँपालिका

दक्षिण: शुद्धोधन, कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिका

उचाई: समुद्र शतहबाट ३८१ फिट (११६.१३ मिटर) देखि ३९५० फिट -९६०१३ मिटर) सम्म

क्षेत्रफल: १६२.१८ वर्ग कि.मि.

लम्बाई: सरदर १५ कि.मि.

हावापानी: उष्ण

जनसंख्या: ५५८२२

२.२. नगरको नामाकरण : सैनामैना नगरपालिका

२.३. नगरको प्रशासनिक विभाजन : ११ वडा

२.४. नगरका मुख्य नदी, खोला तथा तालतलैयाहरू:

मुख्य नदीहरू: कञ्चन नदी, दानव नदी, इडगुरिया नदी, बनरहवव नदी

खोलाहरू: धमाहा, तुल्बुलिया, मार्थिबा, मेगाहा

तालतलैयाहरू: मेगाहा ताल

## २.५. धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू:

१. पर्वेहा परमेश्वर श्रावणी मेला गुरु पूर्णिमा देखि शुरु भई जनै पुर्णिमासम्म १ महिना मेला लाग्ने र शिव ज्योतिरलिङ्ग उत्पती भएको किम्बदन्ती ।
२. मलमला मन्दिर नवरात्री र सरस्वती पूजाको दिन ।
३. मलमलाचौर बाबा: थारु समुदायले शिवको रूपमा पुजा गर्ने
४. किरातेश्वर महादेवा मन्दिर: बासगढी ठुली उक्काली शिवरात्री
५. कालमोचन शिवालय शिवरात्री
६. दुर्गा मन्दिर मुर्गिया
७. गोरखनाथ सैनामैना
८. रानी कुवा, वडा कुवा लगायतका प्राचिन कुवा राजपरिवारले प्रयोग गर्ने
९. सैनामैना संग्राहालय, प्राचिन दरबार, मन्दिरका भग्नाव शेषहरु पुरातात्त्विक महत्वका वस्तु रहेको
१०. कोटियादेवी मन्दिर, कोटहीमाई, महेरहवा देवी मन्दिर, राजापानी स्थल, फुलबारी आदि जस्ता धार्मिक र पर्यटकीय स्थल रहेको ।

## २.६. नगरपालिकाका वडाहरूको क्षेत्रफल र जनसंख्या (२०८८)

| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि) | घरधुरी संख्या | पुरुष | महिला | जम्मा | जनधनत्व |
|---------|------------------------|---------------|-------|-------|-------|---------|
| १       | १३.४४                  | १७३२          | ३५३५  | ४१८३  | ७७१८  | ५७४.३   |
| २       | १२.७४                  | ७६९           | १५११  | १९९९  | ३४२२  | २६८.६   |
| ३       | ८.६५                   | ९७४           | १८४५  | २२७३  | ४११८  | ४७६.९   |
| ४       | ६.७२                   | १६४३          | ३३१९  | ३९६०  | ७२७९  | १०८३    |
| ५       | १६.०४                  | १२४५          | २८०३  | ३१५०  | ५९५३  | ३७१.१   |
| ६       | २२.३                   | १२२२          | २४६९  | २९६४  | ५४३३  | २४३.६   |
| ७       | ८.३५                   | ८५७           | १९१२  | २२०९  | ४१२१  | ४९३.६   |
| ८       | ६.५४                   | ८७६           | १८१७  | १९८८  | ३८०५  | ५८१.८   |
| ९       | २१.४४                  | ७५५           | १४८०  | १८४९  | ३३२९  | १५५.३   |
| १०      | २५                     | १२६९          | २५२३  | ३०८३  | ५६०६  | २२४.२   |
| ११      | २०.९६                  | १०५०          | २३१४  | २७२४  | ५०३८  | २४.४    |
| जम्मा   | १६२.२                  | १२३९२         | २५५२८ | ३०२९४ | ५५८२२ | ३४४.२   |

## २.७. नगरपालिकाको मानवीय संसाधन

सैनामैना नगरपालिका गठन भएपछात भएको पहिलो निर्वाचन २०७४ ..... गते सम्पन्न भई हाल सोही निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मार्फत नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन भई आएको छ । यस नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा संगठन संरचना स्वीकृत नगरेको भएता पनि हाल नगर कार्यपालिकामा देहाय अनुसार शाखा र .... वटा वडाहरुमा वडा कार्यालयहरु रहेका छन् ।

१. प्रशासन शाखा
२. योजना तथा प्राविधिक शाखा
३. वातावरण शाखा
४. राजश्व परिचालन शाखा
५. सामाजिक विकास शाखा
६. लेखा शाखा
७. सूचना तथा सञ्चार शाखा
८. शिक्षा शाखा
९. स्वास्थ्य शाखा
१०. कृषि तथा पुश विकास शाखा
११. कानून शाखा

## परिच्छेद - तीन

### स्थानीय तहको राजश्व अधिकारको लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था

यस परिच्छेदमा उपलब्ध कानुनी व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाको आन्तरिक आय परिचालनको सम्भाव्यतालाई शिर्षकगत रूपमा विस्तृतमा विश्लेषण गरिएको छ । यसबाट आन्तरिक आय परिचालनको अवस्था तथा सम्भावनाको विस्तृत विश्लेषण भई पहिचान गरिएको मुद्दाहरूलाई राजश्व सुधार कार्ययोजनाले संवोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

#### ३.१ स्थानीय तहको राजश्व अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२को अनुसूची ८ रहेको स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार मध्ये राजश्व अधिकार अन्तर्गत देहाय बमोजिमका अधिकार प्रदान गरेको छ:

- सम्पत्ति कर
- मनोरञ्जन कर
- सवारी साधन कर
- घर जग्गा बहाल कर
- विज्ञापन कर
- व्यवसाय कर
- घर जग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुर
- प्राकृतिक स्रोतको आय
- सेवा शुल्क दस्तुर
- दण्ड जरिवाना

संघीय कानुन (स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीय तहलाई निम्नानुसार आय संकलन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ :

##### (क) नगरपालिका वा नगरपालिकाको एकल अधिकार:

###### कर

- सम्पत्ति कर, घर र सो ले चर्चेको लेन्ट एरिया जग्गामा (आर्थिक विध्यक २०७५ वाट संसोधित व्यवस्था)
- भूमि कर (मालपोत), सम्पत्ति कर लगाउने भनि तोकिएको घरजग्गा वाहेकको अन्य जग्गामा (आर्थिक विध्यक २०७५ वाट संसोधित व्यवस्था)
- घर जग्गा बहाल कर
- व्यवसाय कर: पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा
- सवारी कर (टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा, इरिक्सा)
- जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : आफ्नो क्षेत्रभित्र ऊन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी माल, जीवजन्तुको हाड, सीड, प्वाँख, छालाको व्यवसायिक उपयोग गरे बापत

###### शुल्क

- बहाल बिटौरी शुल्क : आफुले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत
- पार्किङ शुल्क : आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराए बापत ।

## सेवा शुल्क

- आपनो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केवलकार, ट्रैकिङ, कायफिङ्ग, बज्जी जम्प, जिपफ्लायर, प्याराग्लाइडिङ आदि मनोरञ्जन तथा साहसी खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा
- आफुले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पुर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको सेवामा सेवामा(खानेपानी, विजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह, फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल निकास, सडक वर्ति, शौचालय, पार्क, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, पर्यटकीय स्थल, हाटवजार, पशु वधशाला, शवदाह गृह, धोविघाट, सडक, वसपार्क, पुल आदि)
- अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्यांकन सेवा शुल्क
- सिफारिस सम्बन्धी कुनै सेवा शुल्क

## दस्तुर

- दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण दस्तुर:
  - एफएम रेडियो सञ्चालन, घ वर्गको निर्माण इजाजत पत्र, विद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापारिक फर्म, सहकारी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम, दयुसन, कोचिङ, औषधि पसल, प्लटिङ
  - दुङ्गा, गिट्री, वालुवा, माटो, खरीदुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तुको सर्भेक्षण, उत्खनन तथा उपयोग
- नक्सा पास दस्तुर (नक्शा पास नगरी निर्माण भएकालाई तेब्वर दस्तुर)
- पंजिकरण व्यवस्थापन दस्तुर
- बडा मार्फत गरिने सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुर- दफा १२ (२ ड) अनुसारको सिफारिश तथा प्रमाणित बापत
- जग्गा नाप जाँच तथा कित्ता काट दस्तुर
- दुङ्गा, गिट्री, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीदुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको निकासी शुल्क दस्तुर(दफा ११ (२) (घ) (६))

## विक्री

- वस्तु तथा सेवा विक्री
- दुङ्गा, गिट्री, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीदुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको विक्री (दफा ११ (२) (घ) (६))

(ग) प्रदेश तथा संघीय कानून अनुसार प्राप्त हुने (दफा ११ (४)) :

- प्राकृतिक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोयल्टी
- खनिज पदार्थको उत्खनन रोयल्टी
- सामुदायिक वनको सञ्चालन व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी
- पानी घटट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोयल्टी
- प्राकृतिक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोयल्टी
- खनिज पदार्थको उत्खनन रोयल्टी
- सामुदायिक वनको सञ्चालन व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी
- पानी घटट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट रोयल्टी
- खानेपानी महसुल

- स्थानीय साना सतह तथा भूमिगत सिंचाई सेवा शुल्क
- स्थानीय स्तरमा जडिवुटी तथा गैरकाष्ठ बन पैदावार उत्पादन, संकलन, प्रसोधन र वजार व्यवस्थापन
- जनरल अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, संचालन अनुमति
- स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, नविकरण
- इन्टरनेट सेवा, टेलीसेन्टर, केवल, तारविहिन टेलिभिजन प्रसारण अनुमति, नविकरण
- स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको दर्ता

संघीय कानून (अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीय तहलाई निम्नअनुसार वित्तिय अधिकार प्रदान गरेको छ :

- (क) **एकल कर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था** (आर्थिक विधयक २०७५ वाट संसोधित व्यवस्था)
- (क) सवारी साधन करको दर प्रदेशल लगाउने र उठाउने तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतिय रिक्सामा सवारी साधन करको दर नगरपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने
  - (ख) घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र नगरपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने ।
  - (ग) मनोरंजन करको दर प्रदेशले लगाउने र नगरपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने
  - (घ) विज्ञापन करको दर नगरपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने
  - (ङ) (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको करबाट उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम नगरपालिका वा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ।
- (ख) **राजश्व बाँडफाँड**
- नेपाल सरकारले संकलन गरको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कबाट संकलन भएको रकमको १५ प्रतिशत स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने
    - आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम बाँडफाँड हुने
    - स्थानीय सञ्चित कोषमा मासिक रूपमा प्राप्त हुने
  - प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टिको बाँडफाँड आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत
    - प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्ट बार्षिक रूपमा प्राप्त हुने
  - प्रदेशले सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ।
    - प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई र ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने
    - आयोगले निर्धारण गरेको निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्ने
    - प्रदेशले मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने
- (ग) **अनुदान**
- वित्तीय समानीकरण अनुदान: खर्चको आवस्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त
  - सशर्त अनुदान: कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने

- सम्पूरक अनुदान : पूर्वाधार विकास सम्बन्धि कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न योजनाको कुल लागतको अनुपातका आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने
- विशेष अनुदान : कुनै खास उदेश्य र योजनाको लागि संघ र प्रदेशबाट

**(घ) बैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण**

- नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र बैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा बैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने
- नेपाल सरकारको सहमति लिएरमात्र वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सिमा भित्र आन्तरिक ऋण लिन सक्ने
- नेपाल सरकारसँग मनासिब कार्यकालागि ऋण लिन सक्ने

उपरोक्त व्यवस्थाहरूले स्थानीय तहलाई प्राप्त हुन सक्ने आयका स्रोतहरूलाई व्याख्या गरेको छ। स्थानीय तहले कानून बमोजिम वाहेक आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हुनुका साथै निम्न अनुसारका थप व्यवस्थाहरू रहेका छन्।

- कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, बस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल असर नहुने गरी लगाउनु पर्ने (संवैधानिक व्यवस्था)
- कर नलाग्ने : कुटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ, बैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सचालित परियोजनाबाट हुने पैठारी, सामुहिक वा संयुक्त आवासको विकृ नभएको स्टक, सामुहिक आवासको सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
- सेवा शुल्क असुली कार्य आफै वा व्यवस्थापन करार वा सार्वजनिक निजी साभेदारीबाट गर्न सक्ने

## परिच्छेदः ४

### ४.१. नगरपालिकाको आन्तरिक आय परिचालनको वर्तमान अवस्था

यस परिच्छेदमा सैनामैना नगरपालिकालाई प्राप्त संबैधानिक तथा कानुनी अधिकारको आधारमा सम्भाव्य आय शिर्षकहरूको परिचालन अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल रु. ७ करोड ६० लाख आन्तरिक आय अनुमान गरेकोमा माघ मसान्तसम्ममा जम्मा रु ३ करोड ३० लाख आय संकलन गरेको छ । त्यसैगरी चालु आ.व.को लागि राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमको अनुमान ११ करोड ४६ लाख, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३९ करोड ४ लाख गरी जम्मा ५८ करोड १० लाखको आय अनुमान गरेको छ । सैनामैना नगरपालिकाले चालु आ.व.मा सम्भावना भएका आय शिर्षकहरूको संभाव्यता, संकलनको अवस्था तथा दरको निर्धारण देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

#### नगरपालिकाको आन्तरिक आय परिचालनको वर्तमान अवस्था

| क्र.सं. | आयका शिर्षक  | सम्भावना                   | दर निर्धारण                           | संकलन                                   |
|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|
| क.      | <b>कर तर्फ</b>   |                            |                                       |   |
|         | भूमि कर (मालपोत)   | छ                          | भएको                                  | भएको                                    |
|         | सम्पत्ति कर  | छ                          | भएको                                  | भएको                                    |
|         | सवारी कर (टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा, इरिक्सा)   | छ                          | भएको                                  | भएको                                    |
|         | घर जग्गा बहाल कर   | छ                          | भएको                                  | भएको                                    |
|         | व्यवसाय कर   | छ                          | भएको                                  | भएको                                    |
|         | जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर   | छ                          | भएको                                  | .....                                   |
| ख.      | <b>गैर कर</b>  |                            |                                       |   |
|         | दुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीदुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको विक्री तथा निकासी शुल्क                         | छैन                        |                                       |   |
|         | नक्सापास दस्तुर  | छ                          | भएको                                  | भएको                                    |
|         | व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क   | छ                          | भएको                                  | भएको                                    |
|         | बहाल विटौरी शुल्क  | छ                          | भएको                                  | नभएको                                   |
|         | पार्किङ शुल्क  | छ                          | भएको                                  | भएको                                    |
|         | अस्पताल संचालन   | छैन                        |                                       |   |
|         | फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क  | छ                          | भएको                                  | भएको                                    |
|         | स्थानीय खानेपानी महसुल   | छैन                        |                                       |   |
|         | स्थानीय विद्युत महसुल  | छैन                        |                                       |   |
|         | केवलकार, टेकिङ, कायाकिङ, वन्जीजम्प, जिपफलाईडिङ आदि मनोरंजन तथा साहसी खेलकुद सम्बन्धी सेवा तथा व्यवसायमा सेवाशुल्क                                      | छैन                        |                                       |   |
|         | निर्माण, संचालन र व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पुर्वाधार तथा सेवामा सेवा शुल्क ( खानेपानी, विजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह, ढल निकास, | छ ( हाटवजार, सडक, वसपार्क) | हाटवजार: भएको सडक: भएको वसपार्क: भएको | हाटवजार: भएको सडक: नभएको बसपार्क: नभएको |

| क्र.सं. | आयका शिर्षक  | सम्भावना | दर निर्धारण | संकलन |
|---------|--|----------|-------------|-------|
|         | सडक वति, शौचालय, पार्क, पौडी पोखरी, व्ययमशाला, पर्यटकिय स्थल, हाटवजार, पशु बधशाला, शवदाह गृह, धोविघाट, सडक, वसपार्क, पुल आदि     |          |             |       |
|         | मूल्यांकन सेवा शुल्क   | छ        | भएको        | भएको  |
|         | दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण दस्तुर (एफएम रेडियो संचालन, घ वर्गको निर्माण इजाजतपत्र, विद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापारिक फर्म | छ        | भएको        | भएको  |
|         | बडा मार्फत गरिने सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुर   | छ        | भएको        | भएको  |
|         | दण्ड जरिवाना   | छ        | भएको        | नभएको |

कर तर्फ सैनामैना नगरपालिकाले भूमिकर (मालपोत), व्यवसाय कर र घरजग्गा वहाल करको दर निर्धारण गरि असुलीको व्यवस्था समेत गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक ऐनले स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करको सदृश सम्पत्ती कर र भूमिकर (मालपोत) लिन पाउने व्यवस्था गरे अनुसार चालु आर्थिक वर्षबाट सोही अनुसार कर असुली गरिरहेको छ।

यो नगरपालिका २ वर्ष अघि मात्र स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापना भएकोले मौजुदा कानून अनुसार नगरपालिकाले संकलन गर्न सक्ने अधिकांश कर तथा गैर करका श्रोतहरुको दर निर्धारण गरेको भएतापनि सो को उपयोग गरि राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन। गैरकर तर्फ नगरपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता, मूल्यांकन सेवा शुल्क र सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुर मात्र संकलन गरि आएको छ। नगरपालिकाले नक्सापास दस्तुर र वहाल विटाईको दर निर्धारण गरी आय संकलन गरिरहेको छ।

#### ४.२. आन्तरिक स्रोत तर्फका राजश्व संकलनको प्रमुख क्षेत्र र सम्भावना विश्लेषण

##### ४.२.१ स्थानीय कर

###### क. सम्पत्ति कर

हालको अवस्था: नगरपालिकाले २०७५।७६ को आर्थिक ऐनवाट सडकको प्रकार, वस्ती र घरको तल्लाको आधारमा सम्पत्ति करको दर तोकेको पाईन्छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐनले नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रसम्पत्ति कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। चालु आ.व. २०७५।७६ देखिसम्पत्तिकर लगाउनु पर्ने प्रावधान सोही ऐनले गरेको छ। सम्पत्ति करको परिभाषामा घर र घरले चर्चेको जग्गाको मात्र लिन पाईने नेपाल सरकारको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

यस नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरिएको दर, अनुमान गरिएको सम्पत्ती कर र माघ मसान्तसम्म असुलीको अवस्था देहाय अनुसार रहेको छ।

###### जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन

| क्र. सं | विवरण                                 | न्यूनतम मूल्याङ्कन रु     |                                |           |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
|         |                                       | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | खेतियोग्य |
| १       | लोकमार्ग मोहडा पर्ने                  | ५५०००००                   |                                | ५०००००    |
| २       | लोकमार्ग बजार क्षेत्र (२०० मिटर सम्म) | ३५०००००                   | २५०००००                        | ४०००००    |

| क्र. सं | विवरण  | न्यूनतम मूल्याङ्कन रु     |                                |           |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------|
|         |  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | खेतियोग्य |
| ३       | लोकमार्गको २०० देखि ५०० मिटर सम्म  | २५०००००                   | २००००००                        | ३०००००    |
| ४       | लोक मार्ग सँग जोडिएका ३० पूट मोहडा भएका लोक मार्ग देखि ५०० मि. भन्दा टाढा      | २००००००                   | १००००००                        | २०००००    |
| ५       | अन्य लोक मार्ग सँग जोडिएका २० फूट मोहडा भएका लोक मार्ग देखि ५०० मि. भन्दा टाढा | २००००००                   | १००००००                        | २०००००    |
| ६       | मेजर सडक माहडा लोकमार्गदेखि ५०० मिटर भन्दा टाढा                                | २५०००००                   | २००००००                        | २०००००    |
| ७       | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक मोहडा ५०० मि.सम्म                                       | ३००००००                   |                                | २०००००    |
| ८       | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक मोहडा ५००-१००० मि.सम्म                                  | २००००००                   | १५०००००                        | २०००००    |
| ९       | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक मोहडा १००० मि.देखि टाढा                                 | १८०००००                   | १३०००००                        | २०००००    |
| १०      | कलौनी -लुम्बिनी सडक मोहडा ५०० मि.सम्म  | ३००००००                   |                                | २०००००    |
| ११      | कलौनी -लुम्बिनी सडक मोहडा ५००-१००० मि.सम्म                                     | २००००००                   |                                | २०००००    |
| १२      | कलौनी -लुम्बिनी सडक मोहडा १००० मि.देखि टाढा                                    | १८०००००                   | १३०००००                        | २०००००    |
| १३      | सालझण्डी -ढोरपाटन सडक ५०० मि. सम्म   | ५००००००                   |                                | २०००००    |
| १४      | सालझण्डी -ढोरपाटन सडक मोहडा ५००-१०००   | ३५०००००                   |                                | २०००००    |
| १५      | सालझण्डी -ढोरपाटन सडक मोहडा १००० देखि टाढा                                     | २००००००                   |                                | २०००००    |
| १६      | सैनामैना रिझरोड मोहडा ५०० मि. भन्दा टाढा                                       | २००००००                   | १००००००                        | २०००००    |
| १७      | अन्य भित्री सडक लोक मार्ग देखि ५०० मि. भन्दा टाढा                              | २००००००                   | १००००००                        | २०००००    |

#### द्रस्टव्य

- जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा सडक सँग जोडिएको जग्गामा सडक देखि १२० फिटलाई घडेरी मानी सो भन्दा पछाडिको जग्गालाई खेतियोग्य मानेर मूल्याङ्कन गर्ने ।
- वेदर्ता जग्गाको हकमा उपरोक्त मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशत मूल्य कायम गर्ने ।
- वेदर्ता जग्गामा बनेको संरचनाको लागि बहाल विटौरी कर र संरचना निर्माण नभएको जग्गामा पूर्वाधार विकास शुल्क लिने ।
- जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा लोकमार्ग मोहडा सँग जोडिएको जग्गामा सडक देखि १२० फिट भन्दा टाढा अर्को सडकमा मोहडा परेमा बजार क्षेत्रमा परेमा सोही अनुसार र सो भन्दा टाढा भित्री सडक सरह कायम गर्ने ।
- सैनामैना रिझरोडमा कालो पत्रे भए पछि मात्र कालो पत्रेको मूल्य अनुसार कायम गर्ने ।

#### भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन

| क्र.सं. | घरको बनौट  | मूल्याङ्कन दर प्रति वर्ग फिट रु. | ब्रासकटी % प्रति वर्ष | कटी गर्ने जम्मा वर्ष |
|---------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| १       | सेड वा कच्ची घर  | ५००                              | संलग्न सिट वर्मोजिम   |                      |
| २       | माटोको जोडाईमाइट्रावा ढुङ्गाको गारो - जस्ताटायलको छाना | ८००                              |                       |                      |

|   |  |      |  |
|---|--|------|--|
| ३ | माटोको जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो -<br>आर.सि.सि. वा सिमेण्ट जोडाईमाइट्रावा<br>दुङ्गाको गारो - जस्ताटायलको छाना | १००० |  |
| ४ | सिमेण्ट जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो -<br>आर.सि.सि. छाना   | १२०० |  |
| ५ | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर  | १५०० |  |

### संरचनाको हास कट्टी दर

| संरचनाको आयु  | संरचनाको किसिम                  |  |   |  |                    |
|---------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------|
|               | आर.सि.सि.<br>फ्रेम<br>स्ट्रक्चर | सिमेण्ट<br>जोडाईमाइट्रावा<br>दुङ्गाको गारो -<br>आर.सि.सि. छाना | माटोको<br>जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको<br>गारो - आर.सि.सि. वा<br>सिमेण्ट जोडाईमाइट्रावा<br>दुङ्गाको गारो -<br>जस्ताटायलको छाना | माटोको<br>जोडाईमाइट्रावा<br>दुङ्गाको गारो -<br>जस्ताटायलको<br>छाना | सेड वा<br>कच्ची घर |
| १ - ३ वर्ष    | ६                               | ९  | १२  | १५   | २०                 |
| ४- ६ वर्ष     | १२                              | १८   | २४  | ३०   | ४०                 |
| ७- ९ वर्ष     | १८                              | २७   | ३६  | ४५   | ६०                 |
| १०- १२ वर्ष   | २४                              | ३६   | ४८  | ६०   | ८०                 |
| १३- १५ वर्ष   | ३०                              | ४५   | ६०  | ७५   | ९०                 |
| १६- १८ वर्ष   | ३६                              | ५४   | ७२  | ९०   | ९०                 |
| १९- २१ वर्ष   | ४२                              | ६३   | ८४  | ९०   | ९०                 |
| २२- २४ वर्ष   | ४८                              | ७२   | ९०  | ९०   | ९०                 |
| २५- २७वर्ष    | ५४                              | ८१   | ९०  | ९०   | ९०                 |
| २८- ३० वर्ष   | ६०                              | ९०   | ९०  | ९०   | ९०                 |
| ३१- ३२ वर्ष   | ६६                              | ९०   | ९०  | ९०   | ९०                 |
| ३४- ३६ वर्ष   | ७२                              | ९०   | ९०  | ९०   | ९०                 |
| ३७- ४० वर्ष   | ७८                              | ९०   | ९०  | ९०   | ९०                 |
| ४१- ४३ वर्ष   | ८४                              | ९०   | ९०  | ९०   | ९०                 |
| ४४- ४६ वर्ष   | ९०                              | ९०   | ९०  | ९०   | ९०                 |
| ४६ भन्दा माथि | ९०                              | ९०   | ९०  | ९०   | ९०                 |

### सम्पत्ति करको दर

| कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य                       | वार्षिक दर       |
|---|------------------|
| दश लाख रुपैयासम्मको मूल्यांकनमा                 | एकमुष्ठ रु १००   |
| दश लाख रुपैयादेखि दुई करोड रुपैयासम्म           | प्रति लाख रु. १० |
| दुई करोड एक लाख रुपैयादेखि तीन करोड रुपैयासम्म  | प्रति लाख रु. १८ |
| तीन करोड एक लाख रुपैयादेखि चार करोड रुपैयासम्म  | प्रति लाख रु २२  |
| चार करोड एक लाख रुपैयादेखि पाँच करोड रुपैयासम्म | प्रति लाख रु. २५ |
| पाँच करोड भन्दा माथि                            | प्रति लाख २७     |

## ख. भूमिकर (मालपोत)

**हालको अवस्था:** आर्थिक ऐनले मालपोतको दर प्रति कट्ठा न्यूनतम रु २० देखि ५५० सम्म निर्धारण गरी संकलन गरी आएको छ। जग्गाको गुणस्तर र मूल्याङ्कनको आधारमा न्यूनतम दर निर्धारण गरेको पाइन्छ। नगरपालिकाले वडा कार्यालयवाट मालपोत संकलन गरिआएको छ। संकलित मालपोत रकम वडा सचिवहरूले नगरपालिकाको राजश्व शाखामा हरेक महिनामा दाखिला गर्ने गरेका छन्। उपरोक्त विवरणलाई राजश्व शाखाले सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गर्न थालेको छ।

### भूमिकरको दररेट

| क्र.<br>सं | विवरण  | मूल्य र कायम गर्ने दर     |                                   |                                |                                   |                  |                                   |
|------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|            |  | जग्गाको<br>किसिम          | भूमिकरक<br>१ दरप्रति<br>कट्ठा रु. | जग्गाको किसिम                  | भूमिकरक<br>२ दरप्रति<br>कट्ठा रु. | जग्गाको<br>किसिम | भूमिकरक<br>३ दरप्रति<br>कट्ठा रु. |
| १          | लोकमार्ग मोहडा पर्ने   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ५५०                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                   | खेतियोग<br>य     | ५०                                |
| २          | लोकमार्ग बजार क्षेत्र<br>(२०० मिटर सम्म)   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ३५०                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | २५०                               | खेतियोग<br>य     | ४०                                |
| ३          | लोकमार्गको २०० देखि<br>५०० मिटर सम्म   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २५०                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | २००                               | खेतियोग<br>य     | ३०                                |
| ४          | लोक मार्ग सँग<br>जोडिएका ३० फूट<br>मोहडा भएका लोक<br>मार्ग देखि ५००<br>मि.भन्दा टाढा       | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १००                               | खेतियोग<br>य     | २०                                |
| ५          | अन्य लोक मार्ग संग<br>जोडिएका २० फूट<br>मोहडा भएका लोक<br>मार्ग देखि ५०० मि.<br>भन्दा टाढा | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १००                               | खेतियोग<br>य     | २०                                |
| ६          | मेजर सडक   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २५०                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | २००                               | खेतियोग<br>य     | २०                                |
| ७          | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा ५०० मि.सम्म  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ३००                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                   | खेतियोग<br>य     | २०                                |
| ८          | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा ५००-१०००<br>मि.सम्म  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १५०                               | खेतियोग<br>य     | २०                                |
| ९          | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा १००० मि.देखि<br>टाढा                                       | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | १६०                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १३०                               | खेतियोग<br>य     | २०                                |
| १०         | कलौनी -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा ५०० मि.सम्म   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ३००                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                   | खेतियोग<br>य     | २०                                |
| ११         | कलौनी -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा ५००-१०००<br>मि.सम्म   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                   | खेतियोग<br>य     | २०                                |
| १२         | कलौनी -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा १००० मि.देखि<br>टाढा  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | १६०                               | ग्राभेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १३०                               | खेतियोग<br>य     | २०                                |

|    |  |                        |     |                             |     |           |    |
|----|--|------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------|----|
| १३ | सालभण्डी -दोरपाटन सडक ५०० मि. सम्म                 | कालो पत्रे घडेरी जग्गा | ५०० | ग्रामेल / कच्ची घडेरी जग्गा |     | खेतियोग्य | २० |
| १४ | सालभण्डी -दोरपाटन सडक मोहडा ५००-१०००               | कालो पत्रे घडेरी जग्गा | ३५० | ग्रामेल / कच्ची घडेरी जग्गा |     | खेतियोग्य | २० |
| १५ | सालभण्डी -दोरपाटन सडक मोहडा १००० देखि टाढा         | कालो पत्रे घडेरी जग्गा | २०० | ग्रामेल / कच्ची घडेरी जग्गा |     | खेतियोग्य | २० |
| १६ | सैनामैना रङ्गरोड मोहडा ५०० मि. भन्दा टाढा          | कालो पत्रे घडेरी जग्गा | २०० | ग्रामेल / कच्ची घडेरी जग्गा | १०० | खेतियोग्य | २० |
| १७ | अन्य भित्री सडक लोक मार्ग देखि १००० मि. भन्दा टाढा | कालो पत्रे घडेरी जग्गा | २०० | ग्रामेल / कच्ची घडेरी जग्गा | १०० | खेतियोग्य | २० |

नोट: (क) सम्पत्ति कर लाग्ने घरजग्गा न भई कसैको नाममा भूमिकर लाग्ने जग्गा मात्र भएमा रु. ५० सम्मको करलाई न्यूनतम मानी भूमिकर लगाइनेछ ।

(ख) सम्पत्ति कर लाग्ने सम्पत्ति र जग्गामा सम्पत्ति करलाई न्यूनतम मानी सम्पत्ति कर लाग्ने वाहेकका जग्गामा माथि तोकिए बमोजिमको भूमिकर लगाइनेछ ।

#### ग. घरजग्गा वहाल कर

हालको अवस्था: सैनामैना नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, रयारेज, गोदाम, ठहरा, छप्पच, जग्गा वा पोखरी पुरै, आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा वहालमा दिएको कुल रकमको १० प्रतिशतको दरले वहाल कर लगाईने व्यवस्था अनुसार वहाल कर असुली गरिहेको छ । त्यसैगरी नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको देहाय बमोजिमका साधनहरूको वहाल (भाडा) को दर देहाय अनुसार निर्धारण गरिएको छ ।

#### प्रति कोठाको न्यूनतम मुल्याङ्कन

| कोठा विवरण | लोकमार्ग बजारक्षेत्र | लोकमार्ग अन्य क्षेत्र | भित्री कालोपत्रे बजार क्षेत्र | भित्री कालोपत्रे अन्य क्षेत्र | भित्री ग्रामेल बजार क्षेत्र | भित्री ग्रामेल अन्य क्षेत्र |
|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| सटर कोठा   | ४,०००                | ३,०००                 | २,५००                         | २,०००                         | १,५००                       | १,०००                       |
| अन्य कोठा  | २,०००                | १,५००                 | १,२००                         | १,०००                         | १,०००                       | ५००                         |

यस शिर्षक अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १ लाख ५० हजार मात्र आय अनुमान गरिएको रहेछ । तर सैनामैना नगरपालिका क्षेत्रमा भएको बजार विस्तारको आँकलन गर्दा यो अनुमान अत्यन्त न्यून रहेको छ । यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था तथा अन्य संस्थागत रूपमा भाडामा बसेका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले तिर्ने घरभाडाको भाडा कर पनि धेरै हुन्छ भने निजी आवासको लागि लगाईएको भाडाको कर पनि उतिकै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म यस शिर्षकमा जम्मा रु. ४ लाख ६८ हजार आम्दानी भैसकेको छ । शुरुको ७ महिनाको असुलीको विश्लेषण गर्दा बाँकी ५ महिनामा यस शिर्षकबाट १० लाख भन्दा बढी आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

**सम्भावना:** नगरपालिका क्षेत्रमा प्रशस्त रूपमा पसल व्यवसाय वा कार्यालय प्रयोजनका लागि घरजग्गा वहालमा लगाएको अनुमान छ । करिब १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, करिब ३० वटा सहकारी संस्था र करिब २५ वटा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु भाडाको घरमा बसिरहेका छन् भने निजी बसोवासको लागि करिब २०० परिवार भाडामा बसेका छन् । भाडामा लगाईएका मध्ये शुरुको वर्षमा ७० प्रतिशत घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउन सके नगरपालिकाको राम्रो आम्दानीको रूपमा घरजग्गा वहाल कर हुन सक्ने देखिन्छ ।

**सुधारका पक्षहरू:** नगरपालिकाले आफै तथा अन्य संघ/संस्थाले भाडामा लिएको भवनवाट घरजग्गा बहाल कर असुली कार्यको सुरुवात गर्ने, सम्पति कर र व्यवसाय करसँग वहाल सम्बन्धी आयलाई आवद्ध गर्ने, घरजग्गा बहाल लिनु अघि सो को जानकारी नगरपालिकामा प्राप्त गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा यसको असुली प्रभावकारी हुन सक्छ।

#### घ. व्यवसाय कर

हालको अवस्थाः नगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा व्यवसायको प्रकृति अनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ। व्यवसाय करको दर न्यूनतम रु १००० देखि अधिकतम रु ३०००० सम्म रहेको छ। यस वापत नगरपालिकाले चालू आ.व. को लागि व्यवसाय रजिस्ट्रेश दस्तुर बापत ३० लाख आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो। चालू आ.व. को माघ मसान्तसम्म यस शिर्षकबाट करिब २२ लाख आम्दानी भैसकेको छ। यसको तुलनामा अपेक्षा गरिएको लक्ष्य सजिलै पुरा हुने देखिन्छ। व्यवसाय कर संकलन पूर्ब व्यवसाय संचालनको लागि इजाजत दिने तथा वार्षिक कर संकलन गरी निविकरण गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। नगरपालिकाले चालू आ.व. को लागि व्यवसाय करको वार्षिक दर देहाय अनुसार निर्धारण गरेको छ।

#### व्यवसाय करको वार्षिक दर

| क्र.स | विवरण   | करको दर | कैफियत |
|-------|---|---------|--------|
| १)    | <b>मदिरा पसल</b>                                      |         |        |
|       | क) वितरक  | ५०००    |        |
|       | ख) थोक वितरक  | ३०००    |        |
|       | ग) खुद्रा विक्रेता                                    | २०००    |        |
| २)    | <b>सूर्तिजन्य</b>                                     |         |        |
|       | क) वितरक  | ५०००    |        |
|       | ख) थोक वितरक  | ३०००    |        |
|       | ग) खुद्रा विक्रेता                                    | २०००    |        |
| ३)    | <b>हल्का पेयपदार्थ</b>                                |         |        |
|       | क) थोक वितरक  | २०००    |        |
|       | ख) खुद्रा विक्रेता                                    | १०००    |        |
| ४)    | <b>सुनचाँदी पसल</b>                                   |         |        |
|       | क. फेन्सी गहना बनाई विक्री सो रुम (क) श्रेणी          | ५०००    |        |
|       | ख. फेन्सी गहना बनाई विक्री सो रुम (ख) श्रेणी          | ३०००    |        |
| ५)    | <b>औषधी पसल</b>                                       |         |        |
|       | क) उत्पादक  | ५०००    |        |
|       | ख) वितरक थोक  | ३०००    |        |
|       | ग) खुद्रा पसल डाक्टर भएको                             | २०००    |        |
|       | घ) खुद्रा पसल डाक्टर नभएको                            | १०००    |        |
| ६)    | <b>आयुर्वेदिक औषधी</b>                                |         |        |
|       | क) उत्पादक  | ५०००    |        |
|       | ख) वितरक  | २०००    |        |
|       | ग) खुद्रा   | १०००    |        |
| ७)    | <b>एग्रोभेट पसल</b>                                   |         |        |
|       | क. थोक (कृषि जन्य वित्र विजन, औषधी तथा अन्य सामाग्री) | १५००    |        |
|       | ख. खुद्रा (कृषि जन्य वित्र विजन मात्र)                | १०००    |        |
| ८)    | <b>स्टेशनरी पसल</b>                                   |         |        |

| क्र.सं | विवरण  | करको दर | कैफियत |
|--------|--|---------|--------|
|        | क. थोक   | २५००    |        |
|        | ख. खुद्रा  | २०००    |        |
|        | ग. मुद्रण सामाग्री                               | ३०००    |        |
|        | घ. कपी उच्चोग                                    | ३०००    |        |
| १)     | कस्मेटिक पसल                                     |         |        |
|        | क. थोक   | २५००    |        |
|        | ख. खुद्रा  | १५००    |        |
| १०)    | मोटर पार्ट्स तथा बोडि विल्डर्स सामाग्री          | ३०००    |        |
| ११)    | लुब्रिकेशन सेक्सन (मोबिल ग्रीस आदि) तर्फ         |         |        |
|        | क. थोक   | ३०००    |        |
|        | ख. खुद्रा  | १५००    |        |
| १२)    | पलाइ तथा ग्लास हाउस                              |         |        |
|        | क. थोक   | ३०००    |        |
|        | ख. खुद्रा  | १०००    |        |
| १३)    | व्याग हाउस                                       |         |        |
|        | क. थोक   | ३०००    |        |
|        | ख. खुद्रा  | १०००    |        |
| १४)    | धागो, टाक, चुड़ी, श्रीडगार पुजा सामाग्री पसल     |         |        |
|        | क. थोक   | ३०००    |        |
|        | ख. खुद्रा  | १५००    |        |
| १५)    | इलेक्ट्रोनिक/कम्प्युटर पसल                       |         |        |
|        | क. थोक   | ३०००    |        |
|        | ख. खुद्रा  | २०००    |        |
|        | ग. घड़ी रेडियो आदि                               | १५००    |        |
|        | घ. अडियो भिड़ीयो                                 | १५००    |        |
|        | ड) मोवाइल पसल                                    | १५००    |        |
| १६)    | विद्युत सामाग्री पसल                             |         |        |
|        | क. थोक   | ३०००    |        |
|        | ख. खुद्रा  | १५००    |        |
| १७)    | हार्डवेयर, मेशिनरी, पेन्ट्स, सेनेटरी, मार्वल पसल |         |        |
|        | क. थोक   | ४०००    |        |
|        | ख. खुद्रा छड, सिमेन्ट हार्डवेयर                  | ३०००    |        |
|        | ग) मेशिनरी                                       | ३०००    |        |
|        | घ) पेन्ट्स                                       | २०००    |        |
|        | ड) सेनेटरी, मार्वल पसल                           | ३०००    |        |
|        | च) अन्य खुद्रा                                   | २०००    |        |
| १८)    | पेट्रोलियम पदार्थ                                |         |        |
|        | क. ३ पम्प वा माथी                                | ५०००    |        |
|        | ख. २ पम्प  | ३०००    |        |
|        | ग. १ पम्प  | २०००    |        |

| क्र.सं | विवरण   | करको दर | कैफियत |
|--------|---|---------|--------|
|        | घ. पेट्रोलियम पदार्थ सव् डिलर                   | १५००    |        |
|        | ड. मट्टीतेल मात्र विक्री                        | १०००    |        |
|        | च. ग्यास सिलिण्डर डिलर                          | १५००    |        |
| १९)    | <b>स्टिल आल्मुनियम पसल</b>                      |         |        |
|        | क. थोक  | ५०००    |        |
|        | ख. खुद्रा                                       | २५००    |        |
| २०)    | <b>फर्निशर्स पसल</b>                            |         |        |
|        | क. थोक  | ५०००    |        |
|        | ख. खुद्रा                                       | २५००    |        |
|        | ग. डेकोर पसल                                    | २०००    |        |
| २१)    | <b>सवारी साधन एजेन्सी तथा विक्री पसल</b>        |         |        |
|        | क. बस, ट्रक, ट्रायाक्टर, जिप, कार, भ्यान डिलर   | १००००   |        |
|        | ख. मोटरसाइकल डिलर                               | ५०००    |        |
|        | ग. मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधनको डिलर स्वदेशी | ४०००    |        |
|        | घ. साइकल पसल                                    | २०००    |        |
|        | ड. रि-कन्डिसन हाउस                              | ३०००    |        |
|        | च. टायर शोरुम                                   | ३०००    |        |
|        | छ. अटोरिक्षा                                    | ५०००    |        |
|        | ज. विविध विषयका सामान सप्लायर्स तथा एजेन्सीहरु  | २०००    |        |
| २२)    | <b>दैनिक उपभोग्य वस्तु</b>                      |         |        |
|        | क. खाद्य सप्लायर्स                              | ३०००    |        |
|        | ख. गल्ला थोक                                    | ३०००    |        |
|        | ग. खाद्यन्त किराना थोक                          | ३०००    |        |
|        | घ. खाद्यन्त किराना खुद्रा                       | १५००    |        |
|        | ड. साना किराना पसल                              | ५००     |        |
|        | च. आलु व्याज लसुन थोक                           | २०००    |        |
| २३)    | <b>फलफुल पसल</b>                                |         |        |
|        | क. थोक  | २०००    |        |
|        | ग. ठेला   | ५५०     |        |
|        | ख. खुद्रा                                       | १०००    |        |
| २४)    | <b>हरियो तरकारी पसल</b>                         |         |        |
|        | क. थोक  | २०००    |        |
|        | ख. खुद्रा                                       | ५००     |        |
| २५)    | <b>कपडा पसल</b>                                 |         |        |
|        | क. थोक  | ३०००    |        |
|        | ख. खुद्रा                                       | १५००    |        |
|        | ग. फेन्सी पसल                                   | १५००    |        |
| २६)    | <b>विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा</b> |         |        |
|        | कन्सल्टेन्स सेवा                                |         |        |
|        | क. इन्जिनियरिङ फर्म परामर्श सेवा                | ३०००    |        |
|        | ख. ल फर्म तथा कानून परामर्श सेवा                | १५००    |        |

| क्र.सं | विवरण  | करको दर | कैफियत |
|--------|--|---------|--------|
|        | लेखा परिक्षण व्यवसाय तर्फ  |         |        |
|        | क. लेखा परिक्षण (सि. ए.)   | ३०००    |        |
|        | ख. अन्य  | २०००    |        |
| २७)    | <b>अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा</b>  |         |        |
|        | क. अनुसन्धान फर्म  | २०००    |        |
|        | ख. विमा कम्पनी   | २०००    |        |
|        | ग. शेयर एजेन्ट फर्म  | २०००    |        |
|        | च. दुवानी तथा ट्रान्सपोर्ट   | २०००    |        |
|        | छ. सस्थागत पेन्टर्स  | २०००    |        |
| २८)    | <b>निर्माण व्यवसाय</b>   |         |        |
|        | क. न. पा. मा प्रधान कार्यालय भएका निर्माण व्यवसायी                                       | ३०००    |        |
|        | ख. विदेशी निर्माण व्यवसायी तथा परामर्श दाता  | १००००   |        |
| २९)    | <b>भवन निर्माण</b>   |         |        |
|        | क. मिस्चर र सटरिड सामान भएको   | ५०००    |        |
|        | ख. सटरिड सामान भएको मात्र  | ४०००    |        |
|        | ग. भवन निर्माण व्यवसायी  | २०००    |        |
|        | घ. वाटर ड्रिलिङ  | ३०००    |        |
| ३०)    | <b>उत्पादन मुलक उद्योग</b>   |         |        |
|        | क. प्लास्टिक उद्योग (प्लास्टिक भोला उद्योग बाहेक)  | ५०००    |        |
|        | ख. चप्पल उद्योग  | ५०००    |        |
|        | ग. स्टिल आल्मुनियम, ग्रिल तथा स्टील सामाग्री उद्योग                                      | ४०००    |        |
|        | घ. फलामको ग्रिल उद्योग   | २५००    |        |
|        | ड. साबुन उद्योग क. वर्ग  | ५०००    |        |
|        | च. जुता उद्योग तथा सो रुम  | २५००    |        |
|        | छ. जुता पसल थोक  | २०००    |        |
|        | ज. जुता पसल खुद्रा   | १५००    |        |
|        | झ. जुता मर्मत  | ५००     |        |
|        | ज. पशु आहार उद्योग   | २५००    |        |
|        | ट. पशु आहार विक्री केन्द्र   | १५००    |        |
|        | ठ. पशु पन्थी पालन उद्योग   | १०००    |        |
|        | ड. घरेलु कुटिर उद्योग  | ५००     |        |
|        | ढ. अगरवती, मैन वर्ती, टिकी, अचार तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुटिर, हस्तकला, मूर्तिकला समेत | ५००     |        |
| ३१)    | <b>कपडा तथा गार्मेंट उद्योग</b>  |         |        |
|        | क. कपडा उद्योग   | ५०००    |        |
|        | ख. ज्याकेट तथा व्याग उद्योग  | ४०००    |        |
|        | ग. धागो उद्योग   | २०००    |        |
|        | घ. गार्मेन्ट उद्योग  | २५००    |        |
|        | ड. ढाका उद्योग क. श्रेणी   | १५००    |        |
|        | च. सिरक डसना उत्पादक   | ३०००    |        |
|        | छ. छाता, सलाई उद्योग   | १५००    |        |
| ३२)    | <b>पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगः</b>  |         |        |

| क्र.सं | विवरण                                      | करको दर | कैफियत |
|--------|--|---------|--------|
|        | क. मिनरल वाटर उद्योग                       | ५०००    |        |
|        | ख. पिउने पानी सप्लायर्स                    | २०००    |        |
|        | ग. आईस बरफ उद्योग                          | २०००    |        |
|        | घ. आइसक्रिम उद्योग                         | २०००    |        |
|        | ड. सोडा उद्योग                             | २०००    |        |
| ३३)    | <b>भाडा तर्फ</b>                           |         |        |
|        | क. कास, तामा, पित्तलका भाडा उद्योग         | ४०००    |        |
|        | ख. आल्मुनियम भाडा उद्योग                   | ४०००    |        |
|        | ग. प्लास्टिक भाडा उद्योग                   | ४०००    |        |
|        | घ. टिनको वाक्स, वाल्टी उद्योग              | ३०००    |        |
|        | ड. भाडा पसल                                | २०००    |        |
|        | च. प्लास्टिक जन्य सामाग्री पसल             | २०००    |        |
|        | छ. पुजा सामाग्री पसल                       | २०००    |        |
| ३४)    | <b>कुटानी पेलानी</b>                       |         |        |
|        | क. फलावर मिल                               | ५०००    |        |
|        | ख. सेलर मिल (कुटानी, पिसानी र पेलानी भएको) | २५००    |        |
|        | ग. कुटानी वा पेलानी                        | २०००    |        |
|        | घ. कुटानी मात्र                            | १०००    |        |
|        | ड. पेलानी मात्र                            | १०००    |        |
|        | च. चिउरा मिल                               | २०००    |        |
|        | छ. मसला तथा बेसार उद्योग                   | १०००    |        |
| ३५)    | <b>डेरी उद्योग</b>                         |         |        |
|        | क. डेरी उद्योग तथा विक्री पसल              | १५००    |        |
| ३६)    | <b>उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग</b>        |         |        |
|        | क. कुकिज, पाउरोटी, नुडल्स उद्योग           | २०००    |        |
|        | ख. कन्फेक्सनरी उद्योग                      | २०००    |        |
|        | ग. विस्क्युट उद्योग                        | २०००    |        |
|        | घ. दालमोठ उद्योग                           | १०००    |        |
| ३७)    | <b>रिकन्डीसन उद्योग</b>                    |         |        |
|        | क. फलाम कृषी औजार उद्योग                   | २०००    |        |
|        | ख. कागज प्लास्टिक रिकन्डीसन उद्योग         | १५००    |        |
|        | ग. उर्जा मुलक उद्योग                       | १५००    |        |
|        | ग. वायो ग्यास उद्योग                       | ३०००    |        |
|        | घ. सौर्य शक्ति उत्पादन उद्योग              | २०००    |        |
|        | ड. मर्मत संभार पार्ट उद्योग                | २०००    |        |
| ३८)    | <b>काष्ठ तथा वन जन्य उद्योग</b>            |         |        |
|        | क. स-मिल प्लाइउड उद्योग                    | ५०००    |        |
|        | ख. काठ विक्री डिपो                         | ४०००    |        |
|        | ग. काठको फर्निचर उद्योग र सो रुम           | ३०००    |        |
|        | घ. काठको फर्निचर सो रुम                    | २०००    |        |
|        | ड. वेत (बाँस) तथा व्याघ्रो सो रुम          | १५००    |        |

| क्र.सं | विवरण   | करको दर | कैफियत |
|--------|---|---------|--------|
| ४९)    | <b>कक्षिट उद्योग</b>                                  |         |        |
|        | क. कक्षिट ब्लक उद्योग                                 | ३०००    |        |
|        | ख. सेनेटरी उद्योग                                     | १५००    |        |
|        | ग. दुङ्गा गिर्डी वालुवा सप्लायर्स                     | ४०००    |        |
| ५०)    | <b>डिस्टिलरी उद्योग</b>                               |         |        |
|        | क. डिस्टिलरी उद्योग क वर्ग                            | १००००   |        |
|        | ख. डिस्टिलरी उद्योग ख वर्ग                            | ७०००    |        |
| ५१)    | <b>इट्टा उद्योग</b>                                   | ३००००   |        |
| ५२)    | <b>ब्याट्री उद्योग</b>                                | २००००   |        |
| ५३)    | <b>पर्यटन उद्योग</b>                                  |         |        |
|        | क. होटल, लज तथा रेस्टुरेन्ट (उच्च कोटी)               | ४०००    |        |
|        | ख. होटल तथा लज  | ३०००    |        |
|        | ग. होटल तथा रेस्टुरेन्ट                               | २०००    |        |
|        | घ. दोहरी साभ  | २०००    |        |
|        | ड. पार्टी प्यालेस                                     | ५०००    |        |
|        | च. रेस्टुरेन्ट  | २०००    |        |
|        | छ. भोजनालय  | १०००    |        |
|        | ज. मिस्टान्न क्याटरिड पसल समेत                        | ३०००    |        |
|        | झ. मिस्टान्न पसल                                      | १५००    |        |
|        | ञ. क्याटरिड   | २०००    |        |
|        | ट. चिया कफी पसल                                       | १०००    |        |
|        | ठ. फास्ट फुड एण्ड क्याफे                              | १०००    |        |
| ५४)    | <b>टेन्ट हाउस</b>                                     |         |        |
|        | क. विद्युत डेकोरेशन वेन्ड वाजा सहितको टेन्ट हाउस      | ५०००    |        |
|        | ख. विद्युत डेकोरेशन सहितको टेन्ट हाउस                 | ३५००    |        |
|        | घ. टेन्ट हाउस मात्र                                   | २५००    |        |
| ५५)    | <b>सेवा उद्योग</b>                                    |         |        |
|        | क. अफसेट प्रेस  | ३०००    |        |
|        | ख. स्क्रीन प्रिन्ट प्रेस                              | २०००    |        |
|        | ग. लेजर प्रिन्ट प्रेस                                 | १५००    |        |
|        | घ. सिनेमा हल  | ३०००    |        |
|        | ड. फिल्म डिस्टीब्यूटर्स                               | १५००    |        |
|        | च. कलर ल्याब सेवा                                     | १५००    |        |
|        | छ. भिडियो मिक्रिसड                                    | २०००    |        |
|        | ज. फोटो स्टुडियो                                      | १५००    |        |
|        | झ. कलर ल्याब र भिडियो मिक्रिसड                        | २०००    |        |
|        | ञ. साउण्ड सिस्टम                                      | १५००    |        |
| ५६)    | <b>संचार</b>  |         |        |
|        | क. टेलिफोन, टंकल, फ्याक्स, मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी | ३०००    |        |
|        | ख. टि.भी. च्यानल प्रसारण                              | ३०००    |        |
|        | ग. केवल च्यानल प्रसारण ३००० भन्दा बढी ग्राहक भएको     | ५०००    |        |
|        | केवल च्यानल प्रसारण ३००० भन्दा कम ग्राहक भएको         | ३०००    |        |

| क्र.सं | विवरण   | करको दर | कैफियत |
|--------|---|---------|--------|
|        | घ. एफ एम प्रसारण  | २०००    |        |
|        | ड. पत्र पत्रिका प्रकाशन सेवा  | १०००    |        |
|        | च. इन्टरनेट सेवा प्रदायक ३००० भन्दा बढी ग्राहक भएको                       | ५०००    |        |
|        | च. इन्टरनेट सेवा प्रदायक ३००० भन्दा बढी कम भएको                           | ३०००    |        |
|        | छ. केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक   | ५०००    |        |
|        | ज. मोबाइल पसल   | २०००    |        |
|        |   |         |        |
| ४७)    | <b>कम्यूनिकेशन सेवा</b>   |         |        |
|        | क. टुर्स एण्ड ट्राभल्स सेवा   | १५००    |        |
|        | ख. फोटोकपी, पि.सि.ओ., साइबर तथा क्याफे                                    | १५००    |        |
|        | ग. कुरियर्स सेवा मुख्य कार्यालय   | १५००    |        |
|        | घ. कुरियर्स सेवा शाखा कार्यालय  | ५००     |        |
| ४८)    | <b>वित्तिय सेवा (नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका बैंकहरु बाहेक)</b> |         |        |
|        | क. वाणिज्य बैंक निजी स्तर मुख्य कार्यालय                                  | ३००००   |        |
|        | ख. वाणिज्य बैंक प्रति शाखा कार्यालय                                       | १००००   |        |
|        | ग. विकास बैंक मुख्य कार्यालय  | २००००   |        |
|        | घ. विकास बैंक प्रति शाखा कार्यालय   | ७०००    |        |
|        | ड. फाइनान्स कम्पनी मुख्य कार्यालय   | १००००   |        |
|        | च. फाइनान्स कम्पनी प्रति शाखा कार्यालय                                    | ३०००    |        |
|        | छ. लघु वित्त कम्पनी   | ५०००    |        |
|        | ज. विमा कम्पनीहरु   | ५०००    |        |
|        | झ. मनी एक्सचेन्जर/ट्रान्सफर   | २०००    |        |
|        | ज. वित्तिय सहकारी संस्था  | १०००    |        |
| ४९)    | <b>स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय</b>   |         |        |
|        | क. गैर सरकारी अस्पताल तथा नर्सिङ होम                                      | ३०००    |        |
|        | ख. एम आर आई, सिटि स्क्यान, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक र पोलि क्लिनिक           | २५००    |        |
|        | ग. घाथालोजि   | १०००    |        |
|        | घ. अक्यूपंचर  | १०००    |        |
|        | ड. एक्सरे   | १०००    |        |
|        | च. चश्मा पसल  | १०००    |        |
| ५०)    | <b>शिक्षा सेवा</b>  |         |        |
|        | क. निजी क्याम्पस  | ५०००    |        |
|        | ख. निजी मा. वि.   | ५०००    |        |
|        | ग. निजी आधारभूत   | २०००    |        |
|        | घ. पुर्व प्रा.वि., छात्रावास, मन्देश्वरी                                  | १५००    |        |
|        | ड. पोलि टेक्नीकल इन्स्टिच्यूट प्रशिक्षण समेत                              | २०००    |        |
|        | च. नर्सिङ, सि. एम. ए., एच. ए. प्रशिक्षण समेत                              | २०००    |        |
|        | छ. एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी सेवा   | ३०००    |        |
|        | ज. कम्प्यूटर इलेक्ट्रोनिक तालिम   | २०००    |        |
|        | झ. ड्राइमिङ इन्स्टिच्यूट  | २०००    |        |

| क्र.सं | विवरण  | करको दर | कैफियत |
|--------|--|---------|--------|
|        | ज. भाषा, शिक्षा, कोचिंड सेन्टर                               | २०००    |        |
| ५१)    | <b>मर्मत संभार (कारखाना)</b>                                 |         |        |
|        | क. नयाँ वोडि बनाउने क श्रेणी                                 | ४०००    |        |
|        | ख. वोडि मर्मत गर्ने ख श्रेणी                                 | ३०००    |        |
|        | ग. लेथ सेक्सन  | २०००    |        |
|        | घ. टायर डिलर सो रुम  | ३०००    |        |
|        | ङ. टायर रिसोलिड  | २०००    |        |
|        | च. टायर पन्चर मर्मत  | १०००    |        |
|        | छ. इन्जिन मर्मत  | १५००    |        |
|        | ज. डेन्टीड, पेन्टीड तथा वेल्डिड                              | १५००    |        |
|        | ट. पम्प सेक्सन मर्मत   | १०००    |        |
|        | ठ. व्याट्रि इलेक्ट्रीक सेक्सन मर्मत                          | १०००    |        |
|        | ड. वासिड सेक्सन  | ५००     |        |
|        | ढ. रिक्सा साइकल विक्री                                       | १०००    |        |
|        | ण. रिक्सा, साइकल मर्मत तथा विक्री सहीत                       | १५००    |        |
|        | त. रिक्सा साइकल मर्मत  | ५००     |        |
|        | थ. टि. भि., डेग, मोबाइल, फिज मर्मत, कम्प्यूटर मर्मत          | १५००    |        |
|        | द. रेडियो, घडि, क्याल्कुलेटर मर्मत                           | ५००     |        |
|        | ध. मोटरसाइकल मर्मत   | १५००    |        |
|        | न. कम्पनी पट्टा, रेडियटर, ग्रिस, हेड मर्मत                   | ५००     |        |
|        | प. जेनेरेटर, फिज, कम्प्यूटर मर्मत                            | १०००    |        |
| ५२)    | <b>हेभी इक्यूपमेन्ट</b>                                      |         |        |
|        | क. हेभी इक्यूपमेन्ट खरिद विक्री                              | ५०००    |        |
|        | ख. अन्य कवाड खरिद विक्री                                     | ३०००    |        |
| ५३)    | <b>अन्य सेवा</b>   |         |        |
|        | क. वैदेशिक रोजगार सेवा परामर्श दाता                          | ३०००    |        |
|        | ख. वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा शाखा कार्यालय                 | २०००    |        |
|        | ग. सेवा परामर्श दाता   | १५००    |        |
|        | घ. श्रमिक सेवा परामर्श दाता                                  | १५००    |        |
|        | ड. सामान सहित श्रमिक सेवा परामर्श दाता                       | १५००    |        |
|        | च. सेक्रेटरियल सेवा मात्र                                    | १०००    |        |
| ५४)    | <b>ड्राइ किलिक, सैलुन तथा व्यूटिपार्लर</b>                   |         |        |
|        | क. व्यूटि पार्लर सेवा, तालिम सहितको (५ जना भन्दा वढी कारिगढ) | १०००    |        |
|        | ख. व्यूटि पार्लर सेवा  | ५००     |        |
|        | ग. कालिगाढ सहितको सैलुन सेवा (२ सिट माथी)                    | १०००    |        |
|        | घ. सैलुन सेवा २ सिट सम्मको                                   | ५००     |        |
|        | ड. ड्राइकिलिनिक सेवा   | ५००     |        |
| ५५)    | <b>साईन वोर्ड आर्ट व्यवसाय</b>                               |         |        |
|        | क. डिजिटल आर्ट व्यवसाय                                       | १०००    |        |
|        | ख. अन्य आर्ट व्यवसाय   | १०००    |        |
| ५६)    | <b>पशु वधशाला</b>  |         |        |

| क्र.सं | विवरण   | करको दर         | कैफियत |
|--------|---|-----------------|--------|
|        | क. पशु वधशाला   | ५०००            |        |
|        | ख. पशुको छाला संकलन तथा विक्री  | ३०००            |        |
| ५७)    | <b>माछा मासु विक्री पसल</b>   |                 |        |
|        | क. प्याकिङ माछा मासु सप्लायर्स  | १०००            |        |
|        | ख. माछा मासु मध्ये कम्तीमा ३ वटा सेवा दिने पसल  | २५००            |        |
|        | ग. माछा मासु मध्ये कम्तीमा २ वटा सेवा दिने पसल  | २०००            |        |
|        | घ. कुनै एक सेवा, माछा सिधा  | १०००            |        |
|        | ड. अण्डा विक्री पसल   | १०००            |        |
| ५८)    | <b>फुल विरुवा पसल</b>   |                 |        |
|        | क. नसरी   | २०००            |        |
|        | ख. फुल विक्री   | १०००            |        |
| ५९)    | <b>स्नुकर तथा पुल हाउस</b>  |                 |        |
|        | क. स्नुकर तथा पुल हाउस दुवै भएको  | १५००            |        |
|        | ख. स्नुकर मात्र   | १०००            |        |
|        | ग. पुल हाउस   | १०००            |        |
| ६०)    | <b>खेलौना, गिफ्ट हाउस तथा फोटो फ्रेम पसल (शोरुम)</b>  |                 |        |
|        | क. खेलौना तथा गिफ्ट पसल   | १५००            |        |
|        | ख. खेलौना मात्र   | १०००            |        |
|        | ग. फोटो फ्रेम   | १०००            |        |
| ६१)    | <b>सिलाई मेशिन मर्मत तथा सिलाई पसल</b>  |                 |        |
|        | क. सिलाई स्पेसिलस्ट पसल   | २०००            |        |
|        | ख. सिलाई पसल  | १०००            |        |
|        | ग. सिलाई मेशिन मर्मत  | १०००            |        |
|        | घ. बुटिक ल्याक्रोटरी  | १०००            |        |
| ६२)    | <b>ड सिंगित कला केन्द्र</b>   | १०००            |        |
| ६३)    | <b>घुम्ति व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको हकमा</b>   |                 |        |
|        | क. फैन्सी तथा कपडा पसल गलैचा समेत   | ८००             |        |
|        | ख. किराना विसाता तथा भाडा पसल   | ५००             |        |
|        | ग. ठेलामा विक्री  | ५००             |        |
|        | घ. अन्य प्रकृतिका   | २००             |        |
| ६४)    | <b>माथी उल्लेख नभएका उद्योगहरुको हकमा</b>   |                 |        |
|        | क. ठुला उद्योग  | ५०००            |        |
|        | ख. मझौला उद्योग   | ३०००            |        |
|        | ग. साना उद्योग  | १०००            |        |
| ६५)    | <b>माथी उल्लेख नभएको अन्य पेशा व्यवसाय</b>  |                 |        |
|        | क. डिस्ट्रीब्युटर्स थोक पसल   | ३०००            |        |
|        | ख. खुद्रा पसल   | १०००            |        |
| ६६)    | <b>रियल स्टेट</b>   | १००००           |        |
| ६७)    | <b>कवाड संकलन व्यवसाय</b>   | ५०००            |        |
| ६८)    | दुइ वा सो भन्दा बढी प्रकृतिका व्यवसाय एकै स्थानबाट सञ्चालन गरेमा बढी उल्लेख भएकोको कूल र अन्य प्रत्येक थपमा | थप पचास प्रतिशत |        |

| क्र.सं  | विवरण                                       | करको दर      | कैफियत |
|---|---|--------------|--------|
| ६६)   | मनोरञ्जन कर मेला प्रदर्शनी आदिमा प्रति टिकट | पाँच प्रतिशत |        |
| उपरोक्त विषय नसमेटिएका व्यवसायको हकमा नगरकार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ। |   |              |        |

#### ड. सवारी साधन कर

हालको अवस्थासँविधान बमोजिम सवारी साधन सम्बन्धी अधिकार साभा अधिकार सूचीमा परेको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐनले उक्त शिर्षकमा कर उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ भने उठाईएको कर राजश्व बाँडुफाँड वापत स्थानीय सरकारलाई समेत बाड्नु पर्नेछ। सवारी साधन मध्ये इरिक्सा, अटोसरक्सा र ठेलागाडाको कर मात्र स्थानीय सरकारले लिन पाउने छ। चालु आ.व.को लागि सवारी साधन कर (सवारी दर्ता, वार्षिक सवारी कर तथा पटके सवारी) वापत ८१ लाख आय अनुमान गरेको छ। तर माघ मसान्तसम्ममा यस शिर्षकबाट जम्मा ८ हजार मात्र असुल भएको देखिन्छ। यसर्थ नगरपालिकाले आफुमा नभएको सवारी सधान सम्बन्धी करको आय अनुमान गरेको कारण थप कर असुल हुन नसकेको देखिन्छ।

#### सवारी साधन कर तथा पटके सवारी साधन कर अन्तर्गत चालु आ.व.मा निर्धारण गरिएका दरहरु

| क्र.सं. | विवरण  | पटके सवारी करको दर रेटहरु | वार्षिक कर |
|---------|--|---------------------------|------------|
|         | नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने तपसिलका सवारी साधनहरूलाई तपसिल बमोजिम पटके सवारी कर वा सो वापत एकमुष्ट वार्षिक कर बुझाउनु पर्ने छ। |                           |            |
| १       | अटो रिक्सा (सवारी साधन कर)   |                           | १५००       |
| २       | ई रिक्सा (सवारी साधन कर)   |                           | १०००       |
| ३       | जिप, कार, भ्यान -  | २०                        | २०००       |
| ४       | बस   | ५०                        | ५०००       |
| ५       | मिनिबस   | ५०                        | ३०००       |
| ६       | वीडगर  | ३०                        | २५००       |
| ७       | भारी यन्त्र  |                           | २५०००      |
|         | सार्वजनिक बाहेकका निजी तथा संस्थागत सवारी साधनको हकमा  |                           |            |
|         | (क) बस   |                           | ३०००       |
|         | (ख) मिनिबस   |                           | २५००       |
| ८       | (ग) विडगर, जिप, कार, भ्यान   |                           | २०००       |
| ९       | प्रति ट्रायाक्टर ट्राली -  | २५                        |            |
| १०      | प्रति ट्रिपर/ट्रक  | १००                       |            |

संभावना: नगर क्षेत्रमा इरिक्सा, अटोसरक्सा र ठेलागाडा जस्ता सवारी साधनहरु रहेका छन्। यिनै सवारी साधनहरु कति रहेका छन् भन्ने अनुमान गरेर सोही सवारी साधनको दर्ता तथा वार्षिक करको आय अनुमान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

**सुधारका पक्षहरूः** नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका इरिक्सा, अटोरिक्सा र ठेलागाडाको संख्या एकिन गर्ने । सवारी धनीहरूलाई सवारी करको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने र सवारी सधान दर्ता तथा नविकरण गर्ने छिटो र भरपर्दो अभियान संचालन गर्ने ।

#### च. विज्ञापन कर

नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि विज्ञापन कर वापत देहाय अनुसार दर निर्धारण गरेको छ ।

| विवरण  | दर रेट रु. |
|--|------------|
| कसैले नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गामा होडिङ बोर्ड, साईन बोर्ड, पम्पलेट, पोष्टर जस्ता विज्ञापनका सामाग्रीहरू राखेमा निम्न बमोजिमको वार्षिक विज्ञापन कर लिइनेछ । |            |
| क) होडिङ बोर्ड प्रति वर्ग फिट  | रु. ५०     |
| ख) ग्लो साइनबोर्ड प्रति वर्ग फिट   | रु. ६०     |
| ग) भित्र लेखन प्रति वर्गफिट  | रु. २०     |
| घ) व्यानर प्रति गोटा   | रु. ३०     |

**हालको अवस्था:** विज्ञापन कर शिर्षकबाट रु. १ लाख आम्दानी हुने अपेक्षा गरेको थियो तर माघ मसान्तसम्म यस शिर्षकमा कुनै रकम असुल भएको पाइएन ।

**संभावना:** नगर क्षेत्रभित्र धेरै निजी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विज्ञापनका होडिङ बोर्डहरू राख्ने, घर टहरा तथा पर्खालहरूमा पेण्टिङ गरेको पाइन्छ । यस वापत चालु आ.व.मा जम्मा १ लाख मात्र आम्दानी हुने अनुमान गरिएको तर त्यो कुनै रकम आम्दानी भएको पाईएन । नगर क्षेत्रमा विज्ञापन गर्ने निजी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउन सके र निर्धारण गरेको दरमा कर असुल्न सके अभ धेरै आय संकलन हुने देखिन्छ ।

**सुधारका पक्षहरूः** चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरेको विज्ञापनका दर र दायरामा पुनरावलोक गर्नु पर्ने, प्रभावकारी रूपमा कर उठाउनको लागि विज्ञापनकर्ताहरूसँग समन्वय गर्ने र करको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने । विज्ञापनका दरहरूमा पुनरावलोकन गरी कर निर्धारण गर्न भाग ... मा बमोजिम करका दर अवलम्बन गर्न सुभाव दिईएको छ ।

#### छ. मनोरञ्जन कर

**हालको अवस्था:** मनोरञ्जन कर सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र परे पनि यस शिर्षकमा कर उठाउन स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर यस शिर्षबाट उठेको रकम राजश्व बाँडफाँड वापत प्रदेश सरकारलाई समेत वितरण गर्नुपर्दछ । सैनामैना नगरपालिकाले यस शिर्षक अन्तर्गत जम्मा ५० हजार आम्दानी हुने अनुमान गरेकोमा माघ मसान्तसम्म ९० हजार संकलन गरिसकेको छ । यसलाई हेर्दा चालु आ.व.मा अनुमान गरेको आय न्यून देखिन्छ । नगरपालिकाले केवुल च्यानल प्रसारक, डिस्होम विक्रेता र चलचित्र हलमा दर्ता तथा नविकरणमा मात्र कर लगाउने नीति लिइएको पाइन्छ ।

**संभावना:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र केवुल च्यानल, डिस होम विक्रेता, चलचित्र हल दर्ता तथा वार्षिक नविकरणमा कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी चलचित्र घर, नाट्यशाला, सर्कस आदीमा प्रवेश गर्ने दर्शकहरूको टिकटमा निश्चित प्रतिशत कर लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको छ ।

**सुधारका पक्षहरूः** मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, कर संकलन गर्ने उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने ।

#### ४.३.१ गैर कर राजश्व

#### क. बहाल विटौरी कर

नगरपालिकाले आफुले रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाटबजार र सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग गरेवापत वहाल विटौरी शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था छ । यस नगरपालिकामा मुर्गिया, कलौनी, सालभण्डी लगायतका स्थानहरूमा स्थानीय हाटबजार लाग्ने गरेका छन् । उपरोक्त बजारहरूमा हप्तामा एक दिन हाटबजार लाग्ने र सो वापत शुल्क असुलीका लागि ठेक्का वस्दोवस्ती गर्नुपर्ने देखिन्छ । नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा यस शिर्षक अन्तर्गत करिब ४ लाख आम्दानी भएको देखिन्छ भने चालु आ.व.को लागि रु. १ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ । चालु आ.व.को माघ मसान्तसम्म हाटबजार कर अन्तर्गत ६ लाख २८ हजार मात्र असुल भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा वहाल विटौरी अन्तर्गत आ.व.को अन्तसम्ममा लक्ष्य भेट्न सक्ने देखिदैन । यसमा दुईवटा तर्क गर्न सकिन्छ ।

(क) नगरपालिकाले यस शिर्षकमा कर संकलन हुने आकङ्क्षानै बढी राखेको पाइन्छ या

(ख) कर संकलन भएता पनि संकलित शिर्षक स्पष्ट नभएको कारण अन्य शिर्षकमा देखाईएको हुनुपर्दछ ।

नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरेको बहाल विटौरी अन्तर्गत निर्धारण गरिएको करका दरहरु

### मुर्गिया , कलौनी र सालभण्डी हाटबजारको लागि

| क्र.स. | विवरण                             | स्वीकृत दर | क्र.स. | विवरण  | स्वीकृत दर    |
|--------|-----------------------------------|------------|--------|--|---------------|
| १.     | भाडा पसल                          | ३५/-       | २१.    | चाउमिन पसल                                   | ५०/-          |
| २.     | किराना पसल                        | ७०/-       | २२.    | बिरुवा बिक्री "                              | २०/-          |
| ३.     | धागो सा“चो पसल                    | २०/-       | २३.    | सिजनाल फलफूल "                               | १५/-          |
| ४.     | आलु प्याज पसल ठूलो                | ६०/-       | २४.    | अमिलो,कागानी पसल                             | १०/-          |
|        | " " पसल सानो                      | ४०/-       |        |  |               |
| ५.     | खसी,बंगुर,रागा“को मासु बेच्ने पसल | ७०/-       | २५.    | ठेला,रिक्सामा मालसमान ल्याई बिक्री गर्ने पसल | ४०/-          |
| ६.     | पान बिडी पसल                      | २०-        | २६.    | सानो सुकुटी माछा पसल                         | २५/-          |
| ७.     | श्रृगार पसल                       | ३०।-       | २७.    | काँचो तथा पोलेको मकै                         | १५/-          |
| ८.     | रेडिमेड कपडा पसल                  | ५०/-       | २८.    | हतियार, छुरा, कैंची मर्मत गर्ने पसल          | २०/-          |
|        | थान कपडा पसल                      | ६०/-       |        |  |               |
| ९.     | हाँस,कुखुराकोअण्डा पसल            | २०/-       | २९.    | तरकारी पसल                                   | १५।-देखी २५/- |
| १०.    | ओैषधी पसल                         | ३०/-       | ३०.    | छाला मर्मत पसल                               | २०/-          |
| ११.    | मिठाई ,मटर पसल                    | ४०/-       | ३१.    | सुर्ती पसल                                   | ४०/-          |
| १२.    | फलामे भाडा पसल                    | ३०/-       | ३२.    | कपाल दाही बनाउने                             | ५०/-          |
| १३.    | स्यागु र वनकस प्रति मुठा          | ३।-        | ३३.    | राँगा, गोरु व्यवसाय प्रतिगोटारु              | २५।-          |
| १४.    | रेडियो, घडी पसल                   | ४०/-       | ३४.    | हाँस,कुखुरा,परेवा प्रति गोटा                 | १०/-          |
| १५.    | पाउरोटी, विस्कुट पसल              | २०/-       | ३५.    | माटाका भाडा बिक्री पसल                       | १०/-          |
| १६.    | झोला पसल                          | ४०/-       | ३६.    | फलफूल पसल                                    | ३५/-          |
| १७.    | बरफ व्यवसायी पसल                  | २०/-       | ३७.    | कुखुराको मासु,माछा पसल                       | ५०/-          |

| क्र.स. | विवरण                   | स्वीकृत दर | क्र.स. | विवरण  | स्वीकृत दर |
|--------|-------------------------|------------|--------|--|------------|
| १८.    | नुन, तेल र दाल चिनी पसल | ५०/-       | ३८.    | थोक समान गाडीमा त्याई हाटबजार भित्र बिक्री गर्ने | १५०/-      |
| १९.    | जुता, चप्पल पसल         | ४०/-       | ३९.    | थोक समान गाडीमा त्याई बाहिर बिक्री गर्नेलाई      | १००/-      |
| २०.    | चिया पसल                | २०/-       |        |  |            |

#### ख. घर नक्सा पास दस्तुर :

**हालको अवस्था:** यस नगरपालिकाले नक्सापास दस्तुरको दर निर्धारण गरेको छ। पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र भित्री सडक मोहोडामा पर्ने स्थानमा बन्ने भवनहरूको वेगलावेगलै नक्शा पास दस्तुर निर्धारण गरिएको छ। यसलाई हेर्दा नयाँ निर्माणमा घरको लागि प्रति वर्ग फिट औषत रु. ५ निर्धारण गरिएको छ। नगरपालिकामा इन्जिनियर तथा अमिन तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरु आवश्यक संख्यामा रहेको र नगरपालिकाले नियमित रूपमा नक्सापास गरिरहेको छ। चालु आ.व. को लागि ७० लाख आय अनुमान गरेको छ भने चालु आ.व. को माघ मसान्तसम्ममा जम्मा रु. ४६ लाख असुल भईसकेको छ। वाँकी अवधिमा असुली लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ।

#### नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरेको नक्शा पास दस्तुर

| वडा नं.   | विवरण   | पूर्व पश्चिम लोकमार्ग<br>मोहोडामा पर्ने |   | भित्री सडक मोहोडामा पर्ने               |   | कैफियत |
|-----------|---|---|---|---|---|--------|
|           |   | जमिनमुनी र<br>भुई तला (प्रति ब.फिट रु.) | पहिलो तला वा<br>सो भन्दा माथि (प्रति ब.फिट रु.) | जमिनमुनी र<br>भुई तला (प्रति ब.फिट रु.) | पहिलो तला वा<br>सो भन्दा माथि (प्रति ब.फिट रु.) |        |
| १ देखि ११ | आवासीय पक्की घरको नक्शा पास दस्तुर  | ५                                       | ६   | ४                                       | ५   |        |
| १ देखि ११ | घर वर्गको आवासीय घरको नक्शा पास दस्तुर  |   | ३   |   | २   |        |
| १ देखि ११ | घर नक्शापास दरखास्त फाराम दस्तुर रु.  |   |   | ५००                                     |   |        |
| १ देखि ११ | नक्शा नामसारी दस्तुर प्रती वर्ग फिट रु. (पक्की घरको लागि मात्र)                               |   |   | १                                       |   |        |
| १ देखि ११ | अस्थायी/कच्ची घरको घर निर्माण इजाजत दस्तुर प्रति घर   |   | १०००  |   | ७००   |        |
| १ देखि ११ | कम्पाउण्ड वाल लगाउदा इजाजत लिएर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने र इजाजत दस्तुर प्रति रनिङ्ग फुट रु. |   |   | १०                                      |   |        |

**नोट:** यसअधि घर निर्माण शुरू गरेका वा सम्पन्न गरेका घरहरुको हकमा धुरिकर नकाटेका घरहरुको नयाँ घर निर्माण सरह दस्तुर हिसाब हुनेछ ।

कंकृट र छड प्रयाग गरि बनाईएका र व्यवसायिक/औद्योगिक/व्यापारिक प्रयाजनका लागि बनाईएकाँ सबै खाले घरहरु अनिवार्य नक्षापास गर्नुपर्ने र सो को लागि नक्षापास दस्तुर माथि उल्लेखित पक्की घर निर्माण सरह हुनेछ ।

भवन संहिता पालना नगरि निर्माण भएको वा स्वीकृत मापदण्ड विपरित बनेका घरहरुको लागि इजाजत/निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछैन ।

नक्षा पास गरि सकेपछि २ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने छ । यदि सोही अवधि भित्र निर्माण सम्पन्न नभएमा नक्षाको म्याद थप गर्दा रु. १ प्रति वर्गफिट दस्तुर लिई पुनः दुई वर्षको लागि म्याद थप गरिनेछ ।

व्यवसायिक भवनहरुको नक्षा पास गर्दा रु. २ प्रति वर्ग फिट थप दस्तुर लाग्नेछ ।

#### ग. दर्ता, अनुमति, सफारिस तथा प्रमाणित दस्तुर :

**हालको अवस्था:** स्थानीय तहले एफएम रेडियो संचालन, घ वर्गको निर्माण इजाजत पत्र, विद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापारिक फर्म, सहकारी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम, द्युसन, कोचिङ, औषधि पसल, जग्गा प्लटिङ, ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तुको सर्भेक्षण, उत्खनन तथा उपयोग आदि कार्य गर्नको लागि अनुमति दिन र सो बापत दस्तुर संकलन गर्न सक्छन् । नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुरको दर आर्थिक ऐन मार्फत निर्धारण गरी कार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडावाट दैनिक रूपमा संकलन गरिआएको छ । आर्थिक ऐनले सिफारिश तथा प्रमाणितको दर न्यूनतम रु १०० देखि २०००० सम्म निर्धारण गरेको छ र यसवाट हुने शिर्षकगत आय अन्तर्गत चालु आ.व.को लागि रु. २ करोड ५० लाखसम्म असुल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाले नगर कार्यपालिका तथा वडा कार्यालयहरुवाट यस्तो दस्तुर संकलन गरिआएको छ । वडावाट संकलित सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुरवाट संकलित रकम राजश्व सफ्टवेयर मार्फत इन्टि गरी नगद बैकमा जम्मा गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको छ । यसका अतिरिक्त नगरपालिकावाट हुने सम्पुर्ण सिफारिशहरुवाट सिफारिश वा प्रमाणित दस्तुर संकलन हुन नसकेको सभावनालाई पनि औल्याईएको छ ।

**हालको अवस्था:** यो व्यवस्था भर्खरै प्रचलनमा आएको स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले गरेको हुनाले नगरपालिकाले यस्तो शिर्षकवाट आय संकलन गर्न आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेको छैन ।

#### कार्यालयबाट दैनिक संकलन हुने सेवा शुल्क तथा दस्तुरको शिर्षकगत दर

| सि.नं. | शिर्षकहरु                                 | दररेट रु. |
|--------|---|-----------|
| १      | निवेदन फाराम                              |           |
| २      | टिकट दस्तुर                               | १०        |
| ३      | नक्कल उतार प्रमाणित (प्रतिलिपि प्रतिपाना) | १०        |
| ४      | नाता प्रमाणित                             |           |
|        | क) नेपालीमा सिफारिस                       | २००       |
|        | ख) अंग्रेजीमा                             | ६००       |
| ५      | जग्गा नामसारी सिफारिस                     | १०००      |
| ६      | सबै प्रकारका सर्जिमिन दस्तुर              | ५००       |
| ७      | छुटभएको जग्गा दर्ता सिफारिस               |           |

| सि.नं. | शिर्षकहरू  | दररेट रु. |
|--------|--|-----------|
| क      | न्यूनतम  | १०००      |
| ख      | प्रति कड्डा  | १०००      |
| द      | नाम शंसोधन सिफारिस   | ५००       |
| ९      | घरवास भए नभएको र सडकले छोए नछोएको सिफारिस थप प्रति कित्ता                              | ५००       |
| १०     | बकस पत्रमा (साकार) सिफारिस   | ५००       |
| ११     | अंश वण्डा सिफारिस  | ५००       |
| १२     | अपुताली सिफारिस  | २०००      |
| १३     | अपुताली जग्गा नामसारी सिफारिस  | २०००      |
| १४     | मालपोत प्रयोजन सिफारिस दस्तुर  |           |
|        | घर/तिनपुस्ते नाम कायम आदी सिफारिस दस्तुर   | ५००       |
|        | बक्यौता नरहेको सिफारिस   | ५००       |
| १५     | <b>नागरीकता सिफारिस</b>  |           |
|        | बंशज नागरीकता/प्रतिलिपी सिफारिस  | ५०        |
|        | अंगीकृत नागरीकता सिफारिस   | १००       |
| १६     | <b>सडक अवरोध हटाउदा पक्की सडक</b>  |           |
|        | १००० वर्गफिट सम्मको घर निर्माण गर्दा (अनलोड गरेको २४ घण्टा भित्र हटाउने                | १०००      |
|        | १००१ देखि २००० वर्ग फिट सम्मको घर निर्माण दर्गा (अनलोड गरेको २४ घण्टा भित्र हटाउने     | २०००      |
|        | २००१ देखि माथी वर्ग फिट सम्मको घर निर्माण गर्दा (अनलोड गरेको २४ घण्टा भित्र हटाउने     | ३०००      |
| १७     | <b>सडक अवरोध हटाउदा कच्ची सडक</b>  |           |
|        | पक्की सडकमा लाग्ने दस्तुरको २५ पतिशत छुट   |           |
|        | घर निर्माण गर्दा विविध सरजमिन दस्तुर   | ५००       |
| १८     | <b>नक्सापास लागू हुनु पूर्व निर्माण भएका घरहरुलाई व्यहोरा खुलाई सिफारिस गर्दा</b>      |           |
|        | पक्की घरको लागि (नक्शा पास भएका घरलाई मात्र सिफारिस प्रदान गरिने)                      | १०००      |
|        | कच्ची घरको लागि  | २००       |
| १९     | खानेपानी धारा, विद्युत मिटर जडान सिफारिस   | १००       |
| २०     | खानेपानी धारा, विद्युत मिटर नामसारी सिफारिस  | १००       |
| २१     | खानेपानी धारा जडान गर्दा सडक मर्मत दस्तुर रु. (भित्री कालोपत्रे सडकमा खन्नुपर्ने भएमा) | ४०००      |
| २२     | पञ्जिका लागू हुन भन्दा पूर्वका जन्म मृत्यु विवाह र वसाईसराई सिफारिस                    | ५०        |
| २३     | <b>विविध प्रकारका सिफारिस</b>  |           |

| सि.नं. | शिर्षकहरू  | दररेट रु. |
|--------|--|-----------|
|        | नेपालीमा सिफारिस   | १००       |
|        | अंगोजीमा सिफारिस   | ६००       |
|        | काउन्सिलर प्रमाणिकरण प्रति पाना  | २००       |
| २४     | पेन्सन सिफारिस   | ५००       |
| २५     | पेन्सन प्रयोजन व्यक्ती प्रमाणित, ठेगाना संसोधन आदि सिफारिस   |           |
|        | स्वदेशी  | ५००       |
|        | विदेशी   | १०००      |
| २६     | पेन्सन वारेसनामा सिफारिस   | ५००       |
| २७     | क) नोकरी रहेको वा अवधि प्रमाणित सिफारिस स्वदेश   | ३००       |
|        | ख) नोकरी रहेको वा अवधि प्रमाणित सिफारिस वैदेशिक  | ५००       |
| २८     | राहदानी सिफारिस (भारतको लागि)  | १००       |
| २९     | भारत बाहेक अन्य (चारित्रिक सिफारिस) मुलुकको लागि   | ६००       |
| ३०     | चारित्रिक सिफारिस नेपालको लागि   | १००       |
| ३१     | कर चुक्ता सिफारिस  |           |
|        | नेपालीमा सिफारिस   | १००       |
|        | अंगोजीमा सिफारिस   | ६००       |
| ३२     | धितोमूल्याकन (प्रति लाख)   |           |
|        | वैदेशिक तथा नामसारी प्रयोजन  | ७५        |
| ३३     | क. सिफारिश दस्तुर:-  |           |
|        | नगरपालिका ले गर्ने सिफारिशमा प्रति सिफारिश निम्नानुसार दस्तुर लिइनेछ ।                                   |           |
|        | २. स्वदेशको लागि गरिने सामान्य सिफारिशमा   | १००       |
|        | ३. विदेशको लागि गरिने सिफारिशमा  | ३००       |
|        | ४. घर नभएको जग्गा खरिद विक्री, बकसपत्र, सट्टापट्टा आदि प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयलाई गरिने सिफारिशमा |           |
|        | क) घर नभएको जग्गा भएमा   | १००       |
|        | ग) कच्ची घर भएको जग्गा भएमा  | ५००       |
|        | ५. जग्गावालाको मृत्यु पछिको नामसारी र अंशबण्डाको प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयलाई गरिने सिफारिशमा       | १०००      |
|        | ६. विदेश सिफारिश र पेन्सन सम्बन्धी सिफारिशमा   | ६००       |
|        | ७. विदेश शिफारिस अंगोजीमा गर्दा प्रत्येक सिफारिसमा   | ६००       |
| ३४     | जग्गा प्लटिङ इजाजत दस्तुर प्रति कट्टा रु. (इजाजतको लागि जग्गाधनिले प्लट नक्शा तयार गरि पेश गर्नुपर्नेछ)  | ५०००      |
| ३५     | ९. गाउँ ब्लक जग्गाको सिफारिस गर्दा प्रति धुर   | १००       |

| सि.नं. | शिर्षकहरू   | दररेट रु. |
|--------|---|-----------|
| ३६     | काठको सिफारिस   |           |
|        | काठको सिफारिस दस्तुर (जिल्ला बन, आपुर्ती समिति)   | ६००       |
|        | काठको सिफारिस दस्तुर (आफनै जग्गामा रहेका कुकाठ कटान)  | ५००       |
| ३७     | क्लब तथा संघ संस्था दर्ताको लागि सिफारिस  | ५००       |
| ३८     | बन्दकोठा घर पसल आदि खोल्नु पर्दा मुचुल्का वापत  | ५००       |
| ३९     | व्यतिगत घटना दर्ता  | ५०        |
| ४०     | सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस दस्तुर  | १००       |
| ४१     | कृषि जन्य उद्योग सिफारिस  | १००       |
| ४२     | वनजन्य उद्योग सिफारिस   | २०००      |
| ४३     | धातु जन्य उद्योग सिफारिस  | २०००      |
| ४४     | व्यवसाय ठाउसारी सिफारिस   | १०००      |
| ४५     | केवल, टेलिभीजन, एफ एम आदी दर्ता सिफारिस   | २०००      |
| ४६     | छाला जन्य उद्योग सिफारिस  | १०००      |
| ४७     | दैनिक उपभोग्य खाद्यपदार्थ उत्पादन उद्योग सिफारिस (भाडा पसल, फेन्सी स्टेशनरी, व्युटी पार्लर, चिया पसल, हेटल तथा रेष्टुरेन्ट) | ५००       |
| ४८     | प्लाईउड उद्योग सिफारिस  | १०००      |
| ४९     | ईट्रा भट्टा उद्योग सिफारिस (नगरिने)   |           |
| ५०     | गिल उद्योग सिफारिस  | १०००      |
| ५१     | ब्लक उद्योग सिफारिस   | १०००      |
| ५२     | ठूला उद्योग सिफारिस   | २०००      |
| ५३     | मझौला उद्योग सिफारिस  | १०००      |
| ५४     | साना उद्योग सिफारिस   | ५००       |
| ५५     | निजि विद्यालय दर्ता सिफारिस/(संचालन अनुमतीका लागि सिफारिस)  |           |
|        | क आधारभूत तह  | १५००      |
|        | ख माध्यमिक तह   | २५००      |
| ५६     | वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था खोल्न सिफारिस   | २०००      |
| ५७     | सटही काउन्टर आदि खोल्न  | २०००      |
| ५८     | फाइनान्स बैंक   | २०००      |
| ५९     | सहकारी संस्था गैर वित्तीय   | १०००      |
| ६०     | मुद्दा मामिला मिलापत्र  | १०००      |
| ६१     | व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलीपी   | २००       |

| सि.नं. | शिर्षकहरू   | दररेट रु. |
|--------|---|-----------|
| ६२     | सामुदायिक हलभाडा प्रतिदिन   | २०००      |
|        |   | ५००       |
| ६३     | चारकिल्ला सिफारिस बिक्री प्रयोजनका लागि -<br>क) लोकमार्ग स“ग जोडिएको जग्गा र बजार क्षेत्रको जग्गा सिफारिस | १०००      |
|        |   | ६००       |
|        | ख) भित्रि कालो पत्रे जग्गा  | २००       |
|        |   | ५००       |
|        | ग) ग्राभेल वा कच्ची बाटो जोडिएको जग्गामा  | १५०       |
|        | घ) बाटो नखुलेका खेती योग्य जग्गा  | ३००       |
|        |   | ५०        |
| ६४     | चारकिल्ला सिफारिस अन्य प्रयोजनका लागी -<br>क) ऋण प्रयोजन का लागी चारकिल्ला सिफारिस                        |           |
|        | १. ०-५-० सम्मको चार किल्ला प्रमाणित   | ३००       |
|        | सो भन्दा माथि चार किल्ला प्रमाणित रु.   | ५००       |
|        | २. राजमार्गको किनारामा पर्ने ०-५-० सम्मको   | ५००       |
|        | सो भन्दा माथी चारकिल्ला दस्तुर रु.  | १०००      |
|        | ख) अंशवण्डाका लागी चारकिल्ला सिफारिस  |           |
|        | १. ०-५-० सम्मको चार किल्ला प्रमाणित   | ३००       |
|        | सो भन्दा माथि चार किल्ला प्रमाणित रु.   | ५००       |
|        | २. राजमार्गको किनारामा पर्ने ०-५-० सम्मको   | ५००       |
|        | सो भन्दा माथी चारकिल्ला दस्तुर रु.  | १०००      |
|        | जग्गा नापी गर्दा प्रति कित्ता   | ५००       |
| ६५     | काउन्सिलर प्रमाणीकरण दस्तुर (प्रति पाना)  | २००       |
|        | संस्था दर्ता  | १०००      |
|        | संस्था नवीकरण   | ५००       |
| ६६     | जरिवाना (संस्था दर्ता ऐन अनुसार हुनेछ)  |           |
|        | घ वर्गको इजाजत पत्र दर्ता / नवीकरण/नवीकरण थप  | १०००      |
| ६७     | घ वर्गको इजाजत पत्र प्रतिलिपि दस्तुर  | ५००       |
| ६८     | माटो सम्याउने (प्रति वर्ग फिट)  | ०.५०      |
| ६९     | अव्यवस्थित जग्गा कारोबार गर्दा वातावरण तथा सरसफाई शुल्क वापत<br>कारोबार मूल्यको                           | २%        |
| ७०     | जग्गा कारोबार गर्दा खरिद कर्ताले बुझाउनु पर्ने भौतिक पूर्वाधार शुल्क (खरिद<br>मूल्यको)                    | ०.५ %     |

घ. जरिवाना तथा छुट सम्बन्धी व्यवस्था

नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरेको जरिवाना तथा छुट

| क्र.सं. | बिवरण  | रकम/प्रतिशत              | कैफियत |
|---------|--|--------------------------|--------|
| १       | <b>जरिवाना</b>   |                          |        |
|         | क) वार्षिक कर, दस्तुर तथा शुल्क बुझाउन विलम्ब भएमा पहिलो वर्ष  | १०%                      |        |
|         | दोस्रो वर्ष विलम्ब   | २०%                      |        |
|         | दोस्रो वर्ष पछि विलम्ब   | २५%                      |        |
|         | <b>पुनश्च: बक्यौता असुल गर्दा हालको दरमा नै हिसाब गरि असुल गर्ने</b>   | <input type="checkbox"/> |        |
|         | ख) पुरानो घर/जगमा सुपर स्टक्चर निर्माण गर्दा न.पा.मा नक्शा पेश नगरि निर्माण कार्य शुरु गरेमा एकमुष्ट रु.   | २५०००                    |        |
|         | ग) घ वर्गका घर बिना इजाजत निर्माण गरेमा जरिवाना रु.  |                          |        |
|         | टिनको छानो, इटा ढुङ्गा व्लक पर्खाल भएको घर एकमुष्ट रु.   | १०००                     |        |
|         | टायल/खरको छाना माटो वाँस आदि एकमुष्ट रु.   | ५००                      |        |
|         | घ) नया“ घर निर्माण गर्दा स्विकृत नक्शा विपरित साईड मार्जिन ३ फिट भन्दा कम छोडी झ्याल, ढोका राखेमा एकमुष्ट रु.  | २०००                     |        |
|         | ड) नक्शा पास नगरि निर्माण कार्य गर्नेलाई (मापदण्ड बमोजिम निर्माण गरेमा नक्शा पास गर्न सकिने तर मापदण्ड विपरित गरेमा नक्शापास नदिने) एकमुष्ट रु.  | १००००                    |        |
|         | च) तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको सेटव्याकमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरेमा कबुलियतनामा गरी जरिवाना रु.   | ५०००                     |        |
|         | छ) भवन निर्माण इजाजत लिई अन्य मापदण्ड पालना नगरी स्टक्चर डिजाइन र भवन संहिता बमोजिम निर्माण नगरेमा जरिवाना रु. (त्यस्ता भवनलाई जरिवाना लिई विद्युत पानी सिफारिस गर्न सकिने तर नक्शा पास नगरिने।        | ५०००                     |        |
|         | ज) सैनामैना भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ को संसोधित दफा १० को उपदफा ३१ बमोजिम नक्शापास गर्दा जरिवाना रु.   | ५०००                     |        |
|         | झ) सैनामैना भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ को संसोधित दफा १० को उपदफा ४५ बमोजिम नक्शापास गर्दा जरिवाना रु.   | १००००                    |        |
|         | ञ) घरनक्शा परामर्शदाताले घरनक्शा पास प्रकृयामा न.पा. मा गलत प्रतिवेदन पेश गरेमा वा भवन निर्माण सुपरिवेक्षण सम्भौता गरि उचित र आवश्यक मात्रामा सुपरिवेक्षण नगरेमा परामर्शदाता लाई पहिलो पटक जरिवाना रु. | १०००                     |        |
|         | ट) दोस्रो पटक पनि सोही प्रकृतिको गलत प्रतिवेदन पेश गरेमा रु.   | ५०००                     |        |
|         | ठ) दुइ पटक भन्दा बढी सोही प्रकृतिको गलत प्रतिवेदन पेश गरेमा कालो सुचिमा राखी उक्त फर्मबाट नक्शा दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लगाउने।   |                          |        |

| क्र.सं. | बिवरण   | रकम/प्रतिशत | कैफियत |
|---------|---|-------------|--------|
|         | ड) घर निर्माणकर्मीले घर धनी लाई गलत सल्लाह दिई स्वीकृत नक्शा र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गरेमा वा निर्माण कार्यमा लापरवाही पूर्वक गुणस्तरहिन कार्य गरेमा निर्माणकर्मीलाई पहिलो पटक जरिवाना रु. | १०००        |        |
|         | ठ) दोस्रो पटक पनि सोही प्रकृतिको गल्ती गरेमा रु.  | ५०००        |        |
|         | ण) दुइ पटक भन्दा बढी सोही प्रकृतिको गल्ती गरेमा कालो सुचिमा राखी उक्त निर्माणकर्मीको न.पा. मा भएको व्यवसाय दर्ता खारेज गर्ने  |             |        |
| २       | छुट   |             |        |
|         | क) दश धुर भन्दा बढी जग्गामा घर निर्माण गर्ने घरधनिहरूलाई आफ्नो घडेरीमा अनिवार्य २ वटा रुख रोप्नुपर्ने र रुख रोप्नेलाई नक्शा पास दस्तुरमा छुट दिने।  | १०%         |        |
|         | ख) प्रत्येक आ.व.शुरू भएपछि सोही आ.व. को श्रावण मसान्त भित्र कर बुझाएमा लाग्ने करमा छुट  | १०%         |        |

#### ४.४. आन्तरिक आयको तुलनात्मक विश्लेषण

नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्वको अवस्थाको मात्र तुलनात्मक अध्ययन चालु आ.व.को लागि करिब ७ करोड ६० लाख आम्दानी हुने अपेक्षा राखेकोमा पहिलो ७ महिनामा जम्मा ३ करोड ३० लाख अर्थात ४३ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको देखिन्छ । तसर्थ लक्ष्य प्राप्तिको लागि अबको बाँकी ५ महिनामा ५७ प्रतिशत राजश्व असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नगरपालिकाले पस्थितीको मुल्याङ्कन गरी राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ, भने लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा चालु आ.व.को वजेटको संशोधनमा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।


| सं नं | विवरण   | आ.व.०७४/०७५<br>को यथार्थ आय | ०७५/०७६ को<br>अनुमान |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|
|       | आन्तरिक श्रोत   |                             |                      |
| क     | स्थानीय कर  |                             |                      |
|       | सम्पत्ति कर/भुमिकर  | <b>20000</b>                |                      |
|       | घरवहाल कर   |                             | १५०                  |
|       | वहाल विटौरी कर  |                             | १२५००                |
|       | सवारी साधन कर (सवारी दर्ता, वार्षिक सवारी कर तथा पटके सवारी कर) |                             | ८१००                 |
|       | विज्ञापन कर   |                             | १००                  |
|       | अन्य मनोरञ्जन कर  |                             | ५०                   |
| ख     | दस्तुर  |                             |                      |
|       | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क                                       |                             | १७३१५                |
|       | नक्सापास दस्तुर   |                             | ७०००                 |
|       | सिफारिस दस्तुर  |                             | ६०००                 |
|       | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर                                     |                             | १५०                  |
|       | नाता प्रमाणित दस्तुर  |                             | २५०                  |
|       | अन्य दस्तुर   |                             | ५२४                  |
|       | व्यवशाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर                                      |                             | ३०००                 |
|       | प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत                                   |                             | ३००                  |
|       | अन्य राजश्व   |                             | ५००                  |
|       | आन्तरिक श्रोत   |                             | <b>७५९३९</b>         |

आ.व. २०७५/७६ को माघ मसान्तसम्मको आन्तरिक आयको असुली विवरण

| क्र.सं. | आयका शिर्षक                     | माघ मसान्तसम्मको आय |
|---------|---------------------------------|---------------------|
| १       | स्थानीय कर                      |                     |
|         | मालपोत तथा भूमीकर               | २३१०६९२             |
|         | हाटवजार कर                      | ६२८०००              |
|         | घरजग्गा कर                      | २८६९७               |
|         | बहाल कर                         | ४६८११६              |
|         | व्यवसाय कर                      | २१८९६६५             |
|         | सवारी कर                        | ८०५०                |
|         | सम्पति/भूमिकर                   | १४१२६४०             |
|         | सम्पति/भूमिकर                   | ८१३९७८              |
|         | बक्यौता सम्पति कर               | १९०४३४              |
|         | बक्यौता भूमिकर                  | ४०८२२९              |
|         | मनारेज्जन कर                    | ९०००                |
|         | स्थानीय कर जम्मा                | ७१०८७०२             |
| २       | सेवा शुल्क                      |                     |
|         | अन्य सेवा शुल्क                 | ८०००                |
|         | नक्शा डिजाइन शुल्क              | ६२०१०               |
|         | अचल सम्पति मूल्यांकन सेवा शुल्क | ५२२                 |
|         | भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क     | ३१६७४०१             |
|         | स्वास्थ्य र सरसफाई शुल्क        | ७०८६२१७             |
|         | सेवा शुल्क जम्मा                | १०३२४१५०            |
| ३       | दस्तुर                          |                     |
|         | दर्ता तथा नविरकण दस्तुतर        | ६९००                |
|         | जम्मा नामसारी दस्तुर            | २००                 |
|         | निवेदन दस्तुर                   | १०९४७०              |
|         | नक्शा दरखास्त फाराम दस्तुर      | ३०९४०९              |
|         | घर तथा घर नक्शा नामसारी दस्तुर  | ४७४४८               |
|         | दरखास्त फाराख दस्तुर            | ९२१०                |
|         | स्थानीय राजपत्र विक्रि दस्तुर   | ६७७                 |
|         | राजपत्र विक्रि                  | ९६६                 |
|         | म्याद थप दस्तुर                 | २५३३                |
|         | नक्शा पास दस्तुर                | ४०६५१८५             |

| क्र.सं. | आयका शिर्षक                        | माघ मसान्तसम्मको आय |
|---------|------------------------------------|---------------------|
|         | सिफारिस तथा बक्सौनी दस्तुर         | ४५९९०९९             |
|         | नाता प्रमाणित/अन्य प्रमाणित दस्तुर | १७०३६४              |
|         | प्रतिलिपि दस्तुर                   | ४३३०                |
|         | व्यक्तिगत घटना दर्ता (जरिवाना)     | ७५२२०               |
|         | संघसंस्था दर्ता तथा नविकरण दस्तुर  | ८५००                |
|         | अन्य दस्तुर                        | ५७०५०               |
|         | दरभाउ वा बोलपत्र दस्तुर            | २०४०००              |
|         | स्रोत परिचालन                      | १०००                |
|         | अन्य स्रोत परिचालन                 | १०००                |
|         | दस्तुर जम्मा                       | ९५९२४८१             |
| ४       | अन्य आय                            |                     |
|         | दण्ड जरिवाना                       | ८४६३२               |
|         | भाडा तथा बहालबाट आय                | ४३९९२०              |
|         | अन्य विविध आय                      | ५४४५३९९             |
|         | जग्गा नापजाँच शुल्क                | १८३११               |
|         | अन्य आय जम्मा                      | ५९८७४६२             |
|         | कुल आन्तरिक आय                     | ३३०९२७९५            |

### आन्तरिक आयको लक्ष्य र प्रगति



प्रस्तुत चार्टमा देखाईए अनुसार सैनामैना नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि ७ करोड ६० लाख आन्तरिक राजश्व उठाने अनुमान गरिएको छ भने चालु आ.व.को माघ मसान्तसम्म जम्मा ३ करोड ३० लाख अर्थात ४३ प्रतिशत मात्र असुल भएको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा बाँकी ५ महिनामा ४ करोड ३० लाख अर्थात ५७ प्रतिशत आम्दानी गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन चूनौतीपूर्ण रहेको छ ।

## ४.५. विश्लेषणका निश्कर्षहरु

नगरपालिकाको चालु आ.व.को आर्थिक नीति तथा आर्थिक ऐन र पहिलो ७ महिनाको असुलीको अवस्था विश्लेषण गर्दा देहायका निश्कर्षहरु प्राप्त भएको छ ।

- सम्पत्ती कर र भूमि कर तर्फ करको दर निर्धारण व्यवहारिक देखिन्छ ।
- चालु आ.व.को लागि सम्पत्ती/भूमिकर अन्तर्गत २ करोड आय संकलन हुने अनुमान गरेता पनि संघीय आर्थिक ऐनले सम्पत्ती कर र भूमि कर गरी छुट्याएर मात्र कर लिन भनेकोले सम्पत्ती कर र भूमिकरको बेगलावेगलै अनुमान गरिएको छैन । राजश्व शाखाको विवरण अनुसार मालपोत तथा भूमिकर, सम्पत्ती/भूमिकर यसको वक्यौता जस्ता अलग अलग शिर्षकमा जम्मा ५१ लाख ३६ हजार असुल भएको देखिन्छ । अनुमान आंकलन गर्दा सम्पत्ति कर र मालपोत (भूमिकार) बेगलावेगलै आंकलन गरी सोको आयको लेखा पनि सोही अनुसार बेगलावेगलै राख्नु पर्ने ।
- चालु आ.व.को लागि घर/जग्गा बहाल कर शिर्षकमा जम्मा १ लाख ५० हजार मात्र अनुमान गरेको तर पहिलो ७ महिनामा ४ लाख ६८ हजार आमदानी भैसकेको छ । यस आधारमा हेर्दा बाँकी ५ महिनाको समेत जोड गर्दा १० लाख भन्दा बढी आमदानी हुने देखिन्छ । अनुमान यथार्थपरक देखिएन ।
- चालु आ.व. को लागि व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर (व्यवसाय कर) बापत ३० लाख आमदानी हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो भने चालु आ.व.को माघ मसान्तसम्म यस शिर्षकबाट करिब २२ लाख आमदानी भैसकेको छ । यसको तुलनामा अपेक्षा गरिएको लक्ष्य सजिलै पुरा हुने देखिन्छ ।
- संविधान बमोजिम साभा अधिकार सूचीमा रहेको सवारी साधनबाट कर संकलन गर्ने योजना नगरपालिका आफैले प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सवारी साधन मध्ये इ रिक्सा, अटोसरक्सा र ठेलागाडाको कर मात्र स्थानीय सरकारले लिन पाउने छ । चालु आ.व.को लागि सवारी साधन कर (सवारी दर्ता, वार्षिक सवारी कर तथा पटके सवारी) बापत ८१ लाख आय अनुमान गरेको छ । तर माघ मसान्त सम्ममा यस शिर्षकबाट जम्मा ८ हजार मात्र असुल भएको देखिन्छ । यसर्थे नगरपालिकाले आफुमा नभएको सवारी सधान सम्बन्धी करको आय अनुमान गरेको कारण थप कर असुल हुन नसकेको देखिन्छ ।
- विज्ञापन कर शिर्षकबाट रु. १ लाख आमदानी हुने अपेक्षा गरेको थियो तर माघ मसान्तसम्म यस शिर्षकमा कुनै रकम असुल भएको पाइएन । विज्ञापन कर असुली सम्बन्धी उचित पहल हुन नसकेको देखिन्छ ।
- बहाल विटौरी कर अन्तर्गत चालु आ.व.को लागि रु. १ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको तर माघ मसान्तसम्म हाटवजार कर अन्तर्गत ६ लाख २८ हजार मात्र असुल भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा बहाल विटौरी अन्तर्गत आ.व.को अन्तसम्ममा लक्ष्य भेट्न सक्ने देखिदैन । यसमा दुईवटा तर्क गर्न सकिन्छ । (क) नगरपालिकाले यस शिर्षकमा कर संकलन हुने आकँक्षानै बढी राखेको पाइन्छ या (ख) कर संकलन भएता पनि संकलित शिर्षक स्पष्ट नभएको कारण अन्य शिर्षकमा देखाईएको हुनुपर्दछ ।
- पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र भित्री सडक मोहोडामा पर्ने स्थानमा बन्ने भवनहरुको बेगलावेगलै नक्शा पास दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । यसलाई हेर्दा नयाँ निर्माणमा घरको लागि प्रति वर्ग फिट औषत रु. ५ निर्धारण गरेको छ । नगरपालिकामा इन्जिनियर तथा अमिन तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरु आवश्यक संख्यामा रहेको र नगरपालिकाले नियमित रूपमा नक्सापास गरिरहेको छ । चालु आ.व. को लागि ७० लाख आय अनुमान गरेको छ भने चालु आ.व.को माघ मसान्तसम्ममा जम्मा रु. ४३ लाख असुल भईसकेको छ । बाँकी अवधिमा असुली लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ ।
- दर्ता, अनुमति, सफारिस तथा प्रमाणित दस्तुर लगायतका अन्य शुल्कमा रु. २५ लाख आय अनुमान गरेता पनि चालु आ.व.को पहिलो ७ महिनामा ५२ लाख ८८ हजार आय संकलन भैसकेको छ । यस शिर्षकमा आय अनुमाननै कम गरेको देखिन्छ ।

- भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कमा ३१ लाख ६७ हजार र स्वास्थ्य र सरसफाई शुल्कमा ७० लाख ८६ हजार गरी करिब १ करोड ३ लाख आय अनुमान गरेको देखिन्छ तर आर्थिक ऐनमा उक्त शिर्षकमा कर असुल गर्ने स्पष्ट प्रावधान देखिएन । आर्थिक ऐनले करका शिर्षक र दर स्पष्ट नगारी कर असुल गर्नु नहुने संवैधानिक प्रावधान

रहेको

छ

।

## परिच्छेदःपाँच

### राजश्व बृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने कदम र सम्भावित क्षेत्र

यस परिच्छेदमानगरपालिकाको आय संकलनको लागि गरिएका प्रयासहरु तथा आय संकलनलाई प्रभावकारी बनान गर्नुपर्ने प्रयासको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसले नगरपालिकाको आय संकलनकोलागि संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरु पहिचान गर्न सहयोग पुर्ने छ।

#### १ राजश्व परिचालन सम्बन्धी नीति

सैनामैना नगरपालिकाको सम्पन्न तेस्रो नगर सभाले आर्थिक ऐन पारित गरी आन्तरिक आयको दररेट स्वीकृत गरेको छ। यसको साथै नगर सभाले पारित गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राजश्व र सेवा प्रवाहको विषयलाई पनि समेटिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा करको दायरा निर्धारण गरी सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने तथा करदाताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै कर संकलन कार्यलाई कम्प्यूटर विलिङ मार्फत वडा कार्यालयहरुबाट नै तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकाले आ.व. २०७५।७६ को लागि आन्तरिक आय तर्फ जम्मा रु. ७ करोड ६० लाख हजार अनुमान गरेको छ, भने अन्य शिर्षकहरुमा वित्तिय समानिकरण अनुदान, ससर्त अनुदान रहेको छ। नगरपालिकाले कुल ५८ करोड १० लाख आय अनुमान गरेको देखिन्छ। नगरपालिकाले आन्तरिक आय तर्फ शिर्षकगत रूपमा आय अनुमान गरेको छ, र त्यस अनुसार असुलीको अवस्था देखिने गरी आय विवरण तयार गरेको छ। यसले आन्तरिक आय अनुगमन तथा मुल्यांकनको लागि सूचक तथा आधार तथ्यांकको व्यवस्थापन प्रभावकारी देखाउँदछ। यसका अतिरिक्त वडा कार्यालयहरुबाट पनि शिर्षकगत रूपमा आयको मासिक रूपमा असुलीको अवस्था देखिने गरी विवरण अद्यावधिक भएको देखिन्छ।

#### २. आय संकलनको संस्थागत क्षमता

नगरपालिकाले राजश्व संकलन कार्य व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्नको लागि राजश्व शाखा गठन गरेको छ, र अधिकृत स्तर छैटौ तह र सहायक स्तर गरी २ जना कर्मचारी खटाएको छ। त्यसैगरी आय संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन केही कार्यविधिहरु तर्जुमा गरिएता पनि पर्याप्त छैनन। राजश्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी वडालाई दिइएको छ, भने राजश्वमा खटिएका शाखागत कर्मचारीले वडा सचिवबाट बुझाएको रकम जम्मा गर्ने काम गरेका छन्। वडाबाट संकलन गरिएका कर पनि कम्प्युटिकृत विलिङ प्रणाली लागु गरिएकोले दैनिक कर असुलीको अनुगमन नगरपालिकाको राजश्व शाखाले गरिरहेको छ। आर्थिक प्रशासन शाखाले नगद भुक्तानीको चेक कम्प्यूटरद्वारानै काट्ने गरिन्छ।

#### ३. नगरपालिकाको आन्तरिक आय परिचालन

साविकको गाउँ विकास समिति र हालको तिनै गाविस समायोजन गरेर गठन भएको नगरपालिकाबीचमा कभरेज र राजश्व अधिकारमा ठूलो फरक भएकोले विगतको आय परिचालन अवस्थाले भविश्यको राजश्व परिचालनको अवस्था विश्लेषणकोलागि खासै योगदान दिन सक्ने देखिदैन। चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले ७ करोड ६० लाख आन्तरिक आय परिचलन गर्ने बजेट अनुमान गरेकोमा २०७५ साल माघ मसान्त सम्ममा (७ महिनामा) जम्मा ३ करोड ३० लाख (अर्थात ४३ प्रतिशत) आय संकलन गरेको देखिन्छ। यसले नगरपालिकाको चालू वर्षको आय अनुमान अनुसार आय संकलन सहजै हुने देखिन्छ। संकलित आय रकम अनुमान गरिएको शिर्षकगत रूपमा नदेखाईएकोले कुन शिर्षकवाट कति आय अनुमान गरिएको छ, र कति संकलन भएको छ, भने समेत विश्लेषण गर्न सकिएन।

#### **४. राजश्व परिचालनमा रहेका सवालहरू**

यस नगरपालिका तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकोले स्थानीय आन्तरिक आय परिचालनमा अनुभव तथा क्षमताको कमी रहेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आय परिचालनमा देखिएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न निम्नानुसार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

##### **क. राजश्व प्रशासनका लागि उपयुक्त संगठन निर्माण**

राजश्व परिचालन क्षमता सुधार तथा राजश्वको श्रोत र आधारहरू बृद्धी गर्न नगरपालिकाको राजश्व प्रशासन संगठनको व्यवस्था गर्नु पहिलो कार्यको रूपमा देखिन्छ । नगरपालिकाको नयाँ क्षेत्र तथा परिवर्तित राजश्व अधिकारको आधारमा भौतिक सुविधा, उपयुक्त मानव संशाधन व्यवस्था, क्षमता विकास तालिम, कार्यविधि, सूचना तथा अभिलेख प्रणाली सहित राजश्व परिचालनका लागि सुदृढ राजश्व शाखाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

##### **ख. आन्तरिक आय परिचालन नीति तथाकार्यविधि**

नगरपालिकाले आय परिचालन सम्बन्धी नीति तथा मुख्य आय शिर्षकहरूवाट आय संकलन गर्ने कार्यविधि तयार गरी वडा समितिहरूलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसमा आय संकलन गर्ने तरिका, प्रतिवेदन बुझाउने ढाँचा, नगद दाखिला सम्बन्धी व्यवस्था, अनुगमन जस्ता विषवस्तु पर्दछन् । त्यसैगरी आन्तरिक आयको वार्षिक अनुमान गर्दा शिर्षकगत रूपमा आय अनुमान गरी समय समयमा समिक्षा गर्नु पर्दछ ।

##### **ग. राजश्वका दर र दायरा निर्धारण तथा प्रचार प्रसार**

नगरपालिकाले हालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार राजश्व संकलनकोलागि दर र दायरा निर्धारण गरी त्यसको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक देखिन्छ । राजश्व प्रक्षेपण गर्नुभन्दा पहिलेनै सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरेर करको दायरा दर निर्धारण गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी करदातालाई तिर्नुपर्ने कर रकम सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन कर शिक्षा (Tax Education)कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त समयमा समयमा राजश्व नतिरेमा दण्ड जरिवाना लाग्ने विषयमा पनि प्रचार प्रशार गर्नु पर्दछ ।

##### **घ. तथ्याङ्कमा आधारित अभिलेख**

आन्तरिक आयको अधिकतम परिचालनकालागि यसका आधारहरूको अभिलेख अद्यावधिक हुनु जरुरी छ । नगरपालिकालाई प्राप्त राजश्वका अधिकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू, व्यापार व्यवसायहरू, सेवा तथा सुविधाहरू आदिको अभिलेख तयारी तथा अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको छ । अद्यावधिक अभिलेख विना राजश्व सम्बन्धी नीति निर्धारण, प्रक्षेपण, असुली व्यवस्थाको अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । राजश्व संकलन कार्य तथा अभिलेख राख्नको लागि सफ्टवयरको स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

##### **ड. समन्वय संयन्त्र**

राजश्व परिचालन नीति निर्माण, शुल्क तथा दस्तुरको दर निर्धारण, राजश्व संकलन विधि निर्धारण जस्ता कार्यमा आन्तरिक तथा वाह्य निकायहरूसँग समन्वय अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि राजश्वका आधार निर्धारण तथा दरहरूमा परिमार्जनका लागि राजश्व परामर्श समितिको भूमिकालाई स्थापना गर्नु पर्दछ । आय संकलनमा वडा समितिको भूमिकालाई स्पष्ट व्याख्या गरी वडा र राजश्व शाखाबीच निरन्तर समन्वय हुन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी राजश्व वाँडफाँड सम्बन्धमा केन्द्र, प्रदेश तथा अन्य स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

##### **च. चुहावट नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता**

आयको संकलन अवस्थाको अनुगमन गरी राजश्व चुहावट भएको पाइएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक कार्य गर्नु पर्दछ । नगरपालिकाले आय व्ययको विवरण आवधिक रूपमा प्रकाशनमा ल्याउनु, करदातासँग निन्तर संबाद गर्नु, सूचना प्रविधि तथा सामाजिक मिडिया मार्फत राजश्व र खर्चको विवरणबारे जनता तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउनु यस दिशातर्फको केही सकारात्मक प्रसासहरु हुन सक्षम छ ।

#### छ. राजश्वको प्रभावकारी प्रयोगको अनुभुती

विगतमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष कर तिरेको खासे अनुभव नभएको कारण कर तिर्ने वानी वसाल चुनौती छ । अझ आफुले तिरेको कर नगरले उपयुक्त रूपमा परिचालन गर्दैनकी ? भन्ने शंका नागरिकमा हुनु स्वभाविक पनि हो । तसर्थ नगरपालिकाले उठाएको करलाई यो यो क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने स्पष्ट योजना सहित नागरिकको विश्वास जित्न सक्नु पर्दछ ।

#### ५. राजश्व बृद्धिका लागि सम्भावित क्षेत्र र सिफारिस गरिएका करका दरहरु

सैनामैना नगरपालिकाको आन्तरिक आयको लागि चालु आ.व.मा निर्धारण गरेका करका दर तथा दायराहरु, माघ मसान्तसम्मको असुली प्रगति, नगरपालिकाको हालसम्मको अनुभव र अन्य केही स्थानीय सरकारहरुले गरेको अभ्यास र अनुभवको आधारमा देहाय अनुसार करका दर र दायरा निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

#### क. कर राजश्व

##### १. सम्पत्ती कर

आगामी आ.व.को लागि जग्गाको प्रस्तावित न्यूनतम मुल्याङ्कन

| क्र.<br>सं | विवरण   | न्यूनतम मुल्याङ्कन रु     |                                |           |
|------------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------|
|            |   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | खेतियोग्य |
| १          | लोकमार्ग मोहडा पर्ने  | ५५०००००                   |                                | ५०००००    |
| २          | लोकमार्ग बजार क्षेत्र (२०० मिटर सम्म)   | ३५०००००                   | २५०००००                        | ४०००००    |
| ३          | लोकमार्गको २०० देखि ५०० मिटर सम्म   | २५०००००                   | २००००००                        | ३०००००    |
| ४          | लोक मार्ग सँग जोडिएका ३० पूट मोहडा भएका<br>लोक मार्ग देखि ५०० मि.भन्दा टाढा       | २००००००                   | १००००००                        | २०००००    |
| ५          | अन्य लोक मार्ग संग जोडिएका २० फूट मोहडा<br>भएका लोक मार्ग देखि ५०० मि. भन्दा टाढा | २००००००                   | १००००००                        | २०००००    |
| ६          | मेजर सडक मोहडा लोकमार्गदेखि ५०० मिटर भन्दा<br>टाढा                                | २५०००००                   | २००००००                        | २०००००    |
| ७          | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक मोहडा ५०० मि.सम्म  | ३००००००                   |                                | २०००००    |
| ८          | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक मोहडा ५००-१०००<br>मि.सम्म                                  | २००००००                   | १५०००००                        | २०००००    |
| ९          | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक मोहडा १००० मि.देखि टाढा                                    | १८०००००                   | १३०००००                        | २०००००    |
| १०         | कलौनी -लुम्बिनी सडक मोहडा ५०० मि.सम्म   | ३००००००                   |                                | २०००००    |
| ११         | कलौनी -लुम्बिनी सडक मोहडा ५००-१०००<br>मि.सम्म                                     | २००००००                   |                                | २०००००    |
| १२         | कलौनी -लुम्बिनी सडक मोहडा १००० मि.देखि टाढा                                       | १८०००००                   | १३०००००                        | २०००००    |
| १३         | सालभण्डी -ढोरपाटन सडक ५०० मि. सम्म  | ५००००००                   |                                | २०००००    |
| १४         | सालभण्डी -ढोरपाटन सडक मोहडा ५००-१०००  | ३५०००००                   |                                | २०००००    |
| १५         | सालभण्डी -ढोरपाटन सडक मोहडा १००० देखि   | २००००००                   |                                | २०००००    |

| क्र. सं | विवरण   | न्यूनतम मूल्याङ्कन रु     |                                |           |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------|
|         |   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | खेतियोग्य |
|         | टाढा  |                           |                                |           |
| १६      | सैनामैना रिडरोड मोहडा ५०० मि. भन्दा टाढा          | २०००००००                  | १०००००००                       | २०००००    |
| १७      | अन्य भित्री सडक लोक मार्ग देखि ५०० मि. भन्दा टाढा | २०००००००                  | १०००००००                       | २०००००    |

### द्रस्टव्य

- जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा सडक सँग जोडिएको जग्गामा सडक देखि १२० फिटलाई घडेरी मानी सो भन्दा पछाडिको जग्गालाई खेतियोग्य मानेर मूल्याङ्कन गर्ने ।
- वेदर्ता जग्गाको हकमा उपरोक्त मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशत मूल्य कायम गर्ने ।
- वेदर्ता जग्गामा बनेको संरचनाको लागि बहाल विटौरी कर र संरचना निर्माण नभएको जग्गामा पूर्वाधार विकास शुल्क लिने ।
- जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा लोकमार्ग मोहडा सँग जोडिएको जग्गामा सडक देखि १२० फिट भन्दा टाढा अर्को सडकमा मोहडा परेमा बजार क्षेत्रमा परेमा सोही अनुसार र सो भन्दा टाढा भित्री सडक सरह कायम गर्ने ।
- सैनामैना रिडरोडमा कालो पत्रे भए पछि मात्र कालो पत्रेको मूल्य अनुसार कायम गर्ने ।

### भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन

| क्र. सं. | घरको बनौट  | मूल्याङ्कन दर प्रति वर्ग फिट रु. | हासकटी % प्रति वर्ष | कट्टी गर्ने जम्मा वर्ष |
|----------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| १        | सेड वा कच्ची घर  | ५००                              | संलग्न सिट बमोजिम   |                        |
| २        | माटोको जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो - जस्ताटायलको छाना   | ८००                              |                     |                        |
| ३        | माटोको जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो - आर.सि.सि. वा सिमेण्ट जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो - जस्ताटायलको छाना | १०००                             |                     |                        |
| ४        | सिमेण्ट जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको गारो - आर.सि.सि. छाना  | १२००                             |                     |                        |
| ५        | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर  | १५००                             |                     |                        |

### संरचनाको हास कट्टी दर

| संरचनाको आयु | संरचनाको किसिम                  |  |   |  |                    |
|--------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------|
|              | आर.सि.सि.<br>फ्रेम<br>स्ट्रक्चर | सिमेण्ट<br>जोडाईमाइट्रावा<br>दुङ्गाको गारो -<br>आर.सि.सि. छाना | माटोको जोडाईमाइट्रावा<br>दुङ्गाको गारो -<br>आर.सि.सि. वा सिमेण्ट<br>जोडाईमाइट्रावा दुङ्गाको<br>गारो - जस्ताटायलको<br>छाना | माटोको<br>जोडाईमाइट्रावा<br>दुङ्गाको गारो -<br>जस्ताटायलको<br>छाना | सेड वा<br>कच्ची घर |
| १ - ३ वर्ष   | ६                               | ९  | १२  | १५   | २०                 |
| ४- ६ वर्ष    | १२                              | १८   | २४  | ३०   | ४०                 |

|               |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|
| ७- ९ वर्ष     | १८ | २७ | ३६ | ४५ | ६० |
| १०- १२ वर्ष   | २४ | ३६ | ४८ | ६० | ८० |
| १३- १५ वर्ष   | ३० | ४५ | ६० | ७५ | ९० |
| १६- १८ वर्ष   | ३६ | ५४ | ७२ | ९० | ९० |
| १९- २१ वर्ष   | ४२ | ६३ | ८४ | ९० | ९० |
| २२- २४ वर्ष   | ४८ | ७२ | ९० | ९० | ९० |
| २५- २७ वर्ष   | ५४ | ८१ | ९० | ९० | ९० |
| २८- ३० वर्ष   | ६० | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ३१- ३३ वर्ष   | ६६ | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ३४- ३६ वर्ष   | ७२ | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ३७- ४० वर्ष   | ७८ | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ४१- ४३ वर्ष   | ८४ | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ४४- ४६ वर्ष   | ९० | ९० | ९० | ९० | ९० |
| ४६ भन्दा माथि | ९० | ९० | ९० | ९० | ९० |

### सम्पत्तिकरको दर

| कर योग्य सम्पत्तिको मुल्य                       | वार्षिक दर       |
|---|------------------|
| दश लाख रुपैयासम्मको मूल्याङ्कनमा                | एकमुष्ठ रु १००   |
| दश लाख रुपैयादेखि दुई करोड रुपैयासम्म           | प्रति लाख रु. १० |
| दुई करोड एक लाख रुपैयादेखि तीन करोड रुपैयासम्म  | प्रति लाख रु. १८ |
| तीन करोड एक लाख रुपैयादेखि चार करोड रुपैयासम्म  | प्रति लाख रु २२  |
| चार करोड एक लाख रुपैयादेखि पाँच करोड रुपैयासम्म | प्रति लाख रु. २५ |
| पाँच करोड भन्दा माथि                            | प्रति लाख २७     |

### २. भूमिकर (मालपोत)

**हालको अवस्था:** आर्थिक ऐनले मालपोतको दर प्रति कट्ठा न्यूनतम रु २० देखि ५५० सम्म निर्धारण गरी संकलन गरी आएको छ। जग्गाको गुणस्तर र मूल्याङ्कनको आधारमा न्यूनतम दर निर्धारण गरेको पाइन्छ। नगरपालिकाले वडा कार्यालयवाट मालपोत संकलन गरिआएको छ। संकलित मालपोत रकम वडा सचिवहरूले नगरपालिकाको राजश्व शाखामा हरेक महिनामा दाखिला गर्ने गरेका छन्। उपरोक्त विवरणलाई राजश्व शाखाले सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गर्न थालेको छ।

### आगामी आ.व.को लागि प्रस्तावित भूमिकरको दररेट

| क्र. सं | विवरण                                  | मूल्य र कायम गर्ने दर  |                            |                             |                            |               |                            |
|---------|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
|         |  | जग्गाको किसिम          | भूमिकरको दरप्रति कट्ठा रु. | जग्गाको किसिम               | भूमिकरको दरप्रति कट्ठा रु. | जग्गाको किसिम | भूमिकरको दरप्रति कट्ठा रु. |
| १       | लोकमार्ग मोहडा पर्ने                   | कालो पत्रे घडेरी जग्गा | ५५०                        | ग्रामेल / कच्ची घडेरी जग्गा |                            | खेतियोग्य     | ५०                         |
| २       | लोकमार्ग बजार क्षेत्र ( २०० मिटर सम्म) | कालो पत्रे घडेरी जग्गा | ३५०                        | ग्रामेल / कच्ची घडेरी जग्गा | २५०                        | खेतियोग्य     | ४०                         |
| ३       | लोकमार्गको २०० देखि                    | कालो पत्रे             | २५०                        | ग्रामेल / कच्ची             | २००                        | खेतियोग्य     | ३०                         |

| क्र.<br>सं | विवरण  | मूल्य र कायम गर्ने दर     |                                  |                                |                                  |                  |                                  |
|------------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
|            |  | जग्गाको<br>किसिम          | भूमिकरको<br>दरप्रति<br>कट्ठा रु. | जग्गाको किसिम                  | भूमिकरको<br>दरप्रति<br>कट्ठा रु. | जग्गाको<br>किसिम | भूमिकरको<br>दरप्रति<br>कट्ठा रु. |
|            | ५०० मिटर सम्म  | घडेरी जग्गा               |                                  | घडेरी जग्गा                    |                                  |                  |                                  |
| ४          | लोक मार्ग सँग<br>जोडिएका ३० फूट<br>मोहडा भएका लोक<br>मार्ग देखि ५००<br>मि. भन्दा टाढा      | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १००                              | खेतियोग्य        | २०                               |
| ५          | अन्य लोक मार्ग सँग<br>जोडिएका २० फूट<br>मोहडा भएका लोक<br>मार्ग देखि ५०० मि.<br>भन्दा टाढा | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १००                              | खेतियोग्य        | २०                               |
| ६          | मेजर सडक   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २५०                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | २००                              | खेतियोग्य        | २०                               |
| ७          | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा ५०० मि.सम्म  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ३००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                  | खेतियोग्य        | २०                               |
| ८          | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा ५००-१०००<br>मि.सम्म  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १५०                              | खेतियोग्य        | २०                               |
| ९          | मुर्गिया -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा १००० मि.देखि<br>टाढा                                       | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | १८०                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १३०                              | खेतियोग्य        | २०                               |
| १०         | कलौनी -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा ५०० मि.सम्म   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ३००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                  | खेतियोग्य        | २०                               |
| ११         | कलौनी -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा ५००-१०००<br>मि.सम्म   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                  | खेतियोग्य        | २०                               |
| १२         | कलौनी -लुम्बिनी सडक<br>मोहडा १००० मि.देखि<br>टाढा  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | १८०                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १३०                              | खेतियोग्य        | २०                               |
| १३         | सालझण्डी -ढोरपाटन<br>सडक ५०० मि. सम्म  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ५००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                  | खेतियोग्य        | २०                               |
| १४         | सालझण्डी -ढोरपाटन<br>सडक मोहडा ५००-<br>१०००  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | ३५०                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                  | खेतियोग्य        | २०                               |
| १५         | सालझण्डी -ढोरपाटन<br>सडक मोहडा १०००<br>देखि टाढा   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा |                                  | खेतियोग्य        | २०                               |
| १६         | सैनामैना रिझरोड मोहडा<br>५०० मि. भन्दा टाढा  | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १००                              | खेतियोग्य        | २०                               |
| १७         | अन्य भित्री सडक लोक<br>मार्ग देखि १००० मि.<br>भन्दा टाढा                                   | कालो पत्रे<br>घडेरी जग्गा | २००                              | ग्रामेल / कच्ची<br>घडेरी जग्गा | १००                              | खेतियोग्य        | २०                               |

- नोट:**
- (क) सम्पत्ति कर लाग्ने घरजग्गा नभई कसैको नाममा भूमिकर लाग्ने जग्गा मात्र भएमा रु. ५० सम्मको करलाई न्यूनतम मानी भूमिकर लगाइनेछ ।
  - (ख) सम्पत्ति कर लाग्ने सम्पत्ति र जग्गामा सम्पत्ति करलाई न्यूनतम मानी सम्पत्ति कर लाग्ने वाहेकका जग्गामा माथि तोकिए बमोजिमको भूमिकर लगाइनेछ ।

**सम्भाव्यता:** सैनामैना नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि एकीकृत सम्पत्ति कर अन्तर्गत २ करोड आय संकलन हुने अनुमान गरेता पनि संघीय अर्थिक ऐनले सम्पत्ति कर र भूमि कर गरी छुट्याएर मात्र कर लिन भनेकोले सम्पत्ति कर र भूमिकरको बेग्लाबेग्लै अनुमान गरिएको छैन । चालु आ.व.को माघ मसान्तसम्म दुवै शिर्षकबाट जम्मा रु. ५१ लाख ३६ हजार मात्र आय संकलन भएको देखिन्छ । सम्पत्ति करको लागि तथ्याङ्क संकलन गर्ने, सबै करदातालाई स्वयमकर घोषणा अभियान संचालन गरी करको दायरामा ल्याउने हो भने आगामी आ.व.को लागि करिब २ करोड आम्दानी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

**सुधारका पक्षहरू:** नगरपालिकाको भूमिकर (मालपोत) मा सुधार ल्याउनको लागि जग्गाको अभिलेख तथा सो को मालपोत वक्यौताको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने, मालपोत संकलन तथा रकम बैक दाखिला सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने, मालपोत वक्यौता बुझाउन प्रचार प्रसार गर्ने र ढीला बुझाउनेसँग जरिवाना लिने व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

### ३. घर जग्गा बहाल कर

नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम घर जग्गा बहाल कर संकलन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र परेको र यसै सन्दर्भमा मन्त्रीपरीषदको मिति २०७४ चैत्र १५ को निर्णयानुसार घर बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संकलन नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । सैनामैना नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि सार्वजनिक पूर्वाधारको सुविधा अनुसार प्रति कोठाको न्यूनतम भाडा रकम मूल्याङ्कन निर्धारण गरी सोको १० प्रतिशत भाडा वापतको रकम नगरपालिकालाई बुझाउन कानुन निर्माण गरेको छ । तर सैनामैना नगरपालिकाले निर्धारण गरेको घरजग्गा बहाल कर सम्बन्धी न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वयं घोषणा अभियान संचालन गर्न सके घरधनीहरु करको दायरामा सजिलै आउन सक्ने देखिएकोले यो अभियान संचालन गर्न सुभाव दिईएको छ । अध्ययनको क्रममा घरजग्गा बहाल कर असुली गर्न दुईवटा विकल्प सिफारिस गरिएको छ ।

#### क. पहिलो विकल्प: घरजग्गा बहाल कर स्वयम घोषणा विधि

नगरपालिकाले घरजग्गा बहाल कर असुलीको लागि घरजग्गा बहाल कर स्वयम घोषणा पढ्ती लागु गर्न प्रभावकारी हुने भएकोले पहिलो विकल्पको रूपमा सिफारिस गरिएको छ । घरजग्गा बहाल कर स्वयम घोषणा विधि अनुसार प्रभावकारी रूपमा करको दायरामा ल्याउनको लागि अभियान संचालन गर्न देहाय बमोजिमको गतिविधि गर्न आवश्यक छ ।

#### अभियानको आवश्यकता

- बहाल करलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने
- अहिले पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउदै गरिएको कार्य रोक्न
- बहाल करका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने
- बहाल कर संकलनका कार्यलाई सरलिकृत गर्ने

घरजग्गा बहाल कर असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोजिमको तयारी गर्ने ।

- बहाल करबाट संकलन भएको रकम प्रशासनिक कार्यमा खर्च नगर्ने । उक्त रकम समुदायको सङ्करण, ठल तथा अन्य पूँजीगत क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने प्रतिबद्धता वजेट मन्त्रिमण्डल राख्ने ।

- अभियान संचालनको क्रममा करदाता तथा नागरिकबाट आउन सक्ने प्रश्नहरुको आँकलन गर्ने र सम्भावित उत्तरहरु तयार पार्ने ।
- घरभाडा कर संकलन कार्यको लागि स्थवं घोषणा फारम तयार गर्ने ।
- सहजकर्ता र अभियानमा संलग्न हुने टोलीलाई अभिमुखीकरण गर्ने ।
- नगरपालिकाको तर्फबाट प्रत्येक कर दातालाई उनिहरुले बुझाएको वहाल कर प्रविष्टी सहितको पासबुक उपलब्ध उपलब्ध गराउने ।

### अभियानको कार्य योजनाको प्रारूप

- आम नगरवासीहरुमा वहाल करका सम्बन्धमा सूचना प्रवाह गर्ने
- नगर स्तरीय राजस्व परामर्श समितिमा वहाल कर संकलन कार्ययोजना परित गर्ने
- प्रत्येक घरमा नगर कार्यपालिकाको आधिकारिक पत्र तथा स्वयं कर घोषणा फारम पुऱ्याउने
- वहाल आय संकलनका लागि वडा मार्फत २ जना सहजकर्ता छनौट गर्ने ।
- नगरको सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीहरुको लागि १ दिने Orientation कार्यक्रम राख्ने ।
- यस नगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको लागि १ दिने Orientation कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
- नगरपालिकाका कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधीज्यूहरुको घर वहालमा भएमा पहिला आफ्नो स्वघोषणा गर्ने ।
- प्रत्येक वडा कार्यालयबाट एक जना सहजकर्ता छनौट गरी नगरपालिकामा जानकारी गराउने र सो सहजकर्ता मार्फत वहाल कर स्वयं घोषणा फारम प्रत्येक घरमा पठाउने ।
- बुझाईएको फारम ७ दिन भित्र सहजकर्ताले नै संकलन गरी नगरपालिकामा बुझाउने ।
- पत्र बुझाउनका लागि जाँदा विगतमा वहाल कर तिरी रहेका करदाताहरुको लगत संकलन गर्ने ।
- प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्व वहाल कर संकलन सहजीकरण समिति गठन गर्ने ।
- नगर क्षेत्र भित्रका क्रियाशिल पत्रकारहरु राखेर PressMeet गर्ने ।
- नगर क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुसंग १ दिने अन्तरकिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।

### ख. दोस्रो विकल्पः प्रति कोठाको न्यूनतम मूल्याङ्कन

नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरेको घरजग्गा वहाल करको दररेट निर्धारण गर्दा प्रति कोठाको न्यूनतम मूल्याङ्कन तोकेको छ । आगामी आ.व.को लागि पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन दोस्रो विकल्पको रूपमा सिफारिस गरिएको छ ।

**चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरिएको घरजग्गा बहाल करको दररेटको विवरण**

| कोठा<br>विवरण/प्रति<br>कोठाको<br>न्यूनतम<br>मूल्याङ्कन | सटर कोठा         |                       |                           |                 | अन्य कोठा        |                       |                            |                 | अनुमानित<br>भाडा कर |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
|  | अनुमानित<br>कोठा | सरदर<br>मासिक<br>भाडा | वार्षिक<br>भाडा रकम<br>रु | सरदर<br>भाडा कर | अनुमानित<br>कोठा | सरदर<br>मासिक<br>भाडा | वार्षिक<br>भाडा रकम<br>रु. | सरदर<br>भाडा कर |                     |
| लोकमार्ग<br>बजारक्षेत्र                                | ४५०              | ४०००                  | २१६०००००                  | २१६००००         | ५५०              | २०००                  | १३२०००००                   | १३२००००         | ३४८००००             |
| लोकमार्ग अन्य<br>क्षेत्र                               | ३५०              | ३०००                  | १२६०००००                  | १२६००००         | ३५०              | १५००                  | ६३०००००                    | ६३००००          | १८९००००             |
| भित्री कालोपत्रे<br>बजार क्षेत्र                       | १५०              | २५००                  | ४५०००००                   | ४५००००          | २५०              | १२००                  | ३६०००००                    | ३६००००          | ८९००००              |

| कोठा<br>विवरण/प्रति<br>कोठाको<br>न्यूनतम<br>मूल्याङ्कन | सटर कोठा         |                       |                            |                 | अन्य कोठा        |                       |                            |                 | अनुमानित<br>भाडा कर |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
|  | अनुमानित<br>कोठा | सरदर<br>मासिक<br>भाडा | वार्षिक<br>भाडा रकम<br>रु. | सरदर<br>भाडा कर | अनुमानित<br>कोठा | सरदर<br>मासिक<br>भाडा | वार्षिक<br>भाडा रकम<br>रु. | सरदर<br>भाडा कर |                     |
| भित्री कालोपत्रे<br>अन्य क्षेत्र                       | १००              | २०००                  | २४०००००                    | २४००००          | २००              | १०००                  | २४०००००                    | २४००००          | ४८००००              |
| भित्री ग्रामेल<br>बजार क्षेत्र                         | १००              | १५००                  | १८०००००                    | १८००००          | १००              | १०००                  | १२०००००                    | १२००००          | ३०००००              |
| भित्री ग्रामेल<br>अन्य क्षेत्र                         | ५०               | १०००                  | ६०००००                     | ६००००           | ५०               | ५००                   | ३०००००                     | ३००००           | ९००००               |
| जम्मा  | १२००             |                       | ०                          | ०               | १५००             |                       | ०                          | ०               | ७०५००००             |

नगरपालिका क्षेत्रमा पसल व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सटर तथा कोठा भाडामा लगाईएको छ भन निजी बसोवासको लागि समेत भाडामा लगाईएको छ। भाडामा लगाईएका सटर भाडा १२०० वटा र अन्य कोठा करिब १५०० वटाबाट कर संकलन गर्न सकेमा करिब ७० लाख भाडा कर संकलन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

**सुधारका पक्षहरू:** नगरपालिकाले आफै तथा अन्य संघ/संस्थाले भाडामा लिएको भवनवाट घरजग्गा वहाल कर असुली कार्यको सुरुवात गर्ने, सम्पति कर र व्यवसाय करसँग वहाल सम्बन्धी आयलाई आवद्ध गर्ने, घरजग्गा वहाल लिनु अघि सो को जानकारी नगरपालिकामा प्राप्त गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरबहाल कर अन्तर्गत स्वयम कर घोषणा अभियान संचालन गर्ने लगायतका गतिविधि संचालन गर्न सकेमा यसको असुली प्रभावकारी हुन सक्छ।

#### ४. व्यवसाय कर

नगर क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण पसल व्यवसायहरूलाई अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा दर्ता गराई वार्षिक रूपमा कर लिन संविधान र संघीय कानुनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ। चालु आ.व.मा निर्धारण गरेका व्यवसायका करका दर तथा दायराहरू, माघ मसान्तसम्मको असुली प्रगति, नगरपालिकाको हालसम्मको अनुभव र अन्य केही स्थानीय सरकारहरूले गरेको अभ्यास र अनुभवको आधारमा व्यवसाय करको दर र दायरा निर्धारण गर्न देहाय अनुसार दुईवटा विधि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

##### क. विधि नं. १: व्यवसायको प्रकृति अनुसार कर निर्धारण

व्यवसाय करको दर दायरा निर्धारण गर्ने एउटा विकल्प भनेको व्यवसायको प्रकृति वा व्यवसायको प्रकारका आधारमा करको दर निर्धारण गर्नु हो। यस विधि अन्तर्गत व्यवसायको प्रकृति वा किसिम अनुसार करको वार्षिक दर निर्धारण गरिएको हुन्छ। सैनामैना नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि व्यवसाय कर यसै विधिद्वारा निर्धारण गरेको छ।

##### ख. विधि नं २: व्यवसायमा लगानी गरिएको पूँजी र कारोबारको आधारमा कर निर्धारण

संचालित व्यवसायमा गरिएको पूँजी लगानी तथा वार्षिक कारोबारको आधारमा न्यूनतम कर निर्धारण यस विधि अन्तर्गत गरिन्छ। व्यवसायको प्रकृति अनुसार कर निर्धारण गर्ने पहिरी भन्दा यो पढती बढी बैज्ञानिक, व्यवहारिक र न्यायोचित हुने देखिएको छ।

व्यवसायक कर अन्तर्गत पूँजी वा कारोबारको आधारमा वार्षिक कर निर्धारण गर्ने नीति बमोजिम देहाय अनुसार करका दर सिफारिस गरिन्छ।

| क्र.सं. | विवरण   | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|---|---------------------------|--------|
| १       | व्यवसायिक वस्तु   |                           |        |
| १.१     | चुरोट, मदिरा थोक बिक्रेताको बिक्री  |                           |        |
|         | रु. ५० लाख भन्दा माथि   | १५,०००                    |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | १०,०००                    |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | ८,०००                     |        |
|         | रु. ५ लाख सम्म  | ५,०००                     |        |
| १.२     | चुरोट, मदिरा खुद्रा बिक्री  |                           |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि  | ५०००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | ४०००                      |        |
|         | रु.५ लाखदेखि १० लाखसम्म।  | ३०००                      |        |
|         | रु.५ लाखसम्म।   | २०००                      |        |
| १.३     | सुन चाँदी तथा गहना बनाउने पसल (ज्वेलरी)   |                           |        |
|         | रु. ३० लाखभन्दा माथि  | १००००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ३० लाखसम्म   | ८०००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | ७०००                      |        |
|         | रु. १० लाखसम्म।   | ५०००                      |        |
| १.४     | भिडियो, क्यासेट, रिकर्डर तथा प्लेयर, टेलिभिजन, फ्रिज, वाशिडमेशिन, कम्प्यूटर, ल्यापटप, मोबाइल, विद्युत सामान, क्यामेरा, टेलिभिजन, रेडियो आदिको थोक तथा खुद्रा बिक्री गर्ने |                           |        |
|         | रु. ५० लाखभन्दा माथि  | १००००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ४९ लाखसम्म   | ७०००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि १९ लाखसम्म।  | ५०००                      |        |
|         | रु. १० लाखसम्म।   | ३०००                      |        |
| १.५     | निर्माण सामग्री (हार्डवेयर पसल )  |                           |        |
|         | रु. ५० लाखदेखि माथी   | ३००००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | २००००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म।  | १५,०००                    |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म।   | ८,०००                     |        |
|         | रु.५ लाखसम्मको रड सिमेन्ट नभएको हार्डवेयर   | ४०००                      |        |
| १.६     | कार्पेट पर्दा अन्य फर्निशिङ पसल   |                           |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि  | १०,०००                    |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | ७,०००                     |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म।   | ५,०००                     |        |

| क्र.सं. | विवरण  | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|--|---------------------------|--------|
|         | रु. ५ लाखसम्म ।  | ३,०००                     |        |
| १.७     | पेट्रोलियम पदार्थको आयल स्टोर वा डिपोआयल निगमको दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा            |                           |        |
|         | रु. ५० लाखभन्दा माथि   | २५०००                     |        |
|         | रु. २० लाख ५० लाखसम्म  | १५०००                     |        |
| १.८     | दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न पदार्थ, तरकारी, फलफूल, ग्याससमेत                             |                           |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि   | ५०००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाख सम्म   | ४०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाख सम्म ।  | ३०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाख सम्म ।   | २०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म  | १०००                      |        |
| १.९     | साधारण चिया, कफी, खाना, खाजानास्ता, दूध डेरी, मिठाई पसल, आईसकिम पालर, आदि            |                           |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि   | १००००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | ५०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।   | ३५००                      |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म ।  | २५००                      |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म  | १५००                      |        |
| १.१     | कपडा पसल, रेडिमेड कपडा फेन्सी  |                           |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि   | ५०००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | ३०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।   | २०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखसम्म ।  | १५००                      |        |
| १.११    | सवारी साधन बिक्रेता  |                           |        |
|         | हेभी ट्रक टिपर बस समेत   | ५०००००                    |        |
|         | मिनी बस मिनी ट्रक  | ३५००००                    |        |
|         | हलुका सवारी साधन   | २०००००                    |        |
|         | दुई पाँडग्रे सवारी साधन इन्जिन जडित  | ५००००                     |        |
| १.१२    | व्यवसायीले कुनै सामानको डिलर राखी बिक्री वितरण गरेमा र कूनै सामानको थोक पसल राखेमा । |                           |        |
|         | रु.१ करोड माथि   | ४००००                     |        |
|         | रु.१ करोडसम्म  | २००००                     |        |
|         | रु ५० लाखसम्म  | १२०००                     |        |
|         | रु. २० लाखसम्म   | ८०००                      |        |

| क्र.सं. | विवरण   | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|---|---------------------------|--------|
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | ५०००                      |        |
|         | रु. १० लाख सम्म।  | ४०००                      |        |
| १.१३    | <b>फर्तिचर शो रुम</b>   |                           |        |
|         | रु.५ करोडदेखि माथि  | १०००००                    |        |
|         | रु.५ करोडसम्म   | ५००००                     |        |
|         | रु.१ करोडसम्म   | ३५०००                     |        |
|         | रु.५० लाखसम्म   | २००००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | १००००                     |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म।   | ५०००                      |        |
|         | रु. ५ लाख सम्म।   | ३०००                      |        |
| १.१४    | <b>स्टेशनरी,टाइबेल्ट,स्कुलड्रेस, गिफ्ट तथा खेलौना पसल</b>                     |                           |        |
|         | रु. ५० लाखदेखि १ करोडसम्म   | २५०००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | १५०००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | १००००                     |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म।   | ७०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म।  | ५०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म   | ३०००                      |        |
| १.१५    | <b>कम्प्यूटर ल्यापटप, मोबाइल, रेडियो आदि विद्युतिय सामाग्री मर्मत केन्द्र</b> |                           |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि  | ७५००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | ५०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म।   | ३०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म।  | २०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म।  | १०००                      |        |
| १.१६    | <b>विविध व्यवसायिक कारोबार (माथि उल्लेख भए भन्दा बाहेक)</b>                   |                           |        |
|         | रु १० करोडदेखि माथि   | २०००००                    |        |
|         | रु. ५ करोडसम्म  | १०००००                    |        |
|         | रु. ३ करोडसम्म  | ५००००                     |        |
|         | रु. ५० लाखदेखि १ करोडसम्म।  | २००००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ४९ लाखसम्म   | १५०००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि १९लाखसम्म  | ५०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि ९ लाखसम्म।  | ३०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ४ लाखसम्म।  | २०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म   | १०००                      |        |
| २       | <b>विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा</b>                               |                           |        |

| क्र.सं. | विवरण  | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|--|---------------------------|--------|
|         | स्वस्थ्य सेवा कविराज, कानून व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता, कम्प्यूटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर, बीमाअभिकर्ता, सर्भेयर, अनुवादक, पशु चिकित्सक, शेयर दलाल, सामान ढुवानी तथा कम्पनी, सामान्य पेन्टर/फ्लेक्सवोर्ड निर्माण गर्ने व्यवसाय), विद्युतीय वाईरिङ, प्लम्बरिङ |                           |        |
| २.१     | <b>स्वास्थ्य सेवा अनुमति पत्र/दर्ता शुल्क</b>  |                           |        |
| २.१.१   | निजी अस्पताल   | ५००००                     |        |
| २.१.२   | नसिङ्ग होम   | ३००००                     |        |
| २.१.३   | क्लिनिक (ल्याव सहित)   | २००००                     |        |
| २.१.४   | सामान्य क्लिनिक  | १००००                     |        |
| २.१.५   | सामुदायिक अस्पताल  | १५०००                     |        |
| २.१.६   | साउना वाथ  | १००००                     |        |
| २.१.७   | दन्त क्लिनिक   | १००००                     |        |
| २.१.९   | फिजियोथेरापी   | १००००                     |        |
| २.१.१०  | औषधि पसल   | ५०००                      |        |
| २.१.११  | ल्याव  | ७०००                      |        |
| २.१.१३  | पोलिक्लिनिक  | १००००                     |        |
| २.१.१३  | कविराज, प्राकृतिक चिकित्सा   | २०००                      |        |
| २.१.१४  | चश्मा (अप्टिकल) पसल  | ५०००                      |        |
| २.१.१५  | <b>कानून व्यवसायी</b>  |                           |        |
| २.१.१६  | ल फर्म   | १००००                     |        |
| २.१.१७  | लेखापढी सेन्टर   | ५०००                      |        |
| २.३     | <b>इंजिनियर सेवा तथा कन्सलटेन्सी</b>   |                           |        |
| २.३.१   | इंजिनियर   | १००००                     |        |
| २.३.३   | ओभरसियर  | ५०००                      |        |
| २.४     | लेखापरीक्षक  |                           |        |
| २.२.१   | सि.ए.  | १००००                     |        |
| २.२.१   | अन्य रजिष्टर्ड लेखापरीक्षक   | २०००                      |        |
| २.३     | <b>फ्लेक्स बोर्ड लगायत अन्य बोर्ड निर्माण व्यवसायी</b>   |                           |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि   | १५०००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | १२०००                     |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म।  | १००००                     |        |

| क्र.सं. | विवरण  | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|--|---------------------------|--------|
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म ।  | ७०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म ।  | ५०००                      |        |
| ३       | <b>विविध व्यवसायी</b>  |                           |        |
| ३.१     | कम्प्यूटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर  | ५०००                      |        |
| ३.२     | विमा अभिकर्ता । अधिकर्ता   | १५००                      |        |
| ३.३     | सर्भेयर  | १५००                      |        |
| ३.४     | अनुवादक  | ५०००                      |        |
| ३.५     | शेयर दलाल  | १००००                     |        |
| ३.६     | सामान्य पेन्टर   | १०००                      |        |
| ३.७     | विद्युतीय वाईरिङ, प्लम्वरिङ ,  | २०००                      |        |
| ४       | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय नयाँ दर्ता एवं सुचिकृत निर्माण व्यवसायी नवीकरण शुल्क कारोबार रकम अनुसार   |                           |        |
|         | रु ५० करोडदेखि माथि  | १०००००                    |        |
|         | रु ३० करोडसम्म   | ७००००                     |        |
|         | रु २० करोडसम्म   | ५००००                     |        |
|         | रु १० करोडसम्म   | ३००००                     |        |
|         | रु १ करोडदेखि ५ करोडसम्म   | २००००                     |        |
|         | रु ५० लाखदेखि १ करोडसम्म   | १००००                     |        |
|         | रु.५० लाखसम्म  | ५०००                      |        |
|         | आवेदन दस्तूर   | १०००                      |        |
|         | नामसारी  | १००००                     |        |
|         | नाम संशोधन   | ५०००                      |        |
| ५       | <b>उत्पादनमूलक उद्योग</b>  |                           |        |
| ५.१     | कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गई रहेको माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने गलैचा, गार्मेट र तयारी पोशाक, ग्रील, आल्मुनियम, मेटल वर्क्स, ब्लक रिड, फाईबर फिक्चर आदि उद्योग व्यवसायमा : |                           |        |
|         | रु.५ करोडदेखि माथि   | १०००००                    |        |
|         | रु.५ करोडसम्म  | ६००००                     |        |
|         | रु.३ करोडसम्म  | ४००००                     |        |
|         | रु.१ करोडसम्म  | २००००                     |        |
|         | रु ५० लाखभन्दामाथि   | १२०००                     |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि   | ८०००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | ५०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।   | ४०००                      |        |

| क्र.सं. | विवरण  | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|--|---------------------------|--------|
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म ।  | ३०००                      |        |
|         | रु. ३ लाख सम्म   | २०००                      |        |
| ५.२     | ब्यासायीले स्थानीय स्तरमा उत्पादित बस्तुको खरिद, संकलन, संचय केन्द्र स्थापना गरेमा   | ५०००                      |        |
| ६       | प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग गर्ने उद्योग (क्रसर, ईटटा भट्टा, अन्य उर्जामूलक उद्योग, खनिज उद्योग, सेरामिक्स, ढलौट) सामग्री उत्पादन आदि                             |                           |        |
|         | रु. ५ करोडभन्दा माथि   | १०००००                    |        |
|         | रु १ करोड देखि ५ करोडसम्म  | ५००००                     |        |
|         | रु ५० लाखदेखि १ करोडसम्म   | २००००                     |        |
|         | रु.५० लाखसम्म  | १००००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | ४०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।   | ३०००                      |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म ।  | २५००                      |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म  | २०००                      |        |
| ७       | कृषिसंग सम्बन्धित व्यवसायमा, फूल विरुद्ध बिक्री, नसरी संचालन, तरकारी खेती, सम्बन्धि  |                           |        |
|         | रु.५ करोडदेखि माथि   | ३००००                     |        |
|         | रु.१ करोडदेखि ५ करोडसम्म   | २००००                     |        |
|         | रु.५० लाखदेखि १ करोडसम्म   | १००००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म  | ७५००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | ५०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।   | २०००                      |        |
|         | रु. ५ लाख सम्म ।   | १०००                      |        |
| ८       | वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय, काठ विरान सः मिल, प्लाइउड उद्योग, बेत, बाँस, काठका सामान निर्माण वा फर्निचर उत्पादन, काठमा कलात्मक बुट्टा कुद्दने, हस्तकला आदि |                           |        |
|         | रु.५ करोडदेखि माथि   | ३००००                     |        |
|         | रु.५ करोडसम्म  | २५०००                     |        |
|         | रु.१ करोडसम्म  | १००००                     |        |
|         | रु.५० लाखसम्म  | ७५००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | ४०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।   | २५००                      |        |
|         | रु. ५ लाखसम्म ।  | १५००                      |        |
| ९       | मिलहरु : (तेल, चामल, चिउरा) मसला आदि कुटानी पिसानी मिल   |                           |        |

| क्र.सं. | विवरण   | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|---|---------------------------|--------|
|         | रु.१ करोडसम्म   | १००००                     |        |
|         | रु.५० लाखसम्म   | ७०००                      |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | ४०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।  | ३०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखसम्म ।   | २०००                      |        |
| १०      | पशुपालन कार्म : (गाइभैसी, बाखा, भेंडा, कुखुरा, बंगुर, पशुपक्षी, माछा)   |                           |        |
|         | ५ करोडभन्दा माथि  | ५००००                     |        |
|         | १ कराडदेखि ५ करोडसम्म   | २५०००                     |        |
|         | ५० लाखदेखि १ करोडसम्म   | २००००                     |        |
|         | २० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | १५०००                     |        |
|         | १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | १००००                     |        |
|         | ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।  | ५०००                      |        |
|         | ५ लाखसम्म ।   | ३०००                      |        |
| ११      | दाना तथा पशु आहार उत्पादन   |                           |        |
|         | १ करोड माथि   | २५०००                     |        |
|         | ५० लाखदेखि १ करोडसम्म   | २००००                     |        |
|         | २० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | १५०००                     |        |
|         | २० लाखसम्म  | ५०००                      |        |
| १२      | पर्यटन उद्योगः पर्यटन आवास मोटेल, होटल, रेष्टुराँ, घरवास (होम स्टे), रिसोंट, ट्राभल एजेन्सी, राफ्टिङ्ग, ट्रेकिङ्ग, वेलुन उडान, गल्फकोर्स, फन पार्क पोलो, घोडचढी आदि । |                           |        |
|         | रु. १० करोडमाथि   | १५००००                    |        |
|         | रु.५ करोडदेखि १० करोडसम्म   | १०००००                    |        |
|         | रु. २ करोड देखि ५ करोडसम्म  | ६००००                     |        |
|         | रु. १ करोडदेखि २ करोडसम्म   | ४००००                     |        |
|         | रु. ५० लाख देखि १ करोडसम्म  | ३५०००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | ३००००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | २५०००                     |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।  | २००००                     |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म ।   | १५०००                     |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म   | १२०००                     |        |
| १३      | ट्राभल एजेन्सी, (प्लेन टिकट, रेलयात्रा, मोटरयात्रा बुकिङ, होटल बुकिङ आदि)   |                           |        |
|         | रु. ५० लाख देखि १ करोडसम्म  | ५००००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | २००००                     |        |

| क्र.सं. | विवरण   | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|---|---------------------------|--------|
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म ।   | १००००                     |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।  | ७०००                      |        |
|         | रु. ५ लाखसम्म   | ५०००                      |        |
| १४      | सेवा उद्योग : (छापाखाना, परामर्श सेवा, जिनिङ्ग तथा वेलिङ्ग व्यवसाय, चलचित्र व्यवसाय, फोटोग्राफि, प्रयोगशाला, हवाई सेवा, शित भण्डार लगायतका अन्य उद्योग व्यवसायमा)   |                           |        |
|         | रु.१० करोडदेखि माथी   | २०००००                    |        |
|         | रु ५ करोड देखि १०करोडसम्म   | १५००००                    |        |
|         | रु.१ करोड देखि ५ करोडसम्म   | ५००००                     |        |
|         | रु. ५० लाखदेखि १ करोडसम्म   | ३००००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | २००००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | १५०००                     |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।  | १००००                     |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म ।   | ५०००                      |        |
| १५      | व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरि संचालन गर्ने व्यवसायमा  |                           |        |
|         | रु. ५० करोड देखि माथी   | ३०००००                    |        |
|         | रु २० करोडदेखि ५० करोडसम्म  | २०००००                    |        |
|         | रु. १० करोडदेखि २० करोडसम्म   | १५००००                    |        |
|         | रु. ५ करोडदेखि १० करोडसम्म  | १०००००                    |        |
|         | रु. १ करोड देखि ५ करोड सम्म   | ५००००                     |        |
|         | रु. ५० लाखदेखि १ करोडसम्म ।   | २००००                     |        |
|         | रु. ५० लाखसम्म ।  | १५०००                     |        |
| १६      | प्राकृतिक स्रोतहरु नदीजन्य ढुङ्गा बालुवा माटो आदी प्रयोग गरि तयार गरिएका सामग्री बिक्री शुल्क   |                           |        |
|         | ढुङ्गा गिड्ठी बालुवा प्रति घनफिट  | ६                         |        |
|         | इटा पाकेको तयारी प्रति गोटा   | १० ण};द                   |        |
|         | माटो प्रति घनफिट  | ३                         |        |
|         | नगरपालिका भित्र माटो वा ढुङ्गा उत्खनन वडाको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । स्वीकृति बिना माटो उत्खनन गरिएको पाईएमा उत्खननमा प्रयोग भएको स्काभेटर वा डोजरलाई प्रति साधन रु.१ लाख तथा ओसारपसारका लागि प्रयोग भएका ढुवानी साधनलाई रु.३० हजार प्रति सवारी साधन जरीवाना लाग्ने छ । |                           |        |
| १७      | पानी प्रशोधन विक्री वितरणको लागि  |                           |        |
|         | प्रति ट्याइडकर  | १००                       |        |
|         | प्रति जार   | ? = १.०                   |        |

| क्र.सं. | विवरण   | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|---|---------------------------|--------|
|         | प्रति बोतल  | १० ण};द                   |        |
| १८      | <b>सञ्चार सेवा</b>  |                           |        |
|         | निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा (चिट्ठी पत्र, पोष्टल)   | २०००                      |        |
|         | निजी क्षेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स सेवा, फोटोकपी, आई.एस.डि., इन्टरनेट आदि समेत   | ५०००                      |        |
|         | कुरियर सेवा (सामान समेतको ढुवानी)   | ५०००                      |        |
|         | छपाई तथा प्रकाशन  | ५०००                      |        |
| १९      | <b>वित्तीय सेवा:</b> नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व आर्थिक कारोबार गर्ने वाणिज्य वैक सुचीकृत एवं दर्ता                                     |                           |        |
|         | मुख्य कार्यालय  | २५०००                     |        |
|         | शाखा कार्यालय   | २००००                     |        |
|         | <b>वित्तीय कम्पनी</b>   |                           |        |
|         | मुख्य कार्यालय  | १५०००                     |        |
|         | शाखा कार्यालय   | १२०००                     |        |
|         | <b>बीमा कम्पनी</b>  |                           |        |
|         | मुख्य कार्यालय  | १५०००                     |        |
|         | शाखा कार्यालय   | १२०००                     |        |
|         | आई.एम.इ., विदेशी मुद्रा सटही काउण्टर  |                           |        |
|         | मुख्य कार्यालय  | १००००                     |        |
|         | शाखा कार्यालय   | ७०००                      |        |
| २०      | सहकारी संस्थाहरुलाई पूँजीका आधारमा वार्षिक कर देहाय अनुसार हुने र अन्यत्र दर्ता भएका सहकारीहरुलाई उल्लिखित करको २०% लिई सूचीकृत गरिने छ । |                           |        |
|         | २५ करोडदेखि माथि  | २५०००                     |        |
|         | १० करोड देखि २५ करोडसम्म  | २००००                     |        |
|         | ५ करोडदेखि १० करोडसम्म  | १५०००                     |        |
|         | १ करोडदेखि ५ करोडसम्म   | १००००                     |        |
|         | ३० लाखदेखि १ करोडसम्म   | ५०००                      |        |
|         | ३० लाखसम्म  | २०००                      |        |
| २१      | नेपाल सरकारक अन्य निकायमा विधिवत दर्ता भई सकेका र यस न.पा. मा सूचीकृत मात्र हुने प्रकृतिका व्यसायहरु                                      |                           |        |
|         | ५ करोडदेखि माथि   | १५०००                     |        |
|         | १ करोडदेखि ५ करोडसम्म   | १००००                     |        |

| क्र.सं. | विवरण                    | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|--------------------------|---------------------------|--------|
|         | २० लाखदेखि १ करोडसम्म    | ५०००                      |        |
|         | २० लाखसम्म पूँजी कारोबार | ३०००                      |        |

| क्रसं. | तह  | वर्ग | नविकरण | अनुमति/दर्ता शुल्क |
|--------|---|------|--------|--------------------|
| २२     | शिक्षा सेवा संस्थागत विद्यालयको अनुमति पत्र/दर्ता, नवीकरण शुल्क | ०    |        |                    |
|        | स्विकृतिको लागि धरौटी   |      |        | ५०,०००             |
|        | उच्च माध्यमिक तथा क्याम्पस                                      |      |        |                    |
|        | माध्यमिक तह ९ देखि १२ कक्षा सम्म                                | क    | ५००००  | १०००००             |
|        |   | ख    | ३५०००  |                    |
|        |   | ग    | २५०००  |                    |
|        |   | घ    | १५०००  |                    |
|        | माध्यमिक तह ६ देखि ८ कक्षा सम्म                                 | क    | ४००००  | ५००००              |
|        |   | ख    | ३००००  |                    |
|        |   | ग    | २००००  |                    |
|        |   | घ    | १००००  |                    |
|        | आधारभूत तह १ देखि ५ कक्षा सम्म                                  | क    | ५००००  | ३००००              |
|        |   | ख    | ३५०००  |                    |
|        |   | ग    | २५०००  |                    |
|        |   | घ    | १५०००  |                    |
|        | मण्टेश्वरी  | क    | २००००  | ३००००              |
|        |   | ख    | २००००  |                    |
|        |   | ग    | २००००  |                    |
|        |   | घ    | २००००  |                    |
|        | शिशुस्याहार कक्षा संचालन  | क    | १५०००  | ३००००              |
|        |   | ख    | १५०००  |                    |
|        |   | ग    | १५०००  |                    |
|        |   | घ    | १५०००  |                    |
|        | मण्टेश्वरी, शिशुस्याहार केन्द्र, विद्यालय आदिको ठाउँसारी        |      | १०००   |                    |

| क्रसं. | तह  | वर्ग | नविकरण | अनुमति/दर्ता शुल्क |
|--------|---|------|--------|--------------------|
|        | मण्टेश्वरी, शिशुस्थाहार केन्द्र, विद्यालय आदिको नामसारी र नाम परिवर्तन (माथिको वर्गीकरण अनुसारको दर्ता शुल्क अनुसार लाग्ने) |      |        |                    |
|        | आवेदन फारम  |      |        | 100                |
|        | संस्थागत विद्यालय धरौटी खाता नविकरण वार्षिक   |      |        | 500                |

| क्र.सं. | विवरण   | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|---|---------------------------|--------|
| २३      | <b>शिक्षा सुधार कोष</b>   |                           |        |
|         | बालगृह, बृद्धामश्रम, संचालन (प्रगति अनुसार)   | ५०००                      |        |
|         | क्लब, संघ संस्था, संचालन दर्ता (प्रगति अनुसार)  | ५०००                      |        |
|         | गैसस सिफारिस दस्तुर   |                           |        |
|         | <b>वार्षिक कारोबार नविकरण</b>   | दस्तुर                    |        |
|         | रु.१० करोडदेखि माथि   | ५००००                     |        |
|         | रु.५ करोडदेखि १० करोडसम्म   | २५०००                     |        |
|         | रु.१ देखि ५ करोडसम्म  | १००००                     |        |
|         | रु. ५० लाखदेखि १ करोडसम्म   | ५०००                      |        |
|         | रु. ३० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | ३०००                      |        |
|         | रु. १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म   | २०००                      |        |
|         | रु. १५ लाख सम्म।  | १०००                      |        |
|         | अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सूचीकृत   | १५०००                     |        |
|         | स्थानीय गैर सरकारी संस्था सूचीकृत   | १००००                     |        |
| २४      | <b>तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र संचालन अनुमती, नविकरण।</b>   |                           |        |
|         | रु.५ करोड भन्दा माथि  | १०००००                    |        |
|         | रु.१ करोड देखि ५ करोडसम्म   | ५००००                     |        |
|         | रु. ५० लाखदेखि १ करोड सम्म  | ३००००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म।  | २००००                     |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि २० लाखसम्म।   | १५०००                     |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म।  | १००००                     |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म   | ५०००                      |        |
| २५      | टाइपिङ, कम्प्यूटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था, डाइभिड इन्स्टिच्युट ट्यूशन सेन्टर तथा तयारी कक्षा संचालन |                           |        |
|         | रु. १०लाख देखिभन्दा माथि  | २५०००                     |        |
|         | रु. ५ लाख देखि १० लाख सम्म।   | २००००                     |        |
|         | रु. ३ लाख देखि ५ लाख सम्म।  | १५०००                     |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म   | १००००                     |        |

| क्र.सं. | विवरण  | सिफारिस गरिएको<br>वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|--|------------------------------|--------|
| २६      | मर्मत सम्भार हेभी ईक्विपमेन्ट बस, ट्रक, कार मोटरसाइकल, साइकल मर्मत, रिसोलिड, रिकण्डीसन, कारखाना तथा सर्भिसिङ्ग, इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स, |                              |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि हेभी ईक्विपमेन्ट  | २५०००                        |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि ४ पांगे   | १५०००                        |        |
|         | रु. १० लाख देखि २० लाख सम्म  | १००००                        |        |
|         | रु. ५ लाख देखि १० लाख सम्म।  | ५०००                         |        |
|         | रु. ५ लाख सम्म।  | ३०००                         |        |
| २६.१    | रेडियो, टि.भी. घडी, प्रेशर कुकर टेलिफोन विद्युत सामाग्री मर्मत केन्द्र   |                              |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि   | ७५००                         |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | ५०००                         |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म।  | ३०००                         |        |
|         | रु. ५ लाखसम्म।   | २०००                         |        |
| २७      | वैदेशिक रोजगार सेवा र हाउजिङ कम्पनी तथा जग्गा खरिद विक्री (रियल स्टेट)।  |                              |        |
|         | रु. १ करोड भन्दा माथि  | ७५०००                        |        |
|         | रु. ५० लाखदेखि १ करोडसम्म  | ५००००                        |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म  | २००००                        |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | ७५००                         |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म   | ४०००                         |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म  | ३०००                         |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म।   | २०००                         |        |
| २८      | मार्वल, सेनेटरी, रंग आदिको पसल   |                              |        |
|         | रु.१ करोडदेखि माथि   | ३००००                        |        |
|         | रु. ५० लाख देखि १ करोडसम्म   | २५०००                        |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म  | १५०००                        |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | १००००                        |        |
|         | रु. १० लाखसम्म।  | ५०००                         |        |
| २९      | भाडा वर्तन पसल :   |                              |        |
|         | रु. २० लाखभन्दा माथि   | ७५००                         |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म  | ५०००                         |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म।  | २५००                         |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म।   | १५००                         |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म  | १०००                         |        |
| ३०      | कवाडी पसल  | ५०००                         |        |

| क्र.सं. | विवरण   | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत |
|---------|---|---------------------------|--------|
| ३१      | केवुल नेटवर्क, र अन्य च्यानल वार्षिक ग्राहक संख्यका आधारमा, सि.सि. क्यामरा  |                           |        |
|         | १५ सय भन्दा बढी ग्राहक भएमा   | २००००                     |        |
|         | पन्थ सय सम्म भएमा   | १५०००                     |        |
|         | एक हजार सम्म ग्राहक भएमा  | १००००                     |        |
|         | पांच सयभन्दा कम भएमा  | ५०००                      |        |
|         | झाई विलनर्स,वार्षिक   | ५०००                      |        |
| ३२      | <b>अन्य व्यवसाय</b>   |                           |        |
|         | १. पार्क, पिकनिक स्पट निजी  | २००००                     |        |
|         | २. टुर अपरेटर   | ३०००                      |        |
|         | ३. मसाज पार्लर  | ५०००                      |        |
| ३३      | अस्थायी हाट वजार तथा घुम्ती पसल ( अस्थायी हाट वजार वा घुम्ती पसल राखेर देहायको व्यवसायमा देहाय वमोजिम पटके कर लाग्ने) प्रति दिन |                           |        |
|         | (क) घुम्ती पसल खुन्चा समेतमा प्रतिगोटा  | १००                       |        |
|         | (ख) राँगा प्रति गोटा  | १००                       |        |
|         | (ग) अन्य चौपाया प्रति गोटा  | ५०                        |        |
|         | (घ) हाँस कुखुरा प्रति गोटा  | २५                        |        |
|         | (ड) अन्य सामग्री  | २५                        |        |
|         | (च) मिठाई पसल, पकाएको खानेकुरा भोजन समेत, प्रति दिन   | १००                       |        |
| ३४      | <b>पार्टी प्यालेस :</b>   |                           |        |
|         | रु. १० करोड भन्दा माथि  | १५००००                    |        |
|         | रु. ५ करोडदेखि १० करोडसम्म  | १०००००                    |        |
|         | रु. २ करोडदेखि ५ करोडसम्म   | ६००००                     |        |
|         | रु. १ करोडदेखि २ करोडसम्म   | ४००००                     |        |
|         | रु. ५० लाखदेखि १ करोड सम्म  | ३५०००                     |        |
|         | रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म   | ३००००                     |        |
|         | रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म   | २५०००                     |        |
|         | रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ।  | २००००                     |        |
|         | रु. ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म ।   | १५०००                     |        |
|         | रु. ३ लाखसम्म   | १२०००                     |        |
| ३५      | <b>क्याटरिङ सेवा :</b>  |                           |        |
|         | ५ लाख माथि  | ५०००                      |        |
|         | ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म   | २०००                      |        |
|         | ३ लाखसम्म   | १०००                      |        |
| ३६      | <b>सेवा शुल्क :</b>   |                           |        |
|         | रकम कलम उठाई दिए वापत सेवा शुल्क सयकडा रु. ५।- लाग्ने ।   |                           |        |

| क्र.सं. | विवरण  | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर             | कैफियत                            |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
|         | कूतवाली धरौटी राख्ने मोहीबाट र धरौटी बुझिलिने जग्गाधनी जम्मा रकमको सयकडा, २५ प्रतिशत                   |                                       |                                   |
| ३७      | <b>चलचित्र छायाँङ्गन सेवा शुल्क :</b>  |                                       |                                   |
|         | नगरपालिका भित्र चलचित्र छायाँङ्गन शुल्क प्रतिदिन   |                                       |                                   |
|         | नेपालीको   | ५०००                                  |                                   |
|         | सार्क मुलुकको  | १००००                                 |                                   |
|         | अन्य मुलुकको   | २५०००                                 |                                   |
| ३८      | <b>मनोरन्जन कर :</b>   |                                       |                                   |
|         | सिनेमा हल, भिडियो हल, साँस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर, संगीत तथा मनोरञ्जन प्रदर्शन स्थलको प्रवेश शुल्कमा | ३ प्रतिशत                             |                                   |
|         | जादु सर्कस, चटक, आदिमा दैनिक   | ५००                                   |                                   |
| ३९      | <b>व्यवसाय परिचय पार्टी प्रति वर्गफीट</b>  | १००                                   |                                   |
| ४०      | <b>टोल सुधार विकास समाज दर्ता</b>  | ५००                                   |                                   |
| ४१      | कृषि समूह, महिला समूह, दर्ता अन्य संगठित समूह  | ५००                                   |                                   |
| ४२      | <b>विज्ञापन करको दर विवरण:</b>   |                                       |                                   |
| क्र.सं. | विज्ञापनको किसिम   | विज्ञापन दस्तूर दर प्रति वर्गफीट      | मदिरा सूर्ती जन्य विज्ञापन दस्तूर |
| १       | होर्डिङ बोर्ड (विज्ञापन पार्टी)  | रु.१५०।- (प्रति वर्ष)                 | ५० % थप                           |
| २       | नियोनसाईन बोर्ड  | रु.१००।- (प्रति वर्ष)                 | ५० % थप                           |
| ३       | ग्लोसाईन (विद्युतीय) बोर्ड   | रु.२००।- (प्रति वर्ष)                 | ५० % थप                           |
| ४       | चलचित्र बोर्ड  | रु.३००।- (प्रति वर्ष)                 | ५० % थप                           |
| ५       | त्रि भिजन बोर्ड  | रु.२००।- (प्रति वर्ष)                 | ५० % थप                           |
| ६       | स्कोरल भिजन बोर्ड  | रु.२००।- (प्रति वर्ष)                 | ५० % थप                           |
| ७       | व्यानर/फिल्मी पोस्टर   | रु.१२००।- (प्रति गोटा प्रति हप्ता)    | ५० % थप                           |
| ८       | अकाशे बेलुन  | रु.१००।- (प्रति वर्गफीट प्रति महिना)  | ५० % थप                           |
| ९       | व्यवसायी भवन प्रवेशद्वार विज्ञापन  | रु.५००।- (प्रति वर्ष)                 | ५० % थप                           |
| १०      | घुम्ती (गाडीमा) विज्ञापन   | रु.१०००।- (प्रति हप्ता )              | ५० % थप                           |
| ११      | स्टल   | रु.१०००।- (प्रति दिन)                 | ५० % थप                           |
| १२      | व्याग प्याग  | रु.१०००।- (प्रति दिन प्रति गोटा)      | ५० % थप                           |
| १३      | वाकिङ्ग बेलुन  | प्रति दिन रु.१००।- प्रति गोटा         | ५० % थप                           |
| १४      | पोल व्यानर   | प्रति हप्ता प्रति व्यानर रु.२००।-     | ५० % थप                           |
| १५      | जात्रा मेला खेलकूद विज्ञापन  | प्रति हप्ता प्रति वर्गफीट<br>रु.१००।- | ५० % थप                           |
| १६      | सटर पेन्टिङ्ग  | प्रति वर्ष रु.२०।- प्रति वर्गफीट      | ५० % थप                           |
| १७      | डिपिएस बोर्ड   | प्रति वर्गफीट रु.५०।-                 | ५० % थप                           |

| क्र.सं. | विवरण   | सिफारिस गरिएको वार्षिक कर | कैफियत         |
|---------|---|---------------------------|----------------|
| १८      | लाईट बोर्ड  | प्रति वर्गफीट रु.८०/-     | ५० % थप        |
| १९      | डिजिटल होर्डिङ बोर्ड  | प्रति वर्गफीट रु.१००/-    | ५० % थप        |
| २०      | घरको छतमाथि राख्ने टेलिफोन तथा अन्य टावर  | रु.१०००।०                 | वार्षिक १०००।० |
| ४३      | निर्माणकर्मी सूचिकृतः (घर नक्शा डिजाइन गर्ने व्यक्ति वा फर्म)   |                           |                |
|         | वार्षिक सूचीकृत   | १,०००.००                  |                |
|         | प्रति नक्शा दर्ता   | २,०००.००                  |                |
| ४४      | बालुवा डिपो :   |                           |                |
|         | नियमानुसार राजस्व बुझाई अन्यत्र स्थानबाट बालुवा, गिट्टी तथा माटो डिपोमा संकलन गरी विक्री वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि यस नगरपालिकाको क्षेत्रमा दर्ता भएको डिपोहरूलाई देहाय बमोजिम कारोबारका आधारमा देहाय अनुसार दुवानी शुल्क लिईने छ । र  |                           |                |
|         | सामाग्री बेच विखन गर्ने डिपोहरू दर्ता गर्दा रु.   | ३०००                      |                |
|         | वार्षिक नवीकरण शुल्क रु. छुटै बुझाउनु पर्नेछ ।  | २०००                      |                |
|         | कारोबार गर्ने अनुमती ट्रीप संख्या वार्षिक   | दुवानी शुल्क रु.          |                |
|         | १ देखी ३०० ट्रीपसम्म  | १००००                     |                |
|         | ३०१ देखी ७०० ट्रीपसम्म  | १८०००                     |                |
|         | ७०१ देखी १५०० ट्रीपसम्म   | २५००                      |                |
|         | १५०० ट्रीपभन्दा माथि  | ३५०००                     |                |
|         | उल्लिखित अनुसार व्यवसायीहरूले राजस्व बुझाई सकेपछि प्रयोग गर्ने बिलको पछाडि छाप लगाई प्रमाणित गरी दिनुपर्ने छ । नगरपालिकाको छाप नलगाईएको बिल प्रयोग भएको भेटिएमा प्रति ट्रीप रु. ३०,०००।० जरिवाना लिने र उक्त रकमको २५ प्रतिशत उक्त कार्यमा सहयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने छ । |                           |                |

### होटल तथा रेष्टुरा, पार्टी प्यालेस र रिसोर्टहरू

नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका होटेल तथा रेष्टुरा पार्टी प्यालेस र रिसोर्टहरूकोको लागि राजस्व असुल गर्ने कार्यका लागि देहाय अनुसारको मापदण्ड कायम गर्न सिफारिस गर्ने र प्रत्येक मापदण्डलाई १० अंक दिई कुल अंक ३० हुनेगरी देहाय अनुसार मुल्यांकन गर्ने ।

#### क. क्षेत्रफल

| ओगटेको क्षेत्रफल व.मी. | अंक भार |
|------------------------|---------|
| १० वर्ग मीटर भन्दा कम  | २       |
| १० देखी ५० वर्ग मीटर   | ४       |
| ५० देखी १०० वर्ग मीटर  | ६       |
| १०० देखी २०० वर्ग मीटर | ८       |
| २०० देखी माथि          | १०      |

## ख एक पटकमा सेवा प्रदान गर्ने संख्या

| सेवा प्रदान संख्या जना | अंक भार |
|------------------------|---------|
| १० जना भन्दा कम        | २       |
| १० देखी ३०             | ४       |
| ३० देखी ५०             | ६       |
| ५० देखी १००            | ८       |
| १०० देखी माथी          | १०      |

### ग. पूँजी लगानी

| लगानी रकम          | अंक भार |
|--------------------|---------|
| २ लाख सम्म         | २       |
| २ लाख देखी ५ लाख   | ४       |
| ५ लाख देखी १५ लाख  | ६       |
| १५ लाख देखी ५० लाख | ८       |
| ५० लाख देखी माथी   | १०      |

### मुल्यांकन

| कुल अंकको मुल्यांकन | अंक भार |
|---------------------|---------|
| १० देखी कम          | ५०००    |
| १० देखी १५          | १००००   |
| १५ देखी २०          | २००००   |
| २० देखी २५          | ५००००   |
| २५ देखी माथी        | १०००००  |

### व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण अभियान

नेपालको संविधान र ऐन कानूनको प्रावधान बमोजिम हरेक व्यवसायहरु पूँजी वा कारोबारको आधारमा नगरमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोले यस कार्यलाई तिव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने सो कार्यका लागि कार्य बमोजिमको कार्य तालिका निर्माण गरी स्वीकृत गर्न सकिन्छ। नगर क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण पसल तथा व्यवसायहरुलाई अनिवार्य दर्ता गर्ने योजनाका साथ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण अभियान संचालन गर्न सिफारिस गरिन्छ।

हरेक व्यवसायहरु पूँजी वा कारोबारको आधारमा नगरमा दर्ता गर्ने व्यवस्थालाई तिव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नका लागि देहाय बमोजिमको कार्य तालिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

| क्र.स. | कामको विवरण   | मिति           | समय                            | स्थान        | प्रमुख जिम्मेवारी           | जिम्मेवार शाखा / कर्मचारी                     | कैफियत  |
|--------|---|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|
| १      | राजस्व परामर्श समितिको वैठक                         | .....<br>..... | .....                          | नपा कार्यालय | संयोजक राजस्व परामर्श समिति | प्रशासन/राज स्व                               | पसल व्यवसाय दर्ता अभियान कार्य योजनाको समीक्षा एवं नया कार्ययोजना निर्माण |
| ३      | दर्ता टोलीबाट व्यवसायीलाई स्थलगत रूपमा पत्र बुझाउने | .....<br>..... | विहान १० देखी सार्ह ५ बजे सम्म | स्थलगत       | सम्बन्धित वडाका अध्यक्षयहरु | वडाका सदस्यहरु टोली प्रमुख सहित अन्य कर्मचारी | पत्र बुझाएको विवरण संलक्षण गरी प्रमाण पत्र वितरण हुने मिति तय गर्ने।      |

|   |   |                |                |                 |                                   |  |   |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|
| ४ | नगरपालिका<br>प्रमुख, उपप्रमुख<br>र प्रमुख<br>प्रशासकीय<br>अधिकृतबाट थप<br>बडाहरुमा<br>व्यवसाय दर्ता<br>शुभारम्भ | .....<br>..... | विहान ... बजे  | .....           | सम्बन्धित वडा<br>अध्यक्षज्यूहरु   | राजस्व शाखा<br>प्रशासन,<br>अनुगमन                  | वडा अध्यक्षको<br>सुभाव<br>बमोजिमउपयुक्त<br>स्थानबाट प्रमाण<br>पत्र वितरण                    |
| ५ | नपा प्रमुख र<br>बडा अध्यक्षहरु<br>सहित राजस्व<br>परामर्श<br>समितिको कार्य<br>प्रगति र समीक्षा<br>वैठक           | .....<br>..... | दिनको .... बजे | नपा<br>कार्यालय | राजस्व परामर्श<br>समिति<br>संयोजन | राजस्व शाखा<br>, प्रशासन<br>अन्य टोली<br>प्रमुखहरु | हाल सम्म भएको<br>कामको<br>प्रगति, समीक्षा<br>समस्या र समाधान<br>र थप कार्य योजना<br>निर्माण |

**संभावना:** यस नगरपालिकाको वजार केन्द्रहरुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुका स-साना पसलहरु तथा सेवामूलक व्यवसायहरु देखि ठुला गोदाम तथा कलकाराखाना र होलसेल व्यवसाय र फर्महरु समेत रहेका छन् । माथि तालिकामा उल्लेखित व्यवसायको दर्ता तथा वार्षिक करको दायरामा ल्याउन सके करिब ३ करोड राजश्व उठ्ने देखिन्छ ।

**सुधारका पक्षहरु:** नगरपालिकाको व्यवसाय कर संकलनमा सुधार ल्याउनको लागि निम्न कार्यहरु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

- व्यवसाय कर पूँजी र कारोबारको आधारमा दर निर्धारण गर्ने ।
- नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नको लागि नगर कार्यपालिकावाट व्यवसाय संचालन इजाजत लिनुपर्ने तथा वार्षिक नविकरण व्यवस्था अनिवार्य गर्ने तथा सो को अभिलेख राख्ने ।
- व्यवसाय कर सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्ने र ढिला बुझाउनेसँग जरिवाना लिने व्यवस्था गर्ने ।
- वडा कार्यालयलाई व्यवसाय कर संकलन जिम्मेवारी दिने र सो को अभिलेख राख्ने ।

#### ५. सवारी साधन कर

सवारी साधन कर तथा पटके सवारी साधन कर अन्तर्गत चालु आ.व.मा निर्धारण गरिएका दरहरु

| क्र.सं. | विवरण   | पटके सवारी करको<br>दर रेटहरु | वार्षिक कर |
|---------|---|------------------------------|------------|
|         | नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने तपसिलका सवारी साधनहरुलाई तपसिल बमोजिम पटके सवारी कर वा सो वापत एकमुष्ट वार्षिक कर बुझाउनु पर्ने छ । |                              |            |
| १       | अटो रिक्सा (सवारी साधन कर)  |                              | १५००       |
| २       | ई रिक्सा (सवारी साधन कर)  |                              | १०००       |
| ३       | जिप, कार, भ्यान -   | २०                           |            |
| ४       | बस  | ५०                           |            |
| ५       | मिनिबस  | ५०                           |            |
| ६       | वीडगर   | ३०                           |            |
| ७       | भारी यन्त्र   |                              |            |

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
|    | सार्वजनिक बाहेकका निजी तथा संस्थागत सवारी साधनको हकमा |     |  |
| ८  | (क) बस  | ३०  |  |
|    | (ख) मिनिबस  | ३०  |  |
|    | (ग) विडगर, जिप, कार, भ्यान                            | २०  |  |
| ९  | प्रति ट्रयाक्टर ट्रली -                               | २५  |  |
| १० | प्रति ट्रिपर/ट्रक                                     | १०० |  |

**संभावना:** नगर क्षेत्रमा इरिक्सा, अटोसरक्सा र ठेलागाडा जस्ता सवारी साधनहरु रहेका छन् । यिनै सवारी साधनहरुको दर्ता तथा नविकरण संख्या अनुमान गरेर कर निर्धारण गरिनु पर्दछ । नगरपालिका आफैले निर्माण गरेका सडकहरुमा सवारी साधन प्रवेश गर्न पटके कर लिन नपाउने व्यवस्था रहेकोले पूर्वाधार उपयोग करको रुपमा लिन सकिनेछ । अटो रिक्सा र इ सिक्सा हरुको दर्ता तथा वार्षिक शुल्क वापत करिब ३ लाख आय प्रक्षेपित गरिएको छ ।

**सुधारका पक्षहरु:** नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका इरिक्सा, अटोरिक्सा र ठेलागाडाको संख्या एकिन गर्ने । सवारी धनीहरुलाई सवारी करको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने र सवारी सधान दर्ता तथा नविकरण गर्ने छिटो र भरपर्दो अभियान संचालन गर्ने । पूर्वाधार उपयोग कर संकलनको लागि नगरपालिका आफैले निर्माण गरेका सडकहरुको अभिलेख गर्ने, न्यूनतम कर रकम निर्धारण गरी आ.व. शुरु हुनु अगावै ठेक्का बन्दोबस्त गरिसक्नु पर्दछ ।

#### ६. मनोरञ्जन कर

**हालको अवस्था:** मनोरञ्जन कर सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र परे पनि यस शिर्षकमा कर उठाउन स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर यस शिर्षबाट उठेको रकम राजश्व बाँडफाँड वापत प्रदेश सरकारलाई समेत वितरण गर्नुपर्दछ । सैनामैना नगरपालिकाले यस शिर्षक अन्तर्गत जम्मा ५० हजार आम्दानी हुने अनुमान गरेकोमा माघ मसान्तसम्म ९० हजार संकलन गरिसकेको छ । यसलाई हेर्दा चालु आ.व.मा अनुमान गरेको आय न्यून देखिन्छ । नगरपालिकाले केवुल च्यानल प्रसारक, डिसहोम विक्रेता र चलचित्र हलमा दर्ता तथा नविकरणमा मात्र कर लगाउने नीति लिइएको पाइन्छ ।

**संभावना:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र केवुल च्यानल, डिस होम विक्रेता, चलचित्र हल दर्ता तथा वार्षिक नविकरणमा कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी चलचित्र घर, नाट्यशाला, सर्कस आदीमा प्रवेश गर्ने दर्शकहरुको टिकटमा निश्चित प्रतिशत कर लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको छ । यसको आधारमा आगामी आ.व.को लागि यस शिर्षकमा ३ लाख आम्दानी प्रक्षेपण गरिएको छ ।

**सुधारका पक्षहरु:** मनोरञ्जनका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, कर संकलन गर्ने उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने ।

#### ७. विज्ञापन कर

नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरेको विज्ञापन करका दरको आधारमा आगामी आ.व.मा पनि देहाय अनुसारका दर निर्धारण निर्धारण गर्न उचित देखिन्छ ।

| विवरण  | दर रेट रु. |
|--|------------|
| कसैले नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गामा होडिङ बोर्ड, साईन बोर्ड, पम्पलेट, पोष्टर जस्ता विज्ञापनका सामाग्रीहरु राखेमा निम्न बमोजिमको वार्षिक विज्ञापन कर लिइनेछ । |            |
| क) होर्डिङ बोर्ड प्रति वर्ग फिट  | रु. ५०     |
| ख) ग्लो साइनबोर्ड प्रति वर्ग फिट   | रु. ६०     |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ग) भित्ते लेखन प्रति वर्गफिट | रु. २० |
| घ) व्यानर प्रति गोटा         | रु. ३० |

**संभावना:** नगर क्षेत्रभित्र धेरै निजी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विज्ञापनका होडिड बोर्डहरु राख्ने, घर टहरा तथा पर्खालहरूमा पेण्टिङ गरेको पाइन्छ । यस वापत चालु आ.व.मा जम्मा १ लाख मात्र आमदानी हुने अनुमान गरिएको तर त्यो कुनै रकम आमदानी भएको पाईएन । नगर क्षेत्रमा विज्ञापन गर्ने निजी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउन सके र निर्धारण गरेको दरमा कर असुल्न सके अभ धेरै आय संकलन हुने देखिन्छ ।

**सुधारका पक्षहरु:** चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरेको विज्ञापनका दर र दायरामा पुनरावलोक गर्नु पर्ने, प्रभावकारी रूपमा कर उठाउनको लागि विज्ञापनकर्ताहरूसँग समन्वय गर्ने र करको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने । अभियानको रूपमा विज्ञापनदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सके आगामी आ.व.को लागि करिब २५ लाख आय प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

#### ख. शुल्क

संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले राजश्व अधिकार भित्र विभिन्न शिर्षकमा शुल्क वापत आय संकलन गर्न पाउने छ । शुल्क अन्तर्गतका शिर्षकहरु र आय प्रक्षेपण देहाय अनुसार गरिएको छ ।

।

#### १. बहाल विटौरी शुल्क

मुर्गिया, कलौनी र सालभण्डी लगायतका हाटवजारको लागि प्रस्तावित बहाल विटौरी शुल्कका दर

| क्र.सं. | विवरण                               | चालु आ.व.को लागि स्वीकृत दर | आगामी आ.व.को लागि प्रस्थापित दर | क्र.सं. | विवरण                    | चालु आ.व.को लागि स्वीकृत दर | आगामी आ.व.को लागि प्रस्थापित दर |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| १.      | भाडा पसल                            | ३५                          |                                 | २.      | छाला मर्मत पसल           | २०                          |                                 |
| ३.      | किराना पसल                          | ७०                          |                                 | ४.      | सुर्ती पसल               | ४०                          |                                 |
| ५.      | धागो, साँचो पसल                     | २०                          |                                 | ६.      | कपाल दाही बनाउने         | ५०                          |                                 |
| ७.      | आलु प्याज पसल ठुलो                  | ६०                          |                                 | ८.      | स्यागु र वनकस प्रति मुठा | ३                           |                                 |
| ९.      | आलु प्याज पसल सानो                  | ४०                          |                                 | १०.     | रेडियो, घडी पसल          | ४०                          |                                 |
| ११.     | खसि, बंगुर, राँगाको मासु बेच्ने पसल | ७०                          |                                 | १२.     | पाउरोटी, बिस्कुट पसल     | २०                          |                                 |
| १३.     | पान बिडी पसल                        | २०                          |                                 | १४.     | भोला पसल                 | ४०                          |                                 |
| १५.     | शृङ्गार पसल                         | ३०                          |                                 | १६.     | बरफ व्यवसायी पसल         | २०                          |                                 |
| १७.     | रेडिमेड कपडा पसल                    | ५०                          |                                 | १८.     | नुन, तेल र दाल चिनी पसल  | ५०                          |                                 |
| १९.     | थान कपडा पसल                        | ६०                          |                                 | २०.     | जुता, चप्पल पसल          | ४०                          |                                 |
| २१.     | हाँस, कुखुराको अण्डा पसल            | २०                          |                                 | २२.     | भिया पसल                 | २०                          |                                 |

| क्र.सं. | विवरण   | चालु<br>आ.व.को<br>लागि<br>स्वीकृत दर | आगामी<br>आ.व.को<br>लागि<br>प्रस्थापित दर | क्र.सं. | विवरण  | चालु<br>आ.व.को<br>लागि<br>स्वीकृत दर | आगामी<br>आ.व.को लागि<br>प्रस्थापित दर |
|---------|---|--------------------------------------|--|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| २३.     | औषधी पसल  | ३०                                   |  | २४.     | राँगा, गोरु व्यवसाय<br>प्रतिगोटा                       | २५                                   |                                       |
| २५.     | मिठाई, मटर<br>पसल                                   | ४०                                   |  | २६.     | हाँस, कुखुरा, परेवा<br>प्रति गोटा                      | १०                                   |                                       |
| २७.     | फलामे भाडा<br>पसल                                   | ३०                                   |  | २८.     | माटाका भाडा बिक्री<br>पसल                              | १०                                   |                                       |
| २९.     | चाउमिन पसल  | ५०                                   |  | ३०.     | फलफुल पसल  | ३५                                   |                                       |
| ३१.     | बिरुवा बिक्री                                       | २०                                   |  | ३२.     | कुखुराको मासु, माछा<br>पसल                             | ५०                                   |                                       |
| ३३.     | सुजनल फलफुल   | १५                                   |  | ३४.     | थोक समान गाडीमा<br>ल्याई हाटबजार भित्र<br>बिक्री गर्ने | १५०                                  |                                       |
| ३५.     | अमिलो, कागती<br>पसल                                 | १०                                   |  | ३६.     | थोक समान गाडीमा<br>ल्याई बाहिर बिक्री<br>गर्ने         | १००                                  |                                       |
| ३७.     | ठेला, रिक्सामा<br>मालसमान ल्याई<br>बिक्री गर्ने पसल | ४०                                   |  | ३८.     | हतियार, छुरा, कैची<br>मर्मत गर्ने पसल                  | १५                                   |                                       |
| ३९.     | सानो सुकुटी<br>पोलेको मकै                           | २५                                   |  | ४०.     | तरकारी पसल   | २०                                   |                                       |
| ४१.     | चिया पसल  |                                      |  | ४२.     |  |                                      |                                       |

**संभावना:** माथी उल्लेखित हाट वजारमा लाग्ने क्षेत्रमा पसल राखे वापत लाग्ने बहाल विटौरी शुल्क र ऐलानी पर्ती जग्गालाई वहाल विटौरी शुल्क मार्फत समेट्नु पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गामा रहेका घरवस्ती र हाटबजारमा लाग्ने बहाल विटौरी शुल्क वापत करिब ३० लाख आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

**सुधारका पक्षहरू:** नगरपालिकाको बहाल विटौरी शुल्कमा सुधार ल्याउनको लागि सार्वजनिक जग्गाको उपयोगवाट आम्दानी हुन सक्ने क्षेत्रको पहिचान गर्ने, सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा रहेका परिवारहरूको तथ्यांक यकिन गर्ने, हाटबजारहरूको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने, बहाल विटौरी शुल्कको प्रति वर्ग फिटका दरले हुने गरी मासिक बहाल विटौरी शुल्कको दर आर्थिक ऐनमा समावेश गर्ने, सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाई उपयोग गर्नेसँग बहाल विटौरी शुल्क लिने गरी संभौता गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू प्रमुख रहेका छन् ।

## २. पार्किङ शुल्क

नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका बसपार्क र मुख्य वजार क्षेत्रमा रहेका पार्किङ क्षेत्रलाई सशुल्क बनाउने संभावना रहेको छ । त्यस्ता पार्किङ क्षेत्रको न्यूनतम शुल्क रकम यकिन गरी आ.व.को शुरुमै ठेक्का बन्दोबस्त गरी कर संकलन गर्न सकिने सम्भावना छ । यस शिर्षकबाट करिब २ लाख आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

## ३. अन्य शुल्क

माथी उल्लेखित बाहेकका तर पहिचान नभईसकेका क्षेत्रहरुबाट शुल्क वापत करिब १ लाख आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

#### ग. सेवा शुल्क

यस शिर्षकबाट देहाय बमोजिमका क्षेत्रबाट सेवा शुल्क वापत देहाय बमोजिमको आय संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

##### १. स्थानीय पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क

| क्र.सं. | विवरण   | पटके सवारी करको दर रेटहरु |
|---------|---|---------------------------|
| ३       | जिप, कार, भ्यान -                                     | २०                        |
| ४       | बस  | ५०                        |
| ५       | मिनिबस  | ५०                        |
| ६       | वीड्गर  | ३०                        |
| ७       | भारी यन्त्र   |                           |
|         | सार्वजनिक बाहेकका निजी तथा संस्थागत सवारी साधनको हकमा |                           |
|         | (क) बस  | ३०                        |
|         | (ख) मिनिबस  | ३०                        |
| ८       | (ग) विडगर, जिप, कार, भ्यान                            | २०                        |
| ९       | प्रति ट्रूयाक्टर ट्राली-                              | २५                        |
| १०      | प्रति ट्रिपर/ट्रक                                     | १००                       |

। नगरपालिका आफैले निर्माण गरेका सडकहरुमा सवारी साधन प्रवेश गर्न पटके कर लिन नपाउने व्यवस्था रहेकोले पूर्वाधार उपयोग करको रूपमा लिन सकिनेछ । त्यसैगरी नगरपालिकाबाट निर्मित अन्य पूर्वाधार उपयोग गरे वापत शुल्क लिन सकिन्छ । यस शिर्षकबाट करिब ५ लाख आय प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सुधारका पक्षहरूसवारी धनीहरुलाई सवारी करको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने र सवारी सधान दर्ता तथा नविकरण गर्ने छिटो र भरपर्दो अभियान संचालन गर्ने । पूर्वाधार उपयोग कर संकलनको लागि नगरपालिका आफैले निर्माण गरेका सडकहरुको अभिलेख गर्ने, न्यूनतम कर रकम निर्धारण गरी आ.व. शुरु हुनु अगावै ठेक्का बन्दोवस्त गरिसक्नु पर्दछ ।

२. अचल सम्पत्ती वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सेवा शुल्क
३. अव्यवस्थित जग्गा कारोबार गर्दा वातावरण तथा सरसफाई शुल्क
४. भौतिक पूर्वाधार शुल्क (जग्गा कारोबार गर्दा खरिद कर्ताले बुझाउनु पर्ने (खरिद मूल्यको ०.५० प्रतिशत)

#### घ.दस्तुर

##### १.दर्ता, अनुमति, सिफारिस तथा प्रमाणित दस्तुर :

नगरपालिकालाईदर्ता, अनुमती, सिफारिस तथाप प्रमाणित दस्तुर वापत कर असुल गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुरको दर आर्थिक ऐन मार्फत निर्धारण गरी कार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडावाट दैनिक रूपमा संकलन गरिआएको छ । आर्थिक ऐनले सिफारिश तथा प्रमाणितको दर न्यूनतम रु १०० देखि २०००० सम्म निर्धारण गरेको छ र यसवाट हुने शिर्षकगत आय चालू आर्थिक वर्षमा यस शिर्षकमा रु. २ करोड ५० लाख ३९ हजार अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाले नगर कार्यपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट यस्तो दस्तुर संकलन गरिआएको छ । वडावाट संकलित सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुरवाट संकलित रकम राजश्व सफ्टवेयर मार्फत इन्ट्रि गरी नगद वैकमा जम्मा गर्ने प्रणाली स्थापित

गरिएको छ । यसका अतिरिक्त नगरपालिकावाट हुने सम्पूर्ण सिफारिशहरुवाट सिफारिश वा प्रमाणित दस्तुर संकलन हुन नसकेको संभावनालाई पनि औल्याईएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि नगरपालिकाले यस्ता दस्तुरहरुमा समयानुकल परिमार्जित गर्न आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएको सेवा शुल्क तथा दस्तुरको आधारमा आगामी आ.व.को लागि देहाय अनुसारका दर निर्धारण गर्न सिफारिस गरिन्छ ।

### कार्यालयबाट दैनिक संकलन हुने सेवा शुल्क तथा दस्तुरको शिर्षकगत दर

| सि.नं. | शिर्षकहरु   | सिफारिस गरिएको दररेट रु. |
|--------|---|--------------------------|
| १      | निवेदन फाराम  |                          |
| २      | टिकट दस्तुर   | १०                       |
| ३      | नक्कल उतार प्रमाणित (प्रतिलिपि प्रतिपाना)                               | १०                       |
| ४      | नाता प्रमाणित   |                          |
|        | क) नेपालीमा सिफारिस   | २००                      |
|        | ख) अंग्रेजीमा   | ६००                      |
| ५      | जग्गा नामसारी सिफारिस   | १०००                     |
| ६      | सबै प्रकारका सर्जमिन दस्तुर   | ५००                      |
| ७      | छुटभएको जग्गा दर्ता सिफारिस   |                          |
| क      | न्यूनतम   | १०००                     |
| ख      | प्रति कट्टा   | १०००                     |
| ८      | नाम शंसोधन सिफारिस  | ५००                      |
| ९      | घरवास भए नभएको र सडकले छोए नछोएको सिफारिस थप प्रति कित्ता               | ५००                      |
| १०     | बकस पत्रमा (साकार) सिफारिस  | ५००                      |
| ११     | अंश वण्डा सिफारिस   | ५००                      |
| १२     | अपुताली सिफारिस   | २०००                     |
| १३     | अपुताली जग्गा नामसारी सिफारिस   | २०००                     |
| १४     | मालपोत प्रयोजन सिफारिस दस्तुर   |                          |
|        | घर/तिनपुस्ते नाम कायम आदी सिफारिस दस्तुर                                | ५००                      |
|        | बब्यौता नरहेको सिफारिस  | ५००                      |
| १५     | नागरीकता सिफारिस  |                          |
|        | बंशज नागरिकता/प्रतिलिपि सिफारिस   | ५०                       |
|        | अंगीकृत नागरिकता सिफारिस  | १००                      |
| १६     | सडक अवरोध हटाउदा पक्की सडक  |                          |
|        | १००० वर्गफिट सम्मको घर निर्माण गर्दा (अनलोड गरेको २४ घण्टा भित्र हटाउने | १०००                     |

| सि.नं. | शिर्षकहरु  | सिफारिस गरिएको दररेट रु. |
|--------|--|--------------------------|
|        | १००१ देखि २००० वर्ग फिट सम्मको घर निर्माण दर्ता (अनलोड गरेको २४ घण्टा भित्र हटाउने     | २०००                     |
|        | २००१ देखि माथी वर्ग फिट सम्मको घर निर्माण गर्दा (अनलोड गरेको २४ घण्टा भित्र हटाउने     | ३०००                     |
| १७     | <b>सडक अवरोध हटाउन्दा कच्ची सडक</b>  |                          |
|        | पक्की सडकमा लाग्ने दस्तुरको २५ पतिशत छुट   |                          |
|        | घर निर्माण गर्दा विविध सरजमिन दस्तुर   | ५००                      |
| १८     | <b>नक्सापास लागू हुनु पूर्व निर्माण भएका घरहरलाई व्यहोरा खुलाई सिफारिस गर्दा</b>       |                          |
|        | पक्की घरको लागि (नक्शा पास भएका घरलाई मात्र सिफारिस प्रदान गरिने)                      | १०००                     |
|        | कच्ची घरको लागि  | २००                      |
| १९     | खानेपानी धारा, विद्युत मिटर जडान सिफारिस   | १००                      |
| २०     | खानेपानी धारा, विद्युत मिटर नामसारी सिफारिस  | १००                      |
| २१     | खानेपानी धारा जडान गर्दा सडक मर्मत दस्तुर रु. (भित्री कालोपत्रे सडकमा खन्नुपर्ने भएमा) | ४०००                     |
| २२     | पञ्जिका लागू हुन भन्दा पूर्वका जन्म मृत्यु विवाह र वसाईसराई सिफारिस                    | ५०                       |
| २३     | <b>विविध प्रकारका सिफारिस</b>  |                          |
|        | नेपालीमा सिफारिस   | १००                      |
|        | अंग्रेजीमा सिफारिस   | ६००                      |
|        | काउन्सिलर प्रमाणिकरण प्रति पाना  | २००                      |
| २४     | पेन्सन सिफारिस   | ५००                      |
| २५     | पेन्सन प्रयोजन व्यक्ती प्रमाणित, ठेगाना संसोधन आदि सिफारिस                             |                          |
|        | स्वदेशी  | ५००                      |
|        | विदेशी   | १०००                     |
| २६     | पेन्सन वारेसनामा सिफारिस   | ५००                      |
| २७     | क) नोकरी रहेको वा अवधि प्रमाणित सिफारिस स्वदेश   | ३००                      |
|        | ख) नोकरी रहेको वा अवधि प्रमाणित सिफारिस वैदेशिक  | ५००                      |
| २८     | राहदानी सिफारिस (भारतको लागि)  | १००                      |
| २९     | भारत बाहेक अन्य (चारित्रिक सिफारिस) मुलुकको लागि                                       | ६००                      |
| ३०     | चारित्रिक सिफारिस नेपालको लागि   | १००                      |

| सि.नं. | शिर्षकहरु   | सिफारिस गरिएको दररेट रु. |
|--------|---|--------------------------|
| ३१     | कर चुक्ता सिफारिस<br>नेपालीमा सिफारिस<br>अंग्रेजीमा सिफारिस   | १००<br>६००               |
| ३२     | धितोमूल्याकन (प्रति लाख)<br>बैदेसिक तथा नामसारी प्रयोजन   | ७५                       |
| ३३     | क. सिफारिश दस्तुर:-<br>नगरपालिकाले गर्ने सिफारिशमा प्रति सिफारिश निम्नानुसार दस्तुर लिइनेछ ।            |                          |
|        | १. स्वदेशको लागि गरिने सामान्य सिफारिशमा  | १००                      |
|        | २. विदेशको लागि गरिने सिफारिशमा   | ३००                      |
|        | ३. घर नभएको जग्गा खरिद विक्री, बक्सपत्र, सट्टापटा आदि प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयलाई गरिने सिफारिशमा |                          |
|        | क) घर नभएको जग्गा भएमा  | १००                      |
|        | ख) कच्ची घर भएको जग्गा भएमा   | ५००                      |
|        | ४. जग्गावालाको मृत्यु पछिको नामसारी र अंशबण्डाको प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयलाई गरिने सिफारिशमा      | १०००                     |
|        | ५. विदेश सिफारिश र पेन्सन सम्बन्धी सिफारिशमा  | ६००                      |
|        | ६. विदेश शिफारिस अग्रेजीमा गर्दा प्रत्येक सिफारिशमा   | ६००                      |
| ३४     | जग्गा प्लटिङ इजाजत दस्तुर प्रति कट्टा रु. (इजाजतको लागि जग्गाधनिले प्लट नक्शा तयार गरि पेश गर्नुपर्नेछ) | ५०००                     |
| ३५     | ९. गाउँ ब्लक जग्गाको सिफारिस गर्दा प्रति धुर  | १००                      |
| ३६     | काठको सिफारिस<br>काठको सिफारिस दस्तुर (जिल्ला बन, आपुर्ति समिति)  | ६००                      |
|        | काठको सिफारिस दस्तुर (आफनै जग्गामा रहेका कुकाठ कटान)  | ५००                      |
| ३७     | क्लब तथा संघ संस्था दर्ताको लागि सिफारिस  | ५००                      |
| ३८     | बन्दकोठा घर पसल आदि खोल्नु पर्दा मुचुल्का वापत  | ५००                      |
| ३९     | व्यतिगत घटना दर्ता  | ५०                       |
| ४०     | सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस दस्तुर  | १००                      |
| ४१     | कृषि जन्य उद्योग सिफारिस  | १००                      |

| सि.नं. | शिर्षकहरु   | सिफारिस गरिएको दररेट रु. |
|--------|---|--------------------------|
| ४२     | वनजन्य उद्योग सिफारिस   | २०००                     |
| ४३     | धातु जन्य उद्योग सिफारिस  | २०००                     |
| ४४     | व्यवसाय ठाउसारी सिफारिस   | १०००                     |
| ४५     | केवल, टेलिभीजन, एफ एम आदी दर्ता सिफारिस   | २०००                     |
| ४६     | छाला जन्य उद्योग सिफारिस  | १०००                     |
| ४७     | दैनिक उपभोग्य खाद्यपदार्थ उत्पादन उद्योग सिफारिस (भाडा पसल, फेन्सी स्टेशनरी, व्युटी पार्लर, चिया पसल, हेटल तथा रेष्टुरेन्ट) | ५००                      |
| ४८     | प्लाईउड उद्योग सिफारिस  | १०००                     |
| ४९     | ईटा भट्टा उद्योग सिफारिस (नगरिने)   |                          |
| ५०     | ग्रिल उद्योग सिफारिस  | १०००                     |
| ५१     | ब्लक उद्योग सिफारिस   | १०००                     |
| ५२     | ठूला उद्योग सिफारिस   | २०००                     |
| ५३     | मझौला उद्योग सिफारिस  | १०००                     |
| ५४     | साना उद्योग सिफारिस   | ५००                      |
| ५५     | निजि विद्यालय दर्ता सिफारिस / (संचालन अनुमतीका लागि सिफारिस)  |                          |
|        | क) आधारभूत तह   | १५००                     |
|        | ख) माध्यमिक तह  | २५००                     |
| ५६     | वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था खोल्न सिफारिस   | २०००                     |
| ५७     | सटही काउन्टर आदि खोल्न  | २०००                     |
| ५८     | फाइनान्स बैंक   | २०००                     |
| ५९     | सहकारी संस्था गैर वित्तीय   | १०००                     |
| ६०     | मुद्दा मामिला मिलापन  | १०००                     |
| ६१     | व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि   | २००                      |
| ६२     | सामुदायिक हलभाडा प्रतिदिन   | २०००                     |
|        | चारकिल्ला सिफारिस विक्री प्रयोजनका लागि -   | ८००                      |
| ६३     | क) लोकमार्गसँग जोडिएको जग्गा र बजार क्षेत्रको जग्गा सिफारिस   | १०००                     |
|        | ख) भित्रि कालो पत्रे जग्गा  | ६००                      |
|        |   | २००                      |
|        |   | ५००                      |
|        | ग) ग्रामेल वा कच्ची बाटो जोडिएको जग्गामा  | १५०                      |
|        | घ) बाटो नखुलेका खेती योग्य जग्गा  | ३००                      |

| सि.नं. | शिर्षकहरु   | सिफारिस गरिएको दररेट रु.  |
|--------|---|---------------------------|
|        |   | ५०                        |
| ६४     | चारकिल्ला सिफारिस अन्य प्रयोजनका लागी -<br>क) ऋण प्रयोजन का लागी चारकिल्ला सिफारिस<br>१. ०-५-० सम्मको चार किल्ला प्रमाणित<br>सो भन्दा माथि चार किल्ला प्रमाणित रु.<br>२. राजमार्गको किनारामा पर्ने ०-५-० सम्मको<br>सो भन्दा माथि चारकिल्ला दस्तुर रु. | ३००<br>५००<br>५००<br>१००० |
|        | ख) अंशवण्डाका लागी चारकिल्ला सिफारिस<br>१. ०-५-० सम्मको चार किल्ला प्रमाणित<br>सो भन्दा माथि चार किल्ला प्रमाणित रु.<br>२. राजमार्गको किनारामा पर्ने ०-५-० सम्मको<br>सो भन्दा माथि चारकिल्ला दस्तुर रु.   | ३००<br>५००<br>५००<br>१००० |
| ६५     | काउन्सिलर प्रमाणीकरण दस्तुर (प्रति पाना)  | २००                       |
| ६६     | संस्था दर्ता  | १०००                      |
|        | संस्था नवीकरण<br>जरिवाना (संस्था दर्ता ऐन अनुसार हुनेछ)   | ५००                       |
| ६७     | घ वर्गको इजाजत पत्र दर्ता/नवीकरण/नवीकरण थप  | १०००                      |
|        | घ वर्गको इजाजत पत्र प्रतिलिपि दस्तुर  | ५००                       |
| ६८     | माटो सम्याउने (प्रति वर्ग फिट)  | ०.५                       |
| ६९     | अव्यवस्थित जग्गा कारोबार गर्दा वातावरण तथा सरसफाई शुल्क वापत<br>कारोबार मूल्यको   | २%                        |
| ७०     | जग्गा कारोबार गर्दा खरिद कर्ताले बुझाउनु पर्ने भौतिक पूर्वाधार शुल्क (खरिद मूल्यको)   | ०.५०%                     |

**संभावना:** नगरपालिकालाईदर्ता, अनुमती, सिफारिस तथा प्रमाणित दस्तुर वापत सेवा शुल्क तथा दस्तुर असुल गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुरको दर आर्थिक ऐन मार्फत निर्धारण गरी कार्यपालिकाको कार्यालय तथा बडावाट दैनिक रूपमा संकलन गरिआएको छ। आर्थिक ऐनले सिफारिश तथा प्रमाणितको दर न्यूनतम रु १०० देखि २०००० सम्म निर्धारण गरेको छ र यसवाट हुने शिर्षकगत आय चालू आर्थिक वर्षमा यस शिर्षकमा रु. २ करोड ५० लाख ३९ हजार अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो ७ महिनामा ५२ लाख ८८ हजार असुल भैसकेको सन्दर्भमा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन रहेको छ। तर आगामी आ.व.को लागि सबै प्रकारका शुल्क र दस्तुरका दरहरु समयानुकूल पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी असुल गर्न सके १ करोड ५ लाख आय प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ।

**सुधारका पक्षहरू:** नगरपालिकाको दर्ता अनुमति दस्तुरमा सुधार ल्याउनको लागि नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा दर्ता तथा अनुमति दस्तुरको दर निर्धारण गर्ने, नयाँ व्यवसाय वा कारोबार संचालन गर्नुपूर्व दर्ता तथा अनुमति प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने र अनुमति नलिई संचालनमा रहेका व्यवसायलाई नियमित गर्न दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई अघि बढाउनु पर्दछ । त्यसैगरी नगरपालिकाको सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुरमा सुधार ल्याउनको लागि सिफारिश वा प्रमाणित गर्नु पुर्व दस्तुर तिरे नतिरेको एकीन गर्ने र दस्तुर नवुभाएसम्म सम्बन्धित अधिकारीले सिफारिश वा प्रमाणित नगर्ने, बडावाट संकलित दस्तुरहरू शिर्षक सहितको विवरण तयार गर्ने, संकलित रकम बैक दाखिला सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने आदि कार्यहरूलाई अघि बढाउनु पर्दछ ।

## २. नक्सा पास दस्तुर :

**हालको अवस्था:** यस नगरपालिकाले नक्सापास दस्तुरको दर निर्धारण गरेको छ । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र भित्री सडक मोहोडामा पर्ने स्थानमा बन्ने भवनहरूको वेगलावेगलै नक्शा पास दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । यसलाई हेर्दा नयाँ निर्माणमा घरको लागि प्रति वर्ग फिट औषत रु. ५ निर्धारण गरिएको छ । नगरपालिकामा इन्जिनियर तथा अमिन तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरू आवश्यक संख्यामा रहेको र नगरपालिकाले नियमित रूपमा नक्सापास गरिरहेको छ । चालु आ.व. को लागि ७० लाख आय अनुमान गरेको छ भने चालु आ.व.को माघ मसान्तसम्ममा जम्मा रु. ४६ लाख असुल भईसकेको छ । बाँकी अवधिमा असुली लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ ।

### नगरपालिकाले चालु आ.व.को लागि निर्धारण गरेको नक्शा पास दस्तुर

| बडा नं.  | विवरण  | पुर्व पश्चिम लोकमार्ग मोहोडामा पर्ने |  | भित्री सडक मोहोडामा पर्ने            |  | कैफियत |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------|
|  |  | जमिनमुनी र भुई तला (प्रति ब.फिट रु.) | पहिलो तला वा सो भन्दा माथि (प्रति ब.फिट रु.) | जमिनमुनी र भुई तला (प्रति ब.फिट रु.) | पहिलो तला वा सो भन्दा माथि (प्रति ब.फिट रु.) |        |
| १ देखि ११  | आवासीय पक्की घरको नक्शा पास दस्तुर   | ५                                    | ६  | ४                                    | ५  |        |
| १ देखि ११  | घर वर्गको आवासीय घरको नक्शा पास दस्तुर   |                                      | ३  |                                      | २  |        |
| १ देखि ११  | घर नक्शापास दरखास्त फाराम दस्तुर रु.   |                                      |  | ५००                                  |  |        |
| १ देखि ११  | नक्शा नामसारी दस्तुर प्रती वर्ग फिट रु. (पक्की घरको लागि मात्र)                                |                                      |  | १                                    |  |        |
| १ देखि ११  | अस्थायी/कच्ची घरको घर निर्माण इजाजत दस्तुर प्रति घर  |                                      | १०००   |                                      | ७००  |        |
| १ देखि ११  | कम्पाउण्ड वाल लगाउदा इजाजत लिएर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने र ईजाजत दस्तुर प्रति रानिङ्ग फुट रु. |                                      |  | १०                                   |  |        |
| <b>नोट:</b> यसअघि घर निर्माण शुरू गरेका वा सम्पन्न गरेका घरहरूको हकमा धुरिकर नकाटेका घरहरूको नयाँ घर निर्माण सरह दस्तुर हिसाब हुनेछ ।  |  |                                      |  |                                      |  |        |
| कंकृट र छड प्रयाग गरि बनाईएका र व्यवसायिक/औद्योगिक/व्यापारिक प्रयाजनका लागि बनाईएकाँ सबै खाले घरहरू अनिवार्य नक्शापास गर्नुपर्ने र सो को लागि नक्शापास दस्तुर माथि उल्लेखित पक्की घर निर्माण सरह हुनेछ । |  |                                      |  |                                      |  |        |
| भवन संहिता पालना नगरि निर्माण भएको वा स्वीकृत मापदण्ड विपरित बनेका घरहरूको लागि इजाजत/निर्माण सम्पन्न  |  |                                      |  |                                      |  |        |

**प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछैन ।**

नक्शा पास गरि सकेपछि २ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने छ । यदि सोही अवधि भित्र निर्माण सम्पन्न नभएमा नक्शाको म्याद थप गर्दा रु. १ प्रति वर्गफिट दस्तुर लिई पुनः दुई वर्षको लागि म्याद थप गरिनेछ ।

**व्यवसायिक भवनहरूको नक्शा पास गर्दा रु. २ प्रति वर्ग फिट थप दस्तुर लाग्नेछ ।**

**सम्भावना :** वर्तमान नक्सापास दस्तुरको दरको आधार वार्षिक रु.८० लाखसम्म आम्दानी हुन सक्नेसम्भावना देखिन्छ । नक्सापास प्रकृयाले आयआर्जन मात्र नभई भवन निर्माण प्रकृयालाई नियमन समेत गर्ने भएकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।

**सुधारका पक्षहरू:** नगरपालिकाको घर नक्सापास दस्तुरमा सुधार ल्याउनको लागि नगरपालिकाले घरनक्सा पास गर्नुपर्ने वडा वा क्षेत्र तोकि पुराना घरहरूको नक्सापास भए नभएको अनुगमन गर्ने, नक्सापासकोलागि मापदण्ड तथा कार्यविधिहरू निर्धारण गर्ने र घर नक्सापास नगरी भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु अघि वढाउनु पर्ने हुन्छ ।

## परिच्छेदः छ

### आगामी आर्थिक बर्षको लागि आय प्रक्षेपण

यस परिच्छेदमा नगरपालिकाको राजश्व अधिकार, हालको आय संकलन अवस्था तथा राजश्व सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन पश्चात आय संकलनमा पार्ने प्रभाव समेतलाई मध्ये नजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको आय प्रक्षेपण गरिएको छ। आय प्रक्षेपणकोलागि महालेखा परिक्षकले स्वीकृत गरेको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४को आधारमा गरिएको छ। यसले नगरपालिकाको आय बजेट तर्जुमागर्न सहयोग पुग्ने छ।

#### ७.१ राजस्व सुधार कार्ययोजनाका आधारमा राजस्व प्रक्षेपण

राजस्व सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पश्चात आगामी आ.व. २०७५/७६ को लागि आय प्रक्षेपण गरिएको छ। यो आय अनुमान गर्दा राजश्व सुधार योजनामा प्रस्ताव गरिएका क्रियाकलापहरूको आधारमा तयार गरिएको छ। धेरैजसो शिर्षकहरूमा आय प्रक्षेपण गर्दा प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मानिएको छ भने भविश्यमा आएका आधारको दायरा बढ्न गई सोबाट हुने योगदानलाई समेत मध्यनजर गरिएको छ। नगरपालिकाले यस प्रक्षेपणलाई भविश्यमा वार्षिक बजेट अनुमानको क्रममा मार्गदर्शनकोरूपमा लिन सक्दछ।

नगरपालिकाको आय प्रक्षेपणकोलागि शिर्षकगत रूपमा आधार अनुमान गरी सो को आधारमा प्रक्षेपण गरिएको छ। आय प्रक्षेपणकोलागि नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजश्व वाँडफाँडको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचनाको आधारमा लिईएको छ। केन्द्रवाट प्राप्त हुने राजश्व वाँडफाँडको रकमको स्रोत स्पष्ट नभएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क तर्फ मात्र समावेश गरिएको छ।

प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने अनुदानको रकम एकीन नभएकोले समावेश गरिएको छैन। त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा रहेका दोहोरो अधिकार क्षेत्रमा परेका राजश्व शिर्षकहरूवाट प्राप्त हुने आय अनुमानको लागि हालसम्म कुनै आधार प्राप्त नभएकोले अनुमानमा समावेश छैन।

#### राजस्व सुधार कार्ययोजनाका आधारमा आय प्रक्षेपणका आधारहरू

| बजेट शिर्षक नं. | राजश्व शिर्षक                                       | कुल सम्भाव्यता (रु. हजारमा) | आय प्रक्षेपणका आधारहरू   |
|-----------------|---|-----------------------------|--|
| क               | कर  |                             |  |
| १               | सम्पति कर (घर र सोले चर्चेको प्लेन्थ एरिया जग्गामा) | १५०००                       | नगरपालिकाले आ.व. २०७५/७६ देखि सम्पति कर लागु गरेकोमा कर शिक्षा संचालन गर्ने तथा नागरिकमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्न सके चालु आ.व.मा लक्ष्य प्राप्त हुन नसके पनि अब उठन सक्ने देखिन्छ। |
| २               | भूमि कर (मालपोत)                                    | ५०००                        | बहालमा लगाईएका करिब २७०० सटर तथा कोठालाई करको दायरामा ल्याउन सकेमा लक्ष्य सजिले प्राप्त गर्न सकिनेछ।   |
| ३               | घर जग्गा बहाल कर                                    | ७०००                        | सबै व्यवसायलाई दर्ताको लागि अभियान संचालन गर्न सकिने। व्यवसायको प्रकृति र लगानी गरेको पूँजीको आधारमा कर संकलन गर्न सके सजिलै लक्ष्य प्राप्त हुनेछ।                                   |
| ४               | व्यवसाय कर: पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा | ३००००                       | इरिक्सा, अटोसरक्सा र ठेलागाडा जस्ता सवारी साधन दर्ता तथा वार्षिक शुल्क मात्र असुल गर्न सकिने   |
| ५               | सवारी कर (टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा, इरिक्सा)        | १००                         | इरिक्सा, अटोसरक्सा र ठेलागाडा जस्ता सवारी साधन दर्ता तथा वार्षिक शुल्क मात्र असुल गर्न सकिने   |

| बजेट<br>शिर्षक<br>नं. | राजश्व शिर्षक   | कुल<br>सम्भाव्यता<br>(रु. हजारमा) | आय प्रक्षेपणका आधारहरु   |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--|
| ६                     | जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः<br>आफ्नो क्षेत्रभित्र ऊन, खोटो,<br>जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी<br>माल, जीवजन्तुको हाड, सीड,<br>पाँख, छालाको व्यवसायिक<br>उपयोग गरे बापत | ०                                 | यस शिर्षकमा करको सम्भावना नरहेको   |
| ७                     | मनोरञ्जन कर   | ३००                               | मनोरञ्जनका माध्यमलाई करको दायरामा ल्याउन<br>सकिन्दछ ।  |
| ८                     | विज्ञापन कर   | २५००                              | सबै विज्ञापनदातालाई करको दायरामा ल्याउन<br>अभियान संकलन गर्न सकेमा लक्ष्य प्राप्त गर्न<br>सकिनेछ ।     |
| ९                     | अन्य कर   | १००                               |  |
|                       | कर अन्तर्गत जम्मा   | ६००००                             |  |
| १०                    | शुल्क   |                                   |  |
| १                     | बहाल विटौरी शुल्क   | ३०००                              | हाटवजार र सार्वजनिक जग्गाको बहाल विटौरी<br>शुल्कलाई प्रभावकारी रूपमा करको दायरामा<br>ल्याउनु पर्ने ।   |
| २                     | पार्किङ शुल्क   | २००                               | वजारमा रहेको कस पार्क तथा अन्य मुख्य पार्किङ<br>क्षेत्रबाट ठोक्का बन्दोवस्तीबाट कर संकलन गर्न<br>सकिने |
| ३                     | अन्य शुल्क  | १००                               |  |
|                       | शुल्क अन्तर्गत जम्मा  | ३३००                              |  |
| ४                     | सेवा शुल्क  |                                   |  |
| १                     | केवलकार, ट्रैकिङ, कायकिङ,<br>बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर,<br>प्यारागलाइडिङ आदि मनोरञ्जन<br>तथा साहसी खेलकुद सम्बन्धी<br>सेवा वा व्यवसायमा                                 | ०                                 | यस शिर्षकमा करको सम्भावना नरहेको   |
| २                     | स्थानीय पुर्वाधार उपयोग सेवा<br>शुल्क   | ५००                               | अनुमान   |
| ३                     | अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै<br>विषयको मूल्यांकन सेवा शुल्क  | ५००                               | अनुमान   |
| ४                     | अव्यवस्थित जग्गा कारोबार गर्दा<br>वातावरण तथा सरसफाई शुल्क<br>वापत कारोबार मूल्यको २<br>प्रतिशत   | ८०००                              | चालु आ.व.को आधारमा अनुमान  |
| ५                     | जग्गा कारोबार गर्दा खरिद कर्ताले<br>बुझाउनु पर्ने भौतिक पूर्वाधार<br>शुल्क (खरिद मूल्यको) (०.५०<br>प्रतिशत)   | ४०००                              | चालु आ.व.को आधारमा अनुमान  |
| ६                     | अन्य सेवा शुल्क   |                                   |  |
|                       | सेवा शुल्क अन्तर्गत जम्मा   | १३०००                             |  |
| ७                     | दस्तुर  |                                   |  |

| बजेट<br>शिर्षक<br>नं. | राजश्व शिर्षक   | कुल<br>सम्भाव्यता<br>(रु. हजारमा) | आय प्रक्षेपणका आधारहरु   |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--|
| १                     | दर्ता, अनुमति, नवीकरण,<br>सिफारिस दस्तुर  | १०५००                             | बडा तथा नगरपालिका तहबाट हुने सबै प्रकारका<br>दर्ता, अनुमति, नवीकरण, सिफारिस बापत असुल<br>हुने दस्तुरको आंकलन |
| २                     | नक्सा पास दस्तुर  | ८००                               | नक्शा पासको लागि निर्धारण गरिएको दर र पास<br>हुने नक्शा संख्याको आधारमा निर्धारण गरिएको                      |
| ३                     | पंजिकरण व्यवस्थापन दस्तुर   | २००                               | पञ्जिकृत हुने संख्याको अनुमान  |
| ४                     | जग्गा नाप जाँच तथा कित्ता काट<br>दस्तुर   | ३००                               | अनुमान   |
| ५                     | अन्य दस्तुर   | ४००                               | अनुमान   |
|                       | दस्तुर अन्तर्गत जम्मा   | १९४००                             |  |
| ड                     | विक्री  |                                   |  |
| १                     | वस्तु तथा सेवा विक्री   | ०                                 |  |
| २                     | ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो, काठ,<br>दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुङ्गा<br>आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य<br>वस्तुको विक्री तथा निकासी |                                   |  |
|                       | बिक्री अन्तर्गत जम्मा   | ०                                 |  |
|                       | क + ख + ग + घ + ड को जम्मा<br>अनुमान  | ९५७००                             |  |

## परिच्छेदः ७

### राजश्व सुधार कार्ययोजना

यस परिच्छेदमा सूचना विश्लेषण तथा सहभागितामूलक छलफलबाट तयार पारिएको नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ। यस कार्ययोजनालाई नगरपालिकाले आफ्नो विधायीकी निकायबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमाल्याउने विश्वास लिईएको छ।

#### ६.१ नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना

नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजनाको चरणमा नगरपालिकाको आयोजनामा परामर्शदाताहरुको सहजीकरणमा कार्यपालिकाको सदस्यहरु, कर्मचारीहरु तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको सहभागितामा राजश्व सुधारका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्ययोजनाकोविषयमा छलफल भएको थियो। संक्लित अन्य सूचना तथा विश्लेषणबाट आएका नतिजाहरुलाई समेत समावेश गरी नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ। यस कार्ययोजनाका कृयाकलापहरुलाई बृहत रूपमा निम्नानुसारतिनवटा शिर्षकमा विभाजन गरिएको छ :

- क. कर राजश्व सुधार योजना
- ख. गैर कर राजश्व सुधार योजना
- ग. राजश्व प्रशासनमा सुधार

#### तालिकाः राजश्व सुधार कार्ययोजना – २०७५फागुन

क. कर राजश्व सुधार योजना

| क्र.स | सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु  | समयावधि                 | जिम्मेवारी                 |
|-------|---|-------------------------|----------------------------|
| १     | सम्पत्ति कर   |                         |                            |
|       | चालु आ.व. देखि लागुभैरहेको  | २०७५।०४।०१              | नगरकार्यपालिका             |
|       | टोलबस्ति मा सम्पत्ति करको वारेमा सुचना प्रवाह गर्ने                                   | निरन्तर                 | राजश्व शाखा र वडा समिति    |
|       | अनुमानित करदाताको तथाङ्क संकलन गर्ने।   | २०७५ चैत्र              | राजश्व शाखा र वडा कार्यालय |
|       | करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउन कर स्वयं घोषणाविधि कार्यान्वयन गरिने।                | २०७६ असार महिनासम्म     | नगर सभा र नगर कार्यपालिका  |
|       | धेरै कर तिर्ने करदातालाई वार्षिक रूपमा पुस्कृत गर्ने                                  | वार्षिक रूपमा निरन्तर   | नगरकार्यपालिका             |
|       | निर्धारित समय भन्दा ढिलो कर तिर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गर्ने                        | २०७६ असार               | नगर सभाले                  |
| २     | व्यवसाय कर  |                         |                            |
|       | व्यवसायजन्य दर्ताका लागि उत्प्रेरणा जगाउने  | २०७६ जेष्ठ/असार १५      | नगरकार्यपालिका             |
|       | दर्ता नगरी व्यवसाय संचालन गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिने र सो को सूचना जारी गर्ने। | २०७६ असार मसान्त        | प्रमुख प्र. अधिकृत         |
|       | व्यवसायीहरुको लागत संकलन गरी अध्यावधिक गर्ने  | २०७६ असार १५ सम्म       | राजश्व शाखा                |
|       | व्यवसायीहरुको छाता संगठनसँग नगरपालिकाले समन्वय र नियमित अन्तरक्रिया गर्ने।            | २०७५ चैत्र देखि निरन्तर | नगर कार्यपालिका            |

|   |   |                      |                                    |
|---|---|----------------------|------------------------------------|
| ३ | प्राकृतिक तथा खानी जन्य बस्तुको निकासी कर   |                      |                                    |
|   | निकासी कर असुली पारदर्शि बनाउदै दर पुनरावलोको गर्ने   | २०७६ असार भित्र      | नगर सभा                            |
|   | निकासी कर लगाइने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने   | २०७६ जेठ             | नगर कार्यपालिका                    |
|   | वालुवा गिटी, हुडगा र वन क्षेत्र वाहेकका अन्य क्षेत्रका काठजन्य बस्तुहरुमा समेत निकासी कर लगाउने । | २०७५ असार            | नगर सभा                            |
|   | सामुदायिक वन पैदावारमा समेत निकासी शुल्क लिन नीति र कानुननिर्माण गर्नुपर्ने ।                     | २०७५ असार            | नगर सभा र नगर कार्यपालिका          |
| ४ | घर वहाल कर  |                      |                                    |
|   | वहालमा राख्ने घरजग्गा धनीहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।   | २०७६ असोजसम्म        | नगर कार्यपालिका र वडा कार्यालय     |
|   | विशेष कार्यक्रम संचालन गरी वहाल कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने ।                                       | २०७६ कार्तिक सम्म    | नगर कार्यपालिका                    |
|   | घरपटीहरुसँग छलफल अन्तरक्रिया गर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने ।  | निरन्तर              | राजश्व परामर्श समिति र राजश्व शाखा |
| ५ | जडीबुटी कवाडी र जिबजन्तु कर   |                      |                                    |
|   | जडिबुटी पाइने सम्भावित स्थानहरुमा अध्ययन गर्ने र कर को दर निर्धारण गर्ने                          | २०७६ भाद्र           | नगर सभा, राजश्व शाखा               |
|   | जडिबुटीको व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने प्रोत्साहन गर्ने  | निरन्तर              | नगर कार्यपालिका                    |
|   | कर असुलीका लागि चेक प्वाइन्ट तोकी टेक्का वन्दोवस्त गर्ने ।  | २०७६ असार मसान्तसम्म | नगरपालिका राजश्व परामर्श           |

#### ख. गैरकर राजस्व सुधार योजना

| क्र.स. | सुधारको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु                                    | सपयावधि          | जिम्मेवारी                   |
|--------|---|------------------|------------------------------|
| १.     | हुडगा, गिटी, वालुवा, काठ, दाउरा, वांस, प्राकृतिक तथा खानीजन्य बस्तु |                  |                              |
|        | दर पुनरावलोकन गर्ने र टेक्का वन्दोवस्त गर्ने ।                      | असार मसान्तसम्म  | नगर सभा                      |
| २.     | नक्सापास दस्तुर   |                  |                              |
|        | न्यूनतम दस्तुर कायम गरी सबै घरधनीलाई नक्सापासको दायरामाल्याउने ।    | २०७६ श्रावण देखि | नगर सभा, प्राविधिक शाखा      |
|        | भवन निर्माण र नक्सा पासको प्रगति अनुगमन गर्ने                       |                  | वडा कार्यालय, प्राविधिक शाखा |
| ३      | व्यतिगत घटना दर्ता शुल्क  |                  |                              |

| क्र.स. | सुधारको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू   | समयावधि                  | जिम्मेवारी                   |
|--------|--|--------------------------|------------------------------|
|        | घटना दर्ताको लागि समयानुसारको शुल्क निर्धारण गर्ने   | २०७६ असार मसान्त         | नगर सभा, पंजिकरण शाखा        |
| ४      | <b>वहाल विटौरी शुल्क</b>   |                          |                              |
|        | विटौरी सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने  | २०७६ असोज सम्म           | राजश्व शाखा तथा वडा कार्यालय |
|        | अटेर गर्नेलाई नियमानुसार कार्बाही प्रकृया अगाडी बढाउने ।   | २०७६ श्रावण देखि निरन्तर | नगर कार्यपालिका              |
|        | ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा वसोवास भएका हरूलाई प्रति कट्ठाको आधारमा शुल्क तोक्ने ।                             | २०७६ असार सम्म           | नगर सभा                      |
| ५      | <b>फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क</b>   |                          |                              |
|        | ल्याडफिल्ड साइड स्थापना गरी फोहरमैला व्यवस्थापन तथा फोहरमैला वर्गिकरण गर्न लगाउने ।                            | २०७६ श्रावण देखि निरन्तर | नगर कार्यपालिका              |
| ६      | <b>सडक वत्ति, पर्यटकीय स्थल हाटवजार</b>  |                          |                              |
|        | सम्बन्धित वडाकार्यालयबाट सडक वत्ति, हाटवजार र पर्यटकीय स्थल व्यवस्थापन गरि अधिकतम कर उठाउने ।                  | २०७६ असार समान्त         | नगर सभा, राजश्व शाखा         |
| ७      | दर्ता, निविकरण तथा अनुमति दस्तुर, विद्यालय स्थापना घ वर्गको इजाजत, एफ.एम. रेडियो, स्थानीयस्तरमा व्यापारीक फर्म |                          |                              |
|        | तथ्यांक संकलनगरी दर्ता प्रकृयामा ल्याउने   | असार मसान्तसम्म          | न. पा. तथा वडा कार्यालय      |

#### ग. राजस्व प्रशासन सुधार योजना

| क्र.स. | सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू                              | समयावधि                       | जिम्मेवारी                         |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| १      | करदाताहरूका लागि तालिम गोष्ठि तथा अन्तरकृया आयोजना गर्ने ।    | निरन्तर                       | राजस्व शाखा, वडा समिति             |
| २      | अवलोकन भ्रमण आयोजना गर्ने ।                                   | २०७६ श्रावण देखि वर्षमा २ पटक | नगर कार्यपालिका, राजश्व शाखा       |
| ३      | कर्मचारी संख्या थप गर्ने (१ नासु)                             | २०७६ असार भित्र               | नगर प्रमुख,<br>प्र.प्र. अधिकृत     |
| ४      | सबै वडा कार्यालयहरूमा कम्प्युटर, इटरनेटको पहुँच स्थापना गर्ने | आ.व. ०७५।०७६ भित्र            | प्र.प्र. अधिकृत<br>वडा अध्यक्ष     |
| ५      | सम्पति कर मुल्याङ्कन समिति गठन नियमित अनुगमन गर्ने            | आ.व. ०७५।०७६ भित्र            | नगर कार्यपालिका<br>प्र.प्र. अधिकृत |
| ६      | सार्वजनिक सुनुवाई तथा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने                 | निरन्तर वर्षमा २ पटक          | नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष            |
| ७      | नियमित रूपमा करदातालाई सूचना पुर्याउने                        | निरन्तर                       | राजस्व शाखा                        |

## परिच्छेद : द

### निश्कर्ष तथा सुझाव

सारांशमा राजश्व अध्ययन तथा सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पश्चात राजश्व वाँडफाँडको प्रक्षेपण गर्दा हाल वाँडफाँड निश्चित भएका स्रोतहरुको मात्र प्रक्षेपण गरिएको छ। यो प्रक्षेपण तयार गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारीच राजश्व वाँडफाँड हुने नयाँ स्रोतहरुको आधार तयार नभएकोले त्यसलाई समावेश गरिएको छैन। त्यसैगरी केन्द्र वाट प्राप्त हुने राजश्व वाँडफाँडको रकमको स्रोत स्पष्ट नभएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क तर्फ मात्र समावेश गरिएको छ।

प्रस्तुत विवरणले नगरपालिकाको आन्तरिक आय २०७६/७७ मा ९ करोड ५७ लाख हुने अनुमान गरिएको छ। यो रकम संकलन गर्न पनि नगरपालिकाले वर्तमान संरचना तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा ठूलै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ। नगरपालिकाले यसतर्फ निम्न कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।

- राजश्व परामर्श समितिको परिचालन
- आय संकलनकोलागि आवश्यक ऐन तथा कार्यविधिको तयारी
- राजश्व वजेटमा शिर्षकगत आय अनुमान तथा अनुगमन
- आर्थिक ऐनमा कर तथा शुल्कका दर निर्धारण र जरिवाना निर्धारण
- राजश्व शाखाको गठन, स्थान, उपकरणहरु तथा कर्मचारीको प्रभावकारी व्यवस्था
- वडा कार्यालयसंग राजश्व संकलनमा समन्वय तथा प्रतिवेदनको व्यवस्था
- राजश्व सुधारकोलागि समय समयमा बैठक तथा तालिम आयोजना

यो नगरपालिका भर्खरै मात्र गठन भएकाले यसको संभाव्य आयका स्रोतहरुमा परिचालन गर्न सम्भव देखिदैन साथै जनताहरुमा करतिर्ने वानी नभएकोले करको दर बृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरमा ल्याउन प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसेले सीमित साधन र श्रोतका कारण प्रभावकारी राजश्व प्रशासन हुन नसक्ने भएकोले तत्काल राजश्व बृद्धिमा योगदान पुऱ्याउन मद्दत गर्ने केहि महत्वपुर्ण र प्रभावकारी श्रोतहरुको संकलन तर्फ विषेश ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ। साथै राजश्व सुधार कार्य योजनामा उल्लेख भएका क्रियाकलापहरुलाई पनि प्राथमिककरण गरी कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ।

## अनुसूची १: सन्दर्भ सामग्रीहरु

- नेपालको संविधान २०७२
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
- नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य, २०७५।७६
- नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको विधयक, २०७५
- राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
- स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४
- कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी नमूना कानून, २०७४
- स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको नमूना, २०७४
- सैनामैनानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५।७६
- सैनामैनानगरपालिकाको वस्तुगत विवरण (प्रोफाईल), २०७४
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रगति प्रतिवेदनहरु
- स्थानीय तहका विभिन्न आर्थिक वर्षहरुको नगर विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरु

## अनुसूची २ः सैनामैना नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त)

### सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

#### प्रस्तावाना:

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ बमोजिमको एकल अधिकार सूची तथा अनुसूची ९ बमोजिमको साभा अधिकार सूची, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ घ (१, २, र ६) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन कार्य व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्नका लागि सोही ऐनको दफा १०२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम यो आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि तर्जुमा गरी नगर कार्यपालिका वैठकबाट स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ ।

#### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

- (क) यो कार्यविधिको नाम “आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि २०७५” रहेको छ ।  
(ख) यो कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति देखि लागू हुनेछ ।

#### २. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यो कार्यविधिमा :

- (क) “आन्तरिक आय” भन्नाले प्रचलित ऐन, नियमावली र कार्यविधि बमोजिम नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको व्यवसायमा पूँजीगत लगानी, आर्थिक कारोबार क्षेत्रगत एवं व्यापारिक महत्व र स्रोत साधन आदिका आधारमा नगरपालिकाको सभाबाट स्वीकृत दर बमोजिम ठेक्का, अमानत वा अन्य कुनै तरिकाले असुल गर्ने कर, दस्तूर, सेवा शुल्क, विक्री, आदि आयलाई सम्झनुपर्छ ।
- (ख) “ठेकेदार भन्नाले” नगरपालिकाको निश्चित आ.व.को आय संकलन गर्न सम्झौता गरेको फर्म वा व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।
- (ग) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत” भन्नाले नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा नियुक्त कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ ।
- (घ) “कर अधिकृत” भन्नाले यो निर्देशिका बमोजिम कर अधिकृतको काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ ।
- (ङ) “वडा” भन्नाले नगरपालिकाको वडा सम्झनुपर्दछ ।
- (च) “कार्यालय” भन्नाले सैनामैना नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सम्झनुपर्छ । सो शब्दले वडा कार्यालय समेतलाई बुझाउँदछ ।
- (छ) “शाखा” भन्नाले राजश्व शाखा सम्झनुपर्छ ।
- (ज) “व्यवसायी” भन्नाले व्यापार तथा व्यवसाय संचालन गर्ने गरी नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेको व्यक्ति/फर्म/संघ संस्थालाई सम्झनु पर्दछ ।
- (झ) “स्थानीय तह ” भन्नाले सूर्यविनायक नगरपालिकालाई सम्झनु पर्नेछ ।
- (ञ) “बोलपत्र ” भन्नाले प्रकाशित सूचना बमोजिमको बोलपत्र एवं दरभाउपत्रलाई समेत सम्झनु पर्नेछ ।

### ३. स्थानीय तहले आन्तरिक आय संकलनको लागि ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्ने :

(१) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को अधीनमा रही नगरपालिकाको नगर सभाले निर्णय गरे अनुसारको करको दर, सेवा शुल्क, दस्तूर तथा अन्य आन्तरिक आय असूल गर्न नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षको लागि ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्नेछ ।

तर नगरपालिकाको आन्तरिक आय बृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढ्न जाने अवस्थामा बढीमा ३ वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सकिने छ ।

स्पष्टीकरण: यस कार्यविधि प्रयोजनको लागि “आन्तरिक आय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम तथा अन्य विशेष प्रकृतिको अनुदान बाहेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलन गर्न पाउने आय सम्भनु पर्दछ ।

(२) दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहको समूहले आपसी सहमतिद्वारा संयुक्त रूपमा उपनियम(१) बमोजिम ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्नेछन् ।

(३) नगरपालिकाले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगाडि नै ठेक्का बन्दोवस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा यस कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि फर्म तथा व्यक्तिको सूचीकृत गराई रहन आवश्यक पर्ने छैन ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :-

(क) आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्येक आन्तरिक आय श्रोतको उपलब्धता, श्रोत परिचालनको व्यवस्थापन, लागत र चालु वर्षको ठेक्का अङ्ग समेतलाई विचार गरी आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरी न्यूनतम ठेक अङ्ग र असुली कार्यतालिका समेत भएको कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम असुली कार्यतालिका र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइसकेपछि ठेक्का बन्दोवस्त गर्नको लागि नगर सभाले निर्धारण गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा विशेष शर्तहरु र सूचनामा उल्लेख गरिने कुराहरु तथा अन्य आवश्यक विवरणहरु समेत समावेश भएको ठेक्का सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (क) बमोजिमको कार्यान्वयन कार्य योजनाको आधारमा कुनै आन्तरिक आय पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा कम उठ्ने भएमा सोभै वार्ताद्वारा पनि सम्झौता गर्न सकिने छ, र पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी उठ्ने भएमा बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्वान गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम बोलपत्र आव्वान गर्दा दशलाख रुपैयाँसम्म भए स्थानीय स्तरमा नियमित प्रकाशन हुने पत्रिकामा कम्तिमा पन्थ दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ :-

- (१) साविकमा ठेक्का लागि आएको भए कति रकम र के शर्तमा ठेक्का लागेको हो सो कुरा,
- (२) ठेक्काका मुख्य मुख्य शर्तहरु,
- (३) श्रोतगत र स्थानगत विवरण र उठाउनु पर्ने आन्तरिक आयको सम्भावित परिमाण,
- (४) ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम एकमुष्ट बुझाउदा छुट दिईने भए सो कुरा,

- (५) बोलपत्र फारम प्राप्त हुने स्थान र आवश्यकता अनुसार इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरी फारम प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाउनु पर्नेछ । यसरी इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिएको बोलपत्र दाखिला गर्दा उक्त सूचना बमोजिम लाग्ने रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
- (६) बोलपत्र पठाउनु पर्ने तरिका,
- (७) बोलपत्र पठाउनु पर्ने कार्यालयको नाम (कार्यालयको नाम खुलाउँदा सम्बन्धित स्थानीय निकायको निर्णयले एकभन्दा बढी स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरु र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय) समेतलाई समावेश गर्न सकिनेछ),
- (८) बोलपत्र बापत लाग्ने मूल्य,
- (९) बोलपत्र दाखिला हुनुपर्ने अन्तिम मिति, समय र स्थान तथा बोलपत्र खोलिने समय, मिति र स्थान,
- (१०) बोलपत्र उपर निर्णय हुने मिति,
- (११) जमानत बापत राख्नु पर्ने रकम वा वैङ्गयारेन्टीको किसिम र मान्य अवधि,
- (१२) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
- (च) बोलपत्र दस्तूर
- |   |             |
|---|-------------|
| (क) बीस लाख रुपैयाँ देखी दुई करोड रुपैयाँसम्मको लागि        | रु. ३००००-  |
| (ख) दुई करोड रुपैयाँ भन्दा माथि दश करोड रुपैयाँ सम्मको लागि | रु. ५००००-  |
| (ग) दश करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पचास करोड रुपैयाँसम्म        | रु. १०००००- |
| (घ) पचास करोड रुपैयाँ भन्दा माथि                            | रु. २०००००- |
- (छ) खण्ड (ड) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र पर्न आएका बोलपत्रहरुको दर्ता, खोल्ने कार्यविधि बोलपत्रदाताको एजेन्टले पेश गर्नुपर्ने विवरण लगायतका विवरणहरु यसै कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
- (ज) खण्ड (घ) बमोजिम प्रथम पटक बोलपत्र आव्हान गर्दा कुनै पनि आय शिर्षकमा एउटा मात्र बोलपत्र दाखिला भएमा पनि स्वीकृत गर्न सकिने छ । बोलपत्र पर्न नआएमा वा रीत पूर्वकको एउटा पनि बोलपत्र प्राप्त नभएमा वा कबोल अङ्ग अनुमानित ठेक्का अङ्ग भन्दा कम भएमा पहिलाको म्याद भन्दा कम्तीमा आधा म्याद दिई पुनः सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्नेछ ।
- (झ) खण्ड (ज) बमोजिम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि बोलपत्र नपरेमा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई खण्ड (ड) बमोजिमको सूचनामा देहायको कुराहरु थप गरी सार्वजनिक बढाबढको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :-
- (१) बढाबढ हुने स्थानीय तहको कार्यालय वा अन्य कुनै स्थान,
  - (२) बढाबढ हुने समय र मिति,
  - (३) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
- (५) उपनियम (४) को खण्ड (ड) र खण्ड (झ) अनुसार प्रकाशित सूचना बमोजिम बोलपत्र दिने वा बढाबढ डाँक बोल्ने व्यक्तिले नेपाली नागरिक भए आफूले कबूल गरेको पाँच प्रतिशत र गैर नेपाली नागरिक भए, आफूले कबूल गरेको अङ्गको दश प्रतिशत रकम त्यस्तो सूचना प्रकाशन गर्ने स्थानीय तहको नाममा उक्त सूचनामा तोकिएको वैङ्गमा जमानत वापत रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर संलग्न राखी वा नेपाल राष्ट्र वैङ्गबाट मान्यता प्राप्त वैङ्गले जारी

गरेको बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम ७५ दिन म्याद भएको बैंक जमानत (विडवण्ड) को सक्कल प्रति संलग्न राख्नु पर्नेछ ।

तर बढावढ गर्दा पनि नगरपालिकाले तोके बमोजिमको न्यूनतम अङ्ग पनि कबोल अङ्ग हुन नआएमा स्थानीय स्तरको सम्बन्धित राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा आवश्यक प्रकृया अपनाई आन्तरिक आय संकलनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(६) यस नियमावली बमोजिम जफत हुने अवस्थामा बाहेक उपनियम (५) बमोजिम राखिएको जमानत वापतको रकम सो जमानत राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले दिएको बोलपत्र वा बोलेको डाँक अस्वीकृत भएको मितिले तीस दिनभित्र निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

तर कुनै ठेक्काको सम्भौता नभए सम्म सो ठेक्का कबुल गर्ने मध्ये सो ठेक्का क्रम अनुसार दिन सिफारिस गरिएका जमानतवालाहरुको जमानत स्थानीय तहले फिर्ता नगरी स्थगित राख्न बाधा पर्ने छैन ।

(७) उपनियम (४) अन्तर्गत प्रकाशित सूचनामा बढावढको लागि तोकिदिएको समय वा मितिभन्दा पछि वा त्यस्तो सूचनामा बढावढको लागि तोकिदिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै स्थानमा वा हुलाक, फोन वा आकाशवाणीद्वारा बोलेको कुनै पनि डाँक उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।

(८) नियमानुसार कार्यालयमा पेश हुन आएका बोलपत्र/दरभाउ पत्र मुल्यांकन कार्यका लागि देहाय अनुसारको मुल्यांकन समिति रहने छ ।

|   |            |
|---|------------|
| ● नगर प्रमुखले तोकेको नगरकार्य पालिका सदस्य | संयोजक     |
| ● आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख                | सदस्य      |
| ● प्राविधिक शाखा प्रमुख                     | सदस्य      |
| ● प्रशासन शाखा प्रमुख                       | सदस्य      |
| ● राजस्व शाखा प्रमुख                        | सदस्य सचिव |

४. **ठेक्का स्वीकृत गर्ने :** (१) **नियम ३ को उपनियम ४ (घ) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम दाखिला भएको कुनै वा सबै बोलपत्र वा बोलेको कुनै वा सबै डाँक स्वीकृत गर्दा कार्यालयलाई कुनै हानोक्सानी हुने देखिएमा नगरकार्यपालिकाले सो कारण देखाई वा नदेखाई कुनै एक वा सबै बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।**

(२) रितपूर्वकको बोलपत्र प्राप्त भए पछि सूचना बमोजिमका सबै प्रकृया पुगेको सबैभन्दा बढी कबोल गर्नेको बोलपत्र मुल्यांकन समितिको सिफारिस बमोजिम देहायका बमोजिम स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(क). रु. ५ करोड सम्मको बोलपत्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले स्वीकृत गर्ने ।

(ख). रु. १० करोड सम्मको बोलपत्र नगर प्रमुखले स्वीकृत गर्ने ।

(ग). रु. १० करोड भन्दा बढीको बोलपत्र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने ।

(३) **नियम ३ को खण्ड (भ) बमोजिम सार्वजनिक बढावढ गर्दा न्यूनतम अङ्गबाट बढावढ शुरु गरी सबैभन्दा बढी डाँक कबोल गर्नेवालाको डाँक तत्कालै **नियम ३ को उपनियम (५) बमोजिमको धरौटी वा वैङ्ग ग्यारेन्टी लिई स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।****

(४) यस कार्यविधि बमोजिमको बोलपत्र वा सार्वजनिक बढावढको डाँक स्वीकृत गर्ने अन्तिम अधिकार नगर कार्यपालिकाको हुनेछ ।

५. **सम्भौता गर्ने र कायदिशा दिने:** (१) यस **कार्यविधि** बमोजिम आन्तरिक आय उठाउने बोलपत्र वा डाँक स्वीकृत भैसकेपछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने **नगरपालिकाको अधिकारीले** सात दिनभित्र सो कुराको सूचना बोलपत्र वा डाँकवालालाई दिनुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना जारी गर्दा बाटाका म्याद बाहेक सातदिनको म्याद दिई सो म्यादभित्र आफ्नो कबूल बमोजिम सम्भौता गर्न नआएमा त्यस पछिको बोलपत्र वा डाँकवालालाई ठेक्का दिइने कुरा स्पष्ट खोली सूचना तामेल गर्नु गराउनु पर्नेछ । यस्तो सूचना जारी गर्दा सूचना पाउनुपर्ने व्यक्ति नभेटिएमा

वा सूचना बुझी नलिएमा स्थानीय वडा सदस्य एक जना समेत स्थानीय व्यक्तिहरु चार जनालाई साक्षी राखी सूचना पाउनु पर्ने व्यक्तिको घर दैलोमा टाँस गरेमा पनि सो सूचना प्राप्त भएको मानिनेछ ।

तर यस्तो सूचना कुनै स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गरेमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम जारी भएको सूचनाको म्यादमा सो व्यक्ति हाजिर भई सम्भौता गर्न मञ्जूर गरे ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निजबाट तुरन्त सम्भौता गराई निजलाई चलन पूर्ण दिनु पर्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति हाजिर नभएमा वा आफ्नो कबुल बमोजिम कबुलियत गर्न मञ्जूर नगरेमा निज पछिको दोस्रो, तेस्रो क्रम अनुसार अरु बोलपत्र वा डाँकवालाई प्राथमिकता दिई उपनियम (२) बमोजिमको सूचना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ । यसरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा त्यस्तो रकम नगरपालिकाले अनुमान गरेको अङ्ग भन्दा कम हुने रहेछ भने राजस्व परामर्श समितिको वैठकबाट सिफारिस गराई पुनः सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।

(४) **नगरपालिकाले** संयुक्त रूपमा आक्तान गरेको बोलपत्र वा बढावढको डाँक स्वीकृत गर्ने र ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अखित्यारवालाले बोलपत्र खोलिएको वा डाँक बोलाइएको **तीन दिनभित्र** बोलपत्र वा डाँक स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निकासाका लागि मूल्याङ्कन समिति समक्ष पेश गरी निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । **नगरपालिकाको मूल्याङ्कन समितिले** पनि यसरी पेश भएको सात दिनभित्र बोलपत्र वा डाँक स्वीकृत भए वा नभएको सूचना दिनुपर्नेछ । सो म्यादभित्र पेश नगरेको वा निकासा नदिएको कारणले नगरपालिकालाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा जसको ढिलाई वा लापरवाहीले गर्दा म्यादभित्र पेश वा निकासा हुन नसकेको हो सो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सो हानी नोक्सानी असूल उपर गरी लिनु पर्नेछ ।

(५) बोलपत्र वा डाँक स्वीकृत भए पछि त्यस्तो बोलपत्रदाता वा डाँकवालाबाट स्वीकृत ठेक्का अङ्गको २५ प्रतिशत रकम नगदै बैक दाखिला गर्नुपर्नेछ र बाँकि ७५ प्रतिशत रकम र सोको भ्याट वापतको रकम समेत कुल रकमको नेपाल राष्ट्र बैङ्गबाट मान्यता प्राप्त बैङ्गको ठेक्का अवधि सहित थप १५ दिन म्याद भएको ( बहुवर्षिय ठेक्काको हकमा कमितमा १ वर्ष ) परफरमेन्स वण्ड वा नगदै रकम प्राप्त भएपछि ठेक्का पाउने सबै शर्त खुलाई सम्बन्धित ठेकेदारसँग सम्भौता गरी चलान पूर्ण दिनु पर्नेछ ।

(६) बोलपत्र वा डाँक स्वीकृत भएको सूचना प्राप्त भए पछि सो सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र बोलपत्र वा डाँकवालाले चलान पूर्ण नलिएमा वा पट्टा नउठाएमा निजले **नियम ३** को **उपनियम (५)** बमोजिम राखेको जमानत जफत भई स्थानीय तहको संचित कोषमा दाखिला हुनेछ ।

**६. ठेक्का रकमको किस्ता बुझाउने तरिका:** (१) स्थानीय तहले आन्तरिक आय उठाउने कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा असूल गर्नु पर्ने किस्ताको अङ्ग निर्धारण ठेक्का सम्बन्धी सूचना र बोलपत्रमा उल्लिखित असूली कार्यतालिका र अन्य शर्त बमोजिम हुनेछ ।

तर यसरी कार्यतालिका बनाउँदा राजस्व उठाने सम्भाव्य समय र भुक्तानी गर्ने किस्ताको समय मिलान भएको र किस्ताहरु बीचको समयान्तर चार महिनाभन्दा बढी नभएको हुनु पर्नेछ ।

(२) ठेकेदारले सम्भौताको समयमा ठेक्का अनुसारको सम्पूर्ण ठेक्का रकम एकमुष्ट बुझाएमा औचित्य हेरी कमितमा पाँच देखि बढीमा दश प्रतिशतसम्म कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई छूट दिन सकिनेछ ।

तर यस्तो छूटको प्रतिशत बोलपत्र वा बढावढको सूचनामा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

**७. ठेक्का तोड्ने :** (१) सम्भौता बमोजिमको कुनै शर्तको बर्खिलाप काम गरेकोमा वा त्यस्तो शर्त बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेमा बाहेक यस कार्यविधि बमोजिम पट्टा कबुलियत भैसकेपछि ठेक्काको अवधि भुक्तान नहुँदै बीचैमा कुनै ठेक्का तोड्न वा छोड्न हुँदैन ।

(२) कुनै ठेकेदारले नगरपालिकाले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर असूल गरेमा वा सम्भौतामा उल्लेख नभएका मालवस्तुमा कर, सेवा शुल्क वा दस्तुर असूल गरेमा वा एक स्थानीय तहले लिएको करको प्रमाण हुँदा हुँदै दोहोरो हुने गरी कर असूल गरेमा त्यस्तो रकम त्यस्तो ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा उल्लिखित क्रियाकलाप पुनः दोहोरिएमा त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरिनेछ, यसरी धरौटी जफत गर्दा पनि नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा साविकको रकम भन्दा कम रकम प्राप्त

भएमा र नयाँ ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा लागेको रकम असूल उपर नभएमा सरकारी वाँकी सरह असूल उपर गरी निजको नाम कालो सूचीमा राखी अन्य स्थानीय तहहरु र नेपाल सरकारको ठेकेदारको लाइसेन्स दिने कार्यालयलाई समेत जानकारी दिइनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा सोही आर्थिक वर्षको वाँकी अवधिको निमित्त ठेक्का सकार गर्ने कुनै व्यक्ति वा फर्म प्राप्त भएमा साविकको ठेक्काको दर र असूली कार्यतालिका बमोजिम गनि अशुल असूल गरी ठेक्का दिन सकिनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा त्यसबाट नगरपालिकालाई भएको नोक्सानी र स्थानीय तहले ठेकेदारबाट लिनु पर्ने वाँकी भएमा त्यसको छुट प्रतिशत समेत सो ठेकेदारले राखेको जमानतबाट असूल नभए निजबाट सरकारी वाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।

तर आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परी ठेकेदारले सो ठेक्काको काम गर्न नसकेको रहेछ भने नगरपालिकाको नगर सभाले सो बमोजिम असूल गर्नु पर्ने रकममध्ये सम्बन्धित राजश्व परामर्श समितिको परामर्श लिई उपयुक्त रकम मिनाहा दिन सक्नेछ ।

**८. बक्यौता रकम असूली सम्बन्धी व्यवस्था :-** (१) नगरपालिकाले विभिन्न कारणबाट असूल हुन नसकी वाँकी रहेको बक्यौता रकम असूल गर्न बक्यौता असूली कार्ययोजना वनाई रकम असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम असूल गर्नुपर्ने रकम असूलीको लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्नुका साथै स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, नागरिक समाज वा अन्य व्यक्तिको समेत सहयोग लिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सहयोग प्राप्त भै बक्यौता रकम असूली भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था लाई स्थानीय निकायले असूली अङ्गको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म रकम पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध गराउन सक्नेछ । एक भन्दा बढी व्यक्ति वा संस्थाको सक्रियतामा बक्यौता रकम असूली भएको भए यस्तो पुरस्कार रकम दामासाहीबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिमको प्रकृयाबाट पनि रकम असूल उपर हुन नसकेमा सरकारी वाँकी सरह रकम असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।

९. यस कार्यविधिमा उल्लेख भएका बाहेकका विषयहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

## अनुसूची ३ : तथ्यांक/सूचना संकलनका लागि प्रयोग गरिएको फारम तथा सुची

सैनामैना नगरपालिका, कपिलवस्तु  
राजश्व सुधार कार्ययोजनातर्जुमा

### तथ्यांक संकलन सूची

गाउँ/नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय तथा हालको अवस्था:

- संक्षिप्त परिचय :
  - नामांकरण,
  - घरधुरी तथा जनसंख्या
  - क्षेत्रफल तथा वडा विभाजन
  - प्रशिद्ध स्थलहरु
- मुख्य पूर्वाधारको अवस्था
  - सडक, बाटो, पुल
  - विजुली
  - खानेपानी तथा सिंचाई
  - सावर्जनिक भवन तथा पूर्वाधारहरु
  - फोहरमैला व्यवस्थापन (फोहरको परिमाण र व्यवस्थापनको अवस्था)
- आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट
  - उद्योग, व्यवसाय तथा कलकारखाना
  - मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरु
  - भौगोलिक अवस्थिती
  - प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदा

गाउँ/नगरपालिकाको संगठन तथा राजश्वप्रशासन :

- हालको संगठन संरचना
  - निर्वाचित पदाधिकारीहरुको विवरण
  - कर्मचारीहरुको विवरण

| क्र.सं. | पद | स्वीकृत<br>दरवांदी | पदपुर्ति |      |
|---------|----|--------------------|----------|------|
|         |    |                    | स्थायी   | करार |
| 1       |    |                    |          |      |
| 2       |    |                    |          |      |
| 3       |    |                    |          |      |
|         |    |                    |          |      |
|         |    |                    |          |      |
|         |    |                    |          |      |

- भौतिक सुविधाहरु
  - कार्यालयका भवनहरु
  - सावरी साधन

- फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर
- राजश्व शाखा तथा राजश्व प्रशासन
  - राजश्व शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

| क्र.सं. | नम | पद | जिम्बेवारी |
|---------|----|----|------------|
| 1       |    |    |            |
| 2       |    |    |            |
| 3       |    |    |            |
|         |    |    |            |
|         |    |    |            |
|         |    |    |            |

- कार्यकक्ष तथा कार्य स्थलको पर्याप्तता
- फर्निचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर तथा अन्य भौतिक सुविधाहरु
- राजश्व सम्बन्धी डाटा वेस,
- राजश्व प्रशासनमा सफ्टवेयर र त्यसको प्रयोग
- कप्यूटर विलिङ् प्रणालिको प्रयोग,

#### गाउँ/नगरपालिकाको आय (आन्तरि तथावाह्य) सम्बन्धीविवरण:

- विगतीनआर्थिक वर्षहरु (२०७१/७२, ०७२/७३ र ०७३/७४) को यथार्थ आयविवरण
- चालु आर्थिक वर्षको (२०७४/७५) को अनुमानीत/बजेट विवरण र हालसम्मको यथार्थ
- चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँ/नगर सभाले पारित गरेको कर, शुल्कतथा दस्तुरका दरहरु

#### अन्य दस्तावेज तथा सूचनाहरु

- गाउँ/नगर सभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन
- राजश्वसंग सम्बन्धितअन्यनीतितथाकार्यक्रमहरु
- गाउँ/नगरपालिकाको बस्तुस्थिति विवरण (Profile)
- राजश्व परिचालनकालागि भएका प्रभावकारी प्रयासहरु

## तथ्यांक संकलन फारम

१. गाउँ/नगरपालिकाका आयका स्रोतहरू तथा हालको अवस्था

| क्र.सं. | आयकाप्रकार  | सम्भावनाको विवरण | संकलन भएको/नभएको | दर निर्धारणको अवस्था |
|---------|---|------------------|------------------|----------------------|
| क.      | कर तर्फ   |                  |                  |                      |
|         | भूमि कर (मालपोत)  |                  |                  |                      |
|         | एकीकृत सम्पीत कर  |                  |                  |                      |
|         | सवारी कर (टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा, इरिक्सा)  |                  |                  |                      |
|         | घर जग्गा बहाल कर  |                  |                  |                      |
|         | व्यवसाय कर  |                  |                  |                      |
|         | जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर  |                  |                  |                      |
| ख.      | अन्य राजश्व   |                  |                  |                      |
|         | दुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीदुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको विक्री तथा निकासी शुल्क  |                  |                  |                      |
|         | नक्सापास दस्तुर   |                  |                  |                      |
|         | व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क  |                  |                  |                      |
|         | वहाल विटौरी शुल्क   |                  |                  |                      |
|         | पार्किङ शुल्क   |                  |                  |                      |
|         | अस्पताल संचालन  |                  |                  |                      |
|         | फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क   |                  |                  |                      |
|         | स्थानीय खानेपानी महसुल  |                  |                  |                      |
|         | स्थानीय विद्युत महसुल   |                  |                  |                      |
|         | केवलकार, टेकिङ, कायाकिङ, वन्जीजम्प, जिपफलायर, प्याराग्लाईडिङ आदि मनोरंजन तथा साहसी खेलकुद सम्बन्धी सेवा तथा व्यवसायमा सेवाशुल्क   |                  |                  |                      |
|         | निर्माण, संचालन र व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पुर्वाधार तथा सेवामा सेवाशुल्क ( खानेपानी, विजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह, ढल निकास, सडक वति, शैचालय, पार्क, पौडी पोखरी, व्ययमशाला, पर्यटकिय स्थल, हाटबजार, पशु वधशाला, शबदाह गृह, घोविधाट, सडक, वसपार्क, पुलआदि |                  |                  |                      |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | मूल्यांकन सेवा शुल्क  |  |  |  |
|  | दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण दस्तुर (एफएम रेडियो संचालन, घ वर्गको निर्माण इजाजतपत्र, विद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापारिक फर्म) |  |  |  |
|  | दुङ्गा, गिट्टी, बालुबा, नुन, माटो, खरीदुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तुको सर्भेक्षण, उत्खनन तथा उपयोग शुल्क                                |  |  |  |
|  | बडा मार्फत गरिने सिफारिश तथा प्रमाणित दस्तुर  |  |  |  |
|  | दण्ड जरिवाना  |  |  |  |

### २: गाउँ/नगरपालिकाको स्वमित्ववाभोगचलनमा रहेका जग्गा

| क्र.सं. | जग्गा रहेका स्थान       | कि.न. | क्षेत्रफल | हालको उपयोग | भाडा वाबहाल रकम (यदीभएमा) |
|---------|-------------------------|-------|-----------|-------------|---------------------------|
| क       | स्वामित्वमा रहेको जग्गा |       |           |             |                           |
|         |                         |       |           |             |                           |
|         |                         |       |           |             |                           |
|         |                         |       |           |             |                           |
| ख       | भोगचलनमा रहेको जग्गा    |       |           |             |                           |
|         |                         |       |           |             |                           |
|         |                         |       |           |             |                           |
|         |                         |       |           |             |                           |

श्रोत :

### ३: गाउँ/नगरपालिकाको स्वमित्वमा रहेका भवन

| क्र.सं. | स्थान | भवनको विवरण | हालको उपभोग | भाडा वाबहाल रकम (यदीभएमा) |
|---------|-------|-------------|-------------|---------------------------|
| १       |       |             |             |                           |
| २       |       |             |             |                           |
| ३       |       |             |             |                           |
| ४       |       |             |             |                           |
| ५       |       |             |             |                           |

श्रोत :

### ४: करमाआधारित सूचनाहरू

#### क. सम्पत्ति कर सम्बन्धीविवरण

गाउँ/नगरपालिकामादर्ता भएकाजम्मा करदाता संख्या : .....

आ.व. २०७३।७४ मा कर तिर्ने करदाता संख्या : .....

संकलित रकम : .....

#### ख. भवनसम्बन्धीविवरण

| क्र.सं. | घरको वर्गीकरण | अनुमानित संख्या | बहालमाभएको संख्या | औसत बहाल दर |
|---------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
|         |               |                 |                   |             |

|              |   |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
| १            | व्यापारीक प्रयोजनकालागिनिर्मित भवन/घरहरु<br>(नोट: व्यापारीक कम्पलेक्स, पार्टी प्यालेस, अस्पताल, कोल्ड स्टोर, नीजिविद्यालयतथाक्यापस आदि) |  |  |  |
| २            | औद्योगिकप्रयोजनका भवन/घरहरु   |  |  |  |
| ३            | आवासिय भवन/घरहरु  |  |  |  |
| ३.१          | कच्ची घरहरु (कच्चीजोडाई तथा छाना ।)   |  |  |  |
| ३.२          | अर्ध कच्ची घरहरु (माटोको जोडाई र कंकिट वा स्टिलको छाना भएका)  |  |  |  |
| ३.३          | पिलर सिस्टम नभएको पक्कि घर (Without RCC Frame Structure)  |  |  |  |
| ३.४          | पिलर सिस्टम भएको पक्कि घर (With RCC Frame Structure)  |  |  |  |
| <b>जम्मा</b> |   |  |  |  |

#### ग. जग्गा सम्बन्धीविवरण

| क्र.सं.      | जग्गाको किसिम     | अनुमानित क्षेत्रफल | औसत मुल्यांकन दर (मालपोत कार्यालयको आधारमा) | कैफियत |
|--------------|-------------------|--------------------|---|--------|
| १            | शहरी क्षेत्र      |                    |   |        |
| २            | आवासिय क्षेत्र    |                    |   |        |
| ३            | कृषी क्षेत्र      |                    |   |        |
| ४            | वनतथाअन्य क्षेत्र |                    |   |        |
| <b>जम्मा</b> |                   |                    |   |        |

#### घ. सवारी साधन सम्बन्धीविवरण

गाउँ/नगरपालिकामादर्ता भएकाजम्मा करदाता संख्या : .....

आ.व. २०७३।७४मा कर तिर्ने करदाता संख्या : ..... संकलित रकम : .....

| क्र.सं.      | सवारी साधन              | अनुमानित संख्या | कैफियत |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------|
| १            | हेभि सवारी साधन         |                 |        |
| २            | हल्का सवारी साधन        |                 |        |
| ३            | मोटरसाइकल               |                 |        |
| ४            | अटो रिक्सातथाई रिक्सा   |                 |        |
| ५            | ठेलागाडा, टाँगा, रिक्सा |                 |        |
| <b>जम्मा</b> |                         |                 |        |

#### ड. व्यापार व्यवसाय सम्बन्धीविवरण

नगरपालिकामादर्ता भएकाजम्मा करदाता संख्या : .....

आ.व. २०७३।७४मा कर तिर्ने करदाता संख्या : ..... संकलित रकम : .....

| क्र.सं. | व्यापार व्यवसायको विवरण                             | सानालगानी | मझौला लगानी | ठुला लगानी | कैफियत |
|---------|---|-----------|-------------|------------|--------|
| १       | उद्योग  |           |             |            |        |
| २       | वित्तिय संस्था (बैंक, विकास बैंक, सहकारी, विमा आदि) |           |             |            |        |
| ३       | व्यापारिक भवन, मल, निजी अस्पताल,                    |           |             |            |        |

| क्र.सं. | व्यापार व्यवसायको विवरण | सानालगानी | मझौला<br>लगानी | ठुला लगानी | कैफियत |
|---------|-------------------------|-----------|----------------|------------|--------|
|         | संस्थागत कलेज विद्यालय  |           |                |            |        |
| ४       | डिलर तथा थोक विक्रेता   |           |                |            |        |
| ५       | अन्य व्यवसायहरु         |           |                |            |        |

#### छ. खानीजन्य बस्तुविकी तथा निकासी

| क्र.सं. | उत्पादन/उत्खनन स्थल | बस्तुहरु  | कुल उत्खनन योग्य परिणाम | विकी मूल्य | संभाव्य निकासी परिमाण |
|---------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|
| १       |                     | दुङ्गा    |                         |            |                       |
|         |                     | गिटटी     |                         |            |                       |
|         |                     | स्लेट     |                         |            |                       |
|         |                     | बालुवा    |                         |            |                       |
|         |                     | चुनदुङ्गा |                         |            |                       |
|         |                     | अभ्रख     |                         |            |                       |
|         |                     | दहतर वहतर |                         |            |                       |
|         |                     | अन्य      |                         |            |                       |
| २       |                     | दुङ्गा    |                         |            |                       |
|         |                     | गिटटी     |                         |            |                       |
|         |                     | स्लेट     |                         |            |                       |
|         |                     | बालुवा    |                         |            |                       |
|         |                     | चुनदुङ्गा |                         |            |                       |
|         |                     | अभ्रख     |                         |            |                       |
|         |                     | दहतर वहतर |                         |            |                       |
|         |                     | अन्य      |                         |            |                       |

#### ज. जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु व्यवसायिक उपयोग

| क्र.सं. | बस्तुहरु              | इकाई | कुल संकलन परिणाम | अनुमानित मूल्य |
|---------|-----------------------|------|------------------|----------------|
| क.      | जडिबुटी जन्य बस्तुहरु |      |                  |                |
|         |                       |      |                  |                |
|         |                       |      |                  |                |
|         |                       |      |                  |                |
|         |                       |      |                  |                |
| ख.      | कवाडी जन्य बस्तुहरु   |      |                  |                |
|         |                       |      |                  |                |
|         |                       |      |                  |                |
|         |                       |      |                  |                |
| ग.      | जिव जन्तु             |      |                  |                |
|         |                       |      |                  |                |

#### भ. वहाल विटौरी

| क्र.सं. | सम्पत्तिहरु | इकाई | परिमाण | दर |
|---------|-------------|------|--------|----|
|         |             |      |        |    |

|    |                    |  |  |  |
|----|--------------------|--|--|--|
| क. | भवन तथा कोठाहरु    |  |  |  |
|    |                    |  |  |  |
|    |                    |  |  |  |
| ख. | मैसिनहरु           |  |  |  |
|    |                    |  |  |  |
| ग. | सार्वजनिक सम्पत्ति |  |  |  |
|    |                    |  |  |  |
|    |                    |  |  |  |
|    |                    |  |  |  |
|    |                    |  |  |  |

ज्ञ. गाउँ/नगरपालीकाले निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापन गरेका सेवा

| क्र.सं. | सेवाहरु              | उपलब्ध गराईएको स्थानवा क्षेत्र | इकाई र परिमाण | सेवा शुल्कको संभावना के छ ? | हालको अवस्था (आय) |
|---------|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| १       | फोहरमैलाव्यवस्थापन   |                                |               |                             |                   |
| २       | स्थानीयखानेपानी      |                                |               |                             |                   |
| ३       | बिजुली               |                                |               |                             |                   |
| ४       | धारा                 |                                |               |                             |                   |
| ५       | अतिथि गृह            |                                |               |                             |                   |
| ६       | धर्मशाला             |                                |               |                             |                   |
| ७       | पुस्तकालय            |                                |               |                             |                   |
| ८       | सभागृह               |                                |               |                             |                   |
| ९       | ढल निकास             |                                |               |                             |                   |
| १०      | सडक बत्ति            |                                |               |                             |                   |
| ११      | सार्वजनीकशौचालय      |                                |               |                             |                   |
| १२      | पार्क                |                                |               |                             |                   |
| १३      | पौडी पोखरी           |                                |               |                             |                   |
| १४      | व्ययमशाला            |                                |               |                             |                   |
| १५      | पर्यटकिय स्थल        |                                |               |                             |                   |
| १६      | हाट बजार             |                                |               |                             |                   |
| १७      | पशु बधशाला           |                                |               |                             |                   |
| १८      | शवदाह गृह            |                                |               |                             |                   |
| १९      | बसपार्क              |                                |               |                             |                   |
| २०      | अन्य पार्किङ क्षेत्र |                                |               |                             |                   |
| २१      | सिफारिश तथा प्रमाणित |                                |               |                             |                   |
| २२      | दर्ता, अनुमाति,      |                                |               |                             |                   |

|    |                      |  |  |  |  |
|----|----------------------|--|--|--|--|
|    | नविकरण दस्तुर        |  |  |  |  |
| २३ | मूल्यांकन सेवा शुल्क |  |  |  |  |
| २४ | नक्सापास             |  |  |  |  |
|    |                      |  |  |  |  |
|    | अन्य .....           |  |  |  |  |
|    | जम्मा                |  |  |  |  |

अनुसूची ४ : प्रारम्भिक अभिमुखिकरणको कार्यक्रम तालिका तथा उपस्थिति विवरण

सैनामैनानगरपालिका, कपिलवस्तु

**राजस्व सुधार कार्य योजना तयारी**

प्रारम्भिक अभिमुखिकरण गोष्ठी कार्यक्रम

९फागुन, २०७५

**कार्यक्रम तालिका**

| समयावधी          | क्रियाकलाप   |
|------------------|--|
| ७:३० देखि ८:००   | सहभागी आगमन र नाम दर्ता  |
| ८:०० देखि ८:३०   | कार्यक्रम शुभारम्भ (अध्यक्षता, परिचय, स्वागत मन्त्रव्य)                |
| ८:३० देखि ९:३०   | कार्यक्रमको उद्देश्य, अवधारणा तथा प्रक्रया - प्रस्तुती                 |
| ९:३० देखि १०:३०  | कर, शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी अवधारणा र सिद्धान्त                      |
| १०:३० देखि ११:०० | स्थानीय तहको राजश्व अधिकार र परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था                 |
| ११:०० देखि ११:३० | राजश्व सुधार कार्य योजना र राजश्व प्रक्षेपण का केही महत्वपूर्ण पक्षहरु |
| ११:३० देखि १२:०० | समापन  |

**प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रममा उपस्थिति विवरण**

| क्र.सं. | नाम थर | पद | ठेगाना |
|---------|--------|----|--------|
| १       |        |    |        |
| २       |        |    |        |
| ३       |        |    |        |
| ४       |        |    |        |
| ५       |        |    |        |
| ६       |        |    |        |
| ७       |        |    |        |
| ८       |        |    |        |
| ९       |        |    |        |
| १०      |        |    |        |
| ११      |        |    |        |
| १२      |        |    |        |
| १३      |        |    |        |
| १४      |        |    |        |
| १५      |        |    |        |
| १६      |        |    |        |
| १७      |        |    |        |
| १८      |        |    |        |
| १९      |        |    |        |
| २०      |        |    |        |

**मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा उपस्थिति विवरण**

| क्र.सं. | नाम थर | पद | ठेगाना |
|---------|--------|----|--------|
| १       |        |    |        |
| २       |        |    |        |
| ३       |        |    |        |
| ४       |        |    |        |
| ५       |        |    |        |
| ६       |        |    |        |
| ७       |        |    |        |
| ८       |        |    |        |
| ९       |        |    |        |
| १०      |        |    |        |
| ११      |        |    |        |
| १२      |        |    |        |
| १३      |        |    |        |
| १४      |        |    |        |
| १५      |        |    |        |
| १६      |        |    |        |
| १७      |        |    |        |
| १८      |        |    |        |
| १९      |        |    |        |
| २०      |        |    |        |

## प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रममा तस्विरहरु

